



सनातन जैनग्रंथमाला।

२२

श्रीमदाचार्य गुरुदासविराचतः

**प्रायश्चित्त-समुच्चय
चूलिका सहित**

अनुवादक—

पं० पन्नालालजी सोनी, मुरैना

प्रकाशिका—

श्रीभारतीयजैनसिद्धांतप्रकाशिनीसंस्था
६ विश्वकोष लेन, वाघवाजार, कलकत्ता

भाद्रपद वीर सं० २४५३



श्रीबीतरागाय नमः ।

सनातन जैनग्रंथमाला

२२

श्रीमद्भुरुदासाचार्यविरचित्

प्रायश्चित्त-समुच्चय

(हिंदीटीका सह)



संयमामलसद्गुणभीरोदरसागरान् ।

श्रीभुरुदासाद्वाङ्मुद्देश्ये ॥ १ ॥

अर्थ—जो संयमरूप निर्मल और समीचीन रूपोंके अगाध और उदार समुद्र हैं उन श्रीआर्हन्तादि पंच गुरुओंको रत्नत्रयकी विद्युद्धिके लिए भक्ति-भावसे नमस्कार करता हूँ ।

भावार्थ—जो जिस गुणका इच्छुक होता है वह उसी गुण-बालेकी सेवा शुश्रूषा करता है । जैसे धनुष चलानेकी विद्या सीखनेवाला पुरुष उस धनुषविद्याको जानने और चलानेवाले-

कुछ संभव है। अतः जिन महाशयोंको शब्द वा अर्थकी अशुद्धि
ज्ञात हो सके वे अवश्य सूचित करनेकी कृपा करें।

आजसे लगभग दो साल पहिले हय श्रीपदेवाविदेव
गोमटेश्वरके अभिषेक जलसे पवित्र होनेके, लिये श्रवणवेल
गोला (जैनबद्धी) गये थे उस समय शोलापुर वासी श्रेष्ठिवर्य
रावजी सखाराम दोशीकी अनुमतिसे आलंद (शोलापुर)
वासी श्रेष्ठिवर्य माणिकचंद मोतीचन्दजीने इस ग्रंथके प्रकाश-
नार्थ पांचसौ रूपये इस शर्तपर देना स्वीकार किया था कि—ग्रंथ
प्रकाशित होकर न्योछावर आनेवाद संस्था उन्हें रूपये वा प्रिस
भेजदे तदनुसार आपकी सहायता प्राप्तकर यह ग्रंथ प्रकाशित
किया जाता है। उक्त दोनों सेठ साहबोंको कोटिः धन्यवाद है
जिससे मुनि और गृहस्थ दोनोंको अपनी अपनी शुद्धि
होनेका आगमोक्त मार्ग मालूम हो जायगा और वे शुद्ध हो
सकेंगे।

पितो भाद्रपद शुक्ल पांचपी

निवेदक—

बृहस्पतिवार वीर सं० २४५३

श्रीलाल जैन काव्यतीर्थ

मंत्रो—भा० जैनसिद्धांतप्रकाशिनी संस्था

६. विश्वकोषलेन, बाघवाजार, कलकत्ता

की उपासना करता है। ग्रन्थकर्ता भगवान् गृहदास आचार्य भी रत्नत्रयकी विशुद्धिके इच्छुक हैं। अतः वे रत्नत्रयसे विशुद्ध पञ्च परमेष्ठोंको नमस्कार करते हैं। श्रीगुरु नाम पञ्च परमेष्ठोंका है। यह नाम इस व्युत्पत्तिसे लब्ध होता है। श्रीनाम सम्पूर्ण वस्तुओंकी स्थिति जैसी है वैसीकी वैसी जाननेमें समर्थ ऐसी परिपूर्ण और निर्मल केवलज्ञानादि लक्ष्मीका है उस लक्ष्मी कर जो संयुक्त है वे श्रीगुरु हैं। ऐसे श्रीगुरु तीनकालके विषय-भूत पञ्च परमेष्ठों ही होते हैं। तथा वे श्रीगुरु रत्नत्रय कर विशुद्ध हैं। यदि वे स्वयं रत्नत्रयसे विशुद्ध न हों तो औरोंकेलिए रत्नत्रयकी विशुद्धिके कारण नहीं हो सकते। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका नाम रत्नत्रय है। संयम नाम सम्यक्चारित्रका है वह पांचपकारका है। सामायिक, छेदोप-स्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्मसांप्रायं और यथाख्यात। यह पांचों प्रकारका चारित्र सम्यग्ज्ञानपूर्वक होता है और सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनपूर्वक होता है। अतः संयम विशेषणकी सामर्थ्यसे वे रत्नत्रयके गंभीर और उदार समुद्र हैं यह अर्थ लब्ध होता है॥ १ ॥

आगे शास्त्र-समुद्रकी स्तुति करते हैं—

भावा यत्राभिधीयंते हेयादेयविकल्पतः ।
अप्यतीवारसंशुद्धिस्तं श्रुताविधमभिष्टुवे ॥ २ ॥

१ । विकल्पितः इत्यपि पाठः ।

अर्थ— हेय और आदेय भावोंका तथा अतीचारोंकी शुद्धि का जिसमें वर्णन पाया जाता है उस श्रुति—समुद्रकों नपस्कार करता हूँ ।

भावार्थ— भाव शब्दका अर्थ पदार्थ और परिणाम दोनों हैं । प्रत्येकके दो दो भैद हैं । हेय और आदेय । यहाँ पर ब्रतों-के अतीचार हेय भाव हैं और मूँतना, टट्ठी करना आदि अवश्य करने योग्य आदेय भाव हैं । तथा कवाटोद्घाटन आदि अती र हैं इन सबका वर्णन श्रुति समुद्रमें पाया जाता है । उसी श्रुति समुद्रकी यहाँ स्तुति की गई है ॥ २ ॥

आगे ग्रन्थका नाम निर्देश करते हैं—

पारंपर्यक्रमायातं रत्नत्रयविशोधनं ।

संक्षेपात् संप्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तसमुच्चयं ॥ ३ ॥

अर्थ— जो परंपराके क्रमसे चला आरहा है, जिसमें रत्न-त्रयकी विशुद्धि पाई जाती है उस प्रायश्चित्त-समुच्चय नामके ग्रन्थको संक्षेपसे कहता हूँ ।

प्रायश्चित्तं तपः प्राज्यं येन पापं पुरातनं ।

क्षिप्रं संक्षीयते तस्मात्तत्र यतो विधीयतां ॥ ४ ॥

अर्थ— यह प्रायश्चित्त बड़ा भारी तपश्चरण है जिससे पहले किये हुए पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । इसलिए प्रायश्चित्तके करनेमें अवश्य यत्न करना चाहिए ॥ ४ ॥

आगे प्रायश्चित्तके विना व्रतोंकी व्यर्थता बताते हैं—
प्रायश्चित्तेऽसति स्यान्न चारित्रं तद्विना पुनः ।
न तीर्थं न विना तीर्थाभिर्वृत्तिस्तद् वृथा व्रतं ॥५॥

अर्थ—प्रायश्चित्तके अभावमें चारित्र नहीं है। चारित्रके अभावमें धर्म नहीं है और धर्मके अभावमें पोद्दकी प्राप्ति नहीं है इसलिए व्रत अर्थात् दीक्षा धारण करना व्यर्थ है।

भावार्थ—प्रायश्चित्त ग्रहण करनेसे ही व्रतोंकी सफलता है। अन्यथा नहीं ॥५॥

आगे प्रायश्चित्तके नाम बताते हैं—
रहस्यं छेदनं दंडो मलापनयनं नयः ।
प्रायश्चित्ताभिधानानि व्यवहारो विशेषनं ॥६॥

अर्थ—रहस्य, छेदन, दंड, मलापनयन, नय-नीति-पर्यादा-व्यवस्था-क्रम, व्यवहार और विशेषन ये सब प्रायश्चित्तके नाम हैं।

आगे प्रायश्चित्तविधि न जाननेमें हानि बताते हैं—
प्रायश्चित्तविधिं सूरिरजानानः कलंकयेत् ।
आत्मानमथ शिष्यं च दोषजातान्न शोधयेत् ॥७॥

अर्थ—प्रायश्चित्त विधिको न जाननेवाला आचार्य प्रथम अपनेको अनन्तर शिष्यको भी कलंकित—पलिन कर देता है। अतः वह अपनेको और शिष्योंको दोषोंसे नहीं बचा सकता।

भावार्थ—भायश्चित् देनेकी विधि भी अवश्य जानना चाहिए ॥ ७ ॥

आगे पंचकल्याणके नाम गिनाते हैं:—

स्वस्थानं मासिकं मूलगुणो मूलमर्मी इति ।
पंचकल्याणपर्याया गुरुमासोऽथ पंचमः ॥ ८ ॥

अर्थ—स्वस्थान, मासिक, मूलगुण, मूल और पांचवां गुरुमास ये पांच पंचकल्याणके विशेष नाम हैं ।

भावार्थ—पंच आचाम्ल, पंच निर्विकृति, पंचगुरुमंडल, पंच एकस्थान और पंच उपवास इनके निरंतर अर्थात् व्यवधानरहित करनेको पंचकल्याण कहते हैं । कल्याणका लक्षण आगे कहेंगे । पांच कल्याण जहां पर हों वह पंचकल्याण है । जिसके ये ऊपर कहे गये पांच पर्याय नाम हैं ॥ ८ ॥

आगे लघुपासका स्वरूप बताते हैं:—

नीरसेऽप्यथवाचाम्ले क्षमणे वा विशोधिते ।
ज्ञात्वा पुरुषसत्वादि लघुर्वा सान्तरो गुरुः ॥ ९ ॥

अर्थ—पुरुष, उसका सत्व-धैर्य, आदि शब्दसे बल, परिणाम आदि जानकर पूर्वोक्त पंचकल्याणमेंसे नीरस अर्थात् निर्विकृति, अथवा आचाम्ल या उपवासको कर कर देना लघुपास है । अथवा पूर्वोक्त पांचोंको निरंतर करना गुरुमास है उसी गुरु-मासको व्यवधानसहित करना लघुपास है ।

भावार्थ— रसरहित आहारको निर्विकृति कहते हैं और कांजिक—सोबोरसे रहित भोजनको आचाम्ल कहते हैं। पांच आचाम्ल, पांच निर्विकृति, पांच गुरुमंडल, पांच एकस्थान और पांच उपवास इनमेंसे पांच निर्विकृति अर्थवा पांच आचाम्ल या पांच उपवास कम कर देना अर्थात् इन तीनमेंसे किसी एक कर रहित अवशिष्ट चारङ्गी लघुमास संज्ञा है। तदुक्त—

उववासपञ्चए वा आयंविलपञ्चए व गुरुमासादो ।
निर्विवयजिपञ्चए वा अवणीदे होदि लहुमासं ॥

अर्थात्— गुरुमास अर्थात् पञ्चकल्याणमेंसे पांच उपवास, अर्थवा पांच आचाम्ल अर्थवा पांच निर्विकृति कम कर देने पर लघुमास होता है।

छेदशास्त्रकी अपेक्षा आचाम्ल, निर्विकृति, गुरुमंडल और एकस्थान इनमेंसे किसी एकको कम कर देने पर लघुमास होता है। यथा—

आदीदो चउभज्ज्ञे एक्षद्वयणियस्मि लहुमासं ।

अर्थात्— छेद शास्त्रके पाठ्यजुसार क्षमण-उपवासका पाठ सबके अन्तमें है उनमेंसे उपवासको छोड़कर अवशिष्ट चारमेंसे किसी एकको घटा देना लघुमास है। सबका सारांश यह निकला कि इन पांचोंमेंसे किसी एक कर रहित अवशिष्ट चारङ्गी की लघुमास संज्ञा है। अर्थवा पञ्चकल्याणकको व्यवधानसहित रना भी लघुमास है ॥ ६ ॥

आगे भिन्नमासका लक्षण बताते हैं—

पञ्चस्वधापनीतेषु भिन्नमासः स एव वा ।

उपवासैस्त्रिभिः पष्टमपि कल्याणकं भवेत् ॥ १० ॥

अर्थ——एक आचाम्ल, एक निर्विकृति, एक पुरुषंडल, एक एकस्थान और एक उपवास ये पांच क्रम कर देने पर वही ऊपर कहा हुआ गुरुमास भिन्नमास हो जाता है। तथा तीन उपवासोंका एक पष्ट होता है और कल्याणक भी होता है।

भावार्थ—निर्विकृति, पुरुषंडल, आचाम्ल, एकस्थान और क्षमण इनको एक कल्याण कहते हैं ऐसे पांच कल्याणोंका एक पंचकल्याण होता है। यथा—

णिवियडी पुरिमंडलमायामं एयठाण खमणमिदि ।

कल्लाणमेगभेदेहिं पंचहिं पंचकल्लाणं ॥

इस गाथाका अर्थ ऊपर आ गया है। इन्हीं पंचकल्याणोंमें से एक कल्पणा क्रम कर देने पर भिन्नमास हो जाता है अर्थात् चार कल्याणका एक भिन्नमास होता है अर्थवा चार आचाम्ल, चार निर्विकृति, चार पुरुषंडल, चार एकस्थान और चार क्षमण इनको भिन्नमास कहते हैं। छठी भोजनकी वेलामें पारणा करना पष्ट है। अर्थात् एक दिनमें दो भोजनकी वेला होती हैं।

१—णाऊण पुरिससत्त्व विसं घययिगाथरत्त च ।

एकस्त्रिय कल्लाणं अवणीदे भिण्णमासा सेवा ।

एकका धारणेके दिन त्याग करना, दो दिनोंमें चारका त्याग करना और एकका पारणेके दिन त्याग करना इस तरहके तीन उपवास करना या छह भोजनकी वेलाका त्याग करना षष्ठ है। तथा निरंतर, एक आचाम्ना, एक निर्विकृति, एक पुरुषंडल, एक एकस्थान, और एक उपवास करना कल्याणक है ॥ १० ॥

आगे कायोत्सर्ग और उपवासका प्रमाण बताते हैं—

कायोत्सर्गप्रमाणाय नमस्कारा नवोदिताः ।
उपवासस्तनूत्सर्गेभ्वेद् द्वादशकैस्तकैः ॥ ११ ॥

अर्थ—नौ पंच नमस्कारोंका एक कायोत्सर्ग होता है और बारह कायोत्सर्गोंका एक उपवास होता है।

भावार्थ—गायो अरहंताणं, गायो सिद्धाणं, गायो आङ्गिराणं, गायो उवलभायाणं, गायो स्त्रोये सञ्चसाहूणं यह एक पंच-नमस्कार है ऐसे नो पंचनपस्कार एक कायोत्सर्गमें झोते हैं और एक उपवासमें ऐसे ही बारह कायोत्सर्ग होते हैं। यथा—
णवपंचणमोक्षारा काउसग्गम्मि होति एगम्मि ।
एदेहिं बारसेहिं उववासो जायदे एको ॥ —छेदर्विंड ।

तथा—

एकम्भि विउसर्गे णव णवकारा हवंति बारसाहिं ।
सयमद्वोत्तरमेदे हवंति उववासा जसस फलं ॥

अर्थाद्—एक व्युत्सर्गमें नौ पंचनपस्कार होते हैं । बारह व्युत्सर्गोंमें एक सौ आठ पंच नमस्कार होते हैं । इन एक सौ आठ पंच नमस्कारोंके जपनेका फल एक उपवास है । तथा कायोत्सर्गके और भी अनेक भेद हैं । तदुक्त—

यदेवसियं अट्टुं सयं पवित्रयं च तिणि सया ।
चाउम्मासे चउरो सयाणि संवत्सरे य पंचसया ॥

भावार्थ—एक सौ आठ पंचनपस्कारोंका देवसिक कायोत्सर्ग होता है या देवसिक कायोत्सर्गमें एक सौ आठ पंच नमस्कार होते हैं । तथा पात्रिकमें तीन सौ, चारुर्मासिकमें चार सौ और सांवत्सरिकमें पाँच सौ पंच नमस्कार होते हैं ॥ ११ ॥

आचाम्लेन सपादोनस्तत्पादः पुरुषंडलात् ।
एकस्थानात्तदर्धं स्यादेवं निर्विकृतेरपि ॥ १२ ॥

अर्थ—श्राचाम्ल अर्थात् कंजित भोजन करनेसे वह उपवास चतुर्थांश हीन हो जाता है अर्थात् चार हिस्सोंमेंसे एक हिस्सा प्रयाण कर्म होजाता है—तीन हिस्सामात्र ही अवशिष्ट रह जाता है । अनगारकी भोजन वेलाको पुरुषंडल कहते हैं । इस पुरुषंडलसे वह उपवास चतुर्थांश—चौथे हिस्से बराबर रह जाता है । तथा तीन मुहूर्त तकके भोजनके कालमें एक ही स्थानमें पैरोंका संचार न कर भोजन करना एकस्थान है । इस एकस्थानके करनेसे वह उपवास आधा ही रह जाता है । और

निर्विकृति आहारके करनेसे भी उपवास आधा हो रह जाता है ।
छेदपिंड और छेदशास्त्रमें भी ऐसा ही कहा है । यथा—
आयं विलङ्घिः पादूण स्वमण पुरिमिडले तहा पादो ।
एयद्वाणे अद्धुं निर्विव्यंडीओ य एभेव ॥

इसका अर्थ ऊपर आ गया है ॥ १२ ॥

अष्टोत्तरशंतं पूर्णं यो जपेदपराजितं ।
मनोवाकायगुह्यः सन् प्रोपथफलमञ्जुते ॥ १३ ॥

अर्थ—जो पुरुष मनोगुह्यि, बचनगुह्यि और कायगुह्यिको
धारण कर अपराजित पञ्चनमस्कार मंत्रको परिपूर्ण एक सौ
आठ बार जपता है वह एक उपवासके फलको पाता है ॥ १३ ॥

षोडशाक्षरविद्यायां स्यात्तदेव शतद्वये ।
त्रिशत्यां षड्वर्णेषु चतस्रूच्चिपि चतुःशते ॥ १४ ॥

अर्थ—सोलह अक्षर वाले मन्त्रकी दो सौ जाप देने पर
भी एक उपवासका फल होता है । तथा छह अक्षरवाले मन्त्रकी
तीन सौ और चार अक्षर वाले मन्त्रकी चार सौ जाप देने पर भी

१। याचास्त्रे पादोन्नं ज्ञमणं पुरुमङ्गलं तथा पादः ।

पक्षस्यान्ते शर्वं निर्विकृतौ च पवर्मय ॥

२। प्रोडशाक्षरविद्यायाः फलं जप्ते शतद्वये ।

पद्मन्त्रेष्विशते ज्ञात्तेश्चतुर्वर्णचतुःशते ॥ १४ ॥

एक एक उपवासका फल होता है । ‘अरहंत् सिद्ध, आयरिय,
उवञ्जन्माया साहु’ यह सोलह अक्षरोंका ‘अरहंत सि सा’ यह
छह अक्षरोंका और ‘अरहंत’ यह चार अक्षरोंका पञ्च है ॥ २४ ॥

अकारं परमं वीजं जपेद्यः शतपञ्चकं ।

प्रोपधं प्राप्नुयात् सम्यक् शुद्धबुद्धिरतंद्रितः ॥ १५ ॥

अर्थ—जो निर्मलबुद्धियारी पुरुष आलसरहित होता
हुआ परमोल्लेष्ट अकार वीजाक्षरको पांच सौ बार अच्छी तरह.
जपता है वह एक उपवासका फल पाता है । तदुक्तं—

पणतीसं सोलसयं छच्चउपयं च वण्णवीयाइँ ।

एउत्तरमटुसयं साहिए पं (पं)च खमणटुं ॥

अर्थ—एक सौ आठ बार जपा हुआ पेंतीस अक्षरोंका जाप,
दोसौ बार जपा हुआ सोलह अक्षरोंका जाप, तोन सौ बार जपा
हुआ छह अक्षरोंका जाप, चार सौ बार जपा हुआ चार वीजा-
क्षरोंका जाप और पांच सौ बार जपा हुआ पद—एक अकार
या ओंकार वीजाक्षरका जाप एक उपवासके लिए है ता
है ॥ २५ ॥

इति संज्ञाधिकारः प्रथमः ॥ १ ॥

प्रतिसेवाधिकार ।

प्रथम ग्रन्थके अधिकारोंका कथन करते हैं:—

प्रतिसेवा, ततः कालः क्षेत्राहारोपलब्धयः ।
पुमांश्छेदो विपश्चिद्भिर्विधिः पोढात्र कीर्त्यते ॥१६॥

अर्थ—विद्वान् पुरुष इस प्रायश्चित्त-समुच्चय नामके अनादिनिधन शास्त्रमें छह अधिकारोंका वर्णन करते हैं । पहला प्रतिसेवा नामका अधिकार है जिसमें सचित्त, अचित्त और पिश्रद्रव्यके आश्रयसे दोषोंके सेवन करनेका कथन है । उसके बाद दूसरा कालाधिकार है जिसमें शोतकाल, उषणकाल और वर्षाकालके आश्रयसे प्रायश्चित्त देनेका कथन है । उसके बाद क्षेत्राधिकार है जिसमें स्त्रिघ्य, रुक्ष, पिश्र आदि क्षेत्रोंके अनुसार प्रायश्चित्त देनेका वर्णन है । चौथा आहारोपलब्धि नामका अधिकार है जिसमें उल्काष्ट, पृथ्यम और जवन्य आहार भास्तुके अनुसार प्रायश्चित्त देनेका विधान है । उसके बाद पांचवां पुरुषाधिकार है जिसमें वह पुरुष धर्ममें स्थिर है या अस्थिर है, आगमज्ञ है या अनागमज्ञ है श्रद्धालु है या अश्रद्धालु है इत्यादि पुरुषाश्रित प्रायश्चित्तका कथन है । उसके बाद छठा प्रायश्चित्ताधिकार है जिसमें दशप्रकारके प्रायश्चित्तोंका वर्णन है ॥ १६ ॥

उहेश्चानुसार पहिले प्रतिसेवाका कथन करते हैं,—
 निमित्तादनिमित्ताच्च प्रतिसेवा द्विधा मता ।
 कारणात् षोडशोद्दिष्टा अष्टभंगास्तथेतरे ॥१७॥

अर्थ—निमित्तसे और अनिमित्तसे प्रतिसेवा दो तरहकी यानी गई है । उनमें भी कारणसे सोलह तरहको कही गई है । इसी तरह अकारणमें आठ भंग होते ह । भावार्थ—उपसर्ग व्याधि आदि निमित्तोंको पाकर दोषोंका सेवन करना और इन निमित्तोंके विना दोषोंका सेवन करना इस तरह प्रतिसेवाके दो भेद हैं । उनमें भी प्रत्येकके अर्थात् निमित्त प्रतिसेवाके सोलह और अनिमित्त प्रतिसेवाके आठ भेद होते हैं ।

सारांश—कारणकृत प्रतिसेवाके सोलह भंग और अकारण-कृत प्रतिसेवाके आठ भंग होते हैं ॥ २७ ॥

सहेतुकः सकृत्कारी सानुवीची प्रयत्नवान् ।
 तद्विपक्षा द्विकाः संति षोडशाऽन्योऽन्यताडिताः॥

अर्थ—सहेतुक—उपसर्गादि निमित्तोंको पा कर दोषोंको सेवन करने वाला १ सकृत्कारी—जिसका एक बार दोष सेवन करनेका स्वभाव है । सानुवीची—अनुवीची नाम अनुकूलता का है जो अनुकूलताकर सहित है वह सानुवीची है अर्थात् विचारपूर्वक आगपानुसार बोलने वाला ३ और प्रयत्नवान्—

अथत्नपूर्वक दीप सेवन करनेवाला ४ इन चारोंको एक एक विरलनकर ऊपर स्थापन करना । इन्हीं सहेतुक दिकोंके विषयों अहेतुक, असकृत्कारी, असानुवीची और अप्रयत्नवान् ये संख्यामें दो दो हैं इनको दो दोका पिंड बनाकर नीचे स्थापन करना पश्चात् इनका परस्परमें गुणाकार करना इस तरह करने पर सोलह संख्या निकल आती है ।

संदृष्टि—१ ३ ३ ३ = १८ इन भाँगोंको निकालनेकी तरकीव ज्ञाने वालों दो माथाएं पूलाचारमें हैं वे यहां दो जाती हैं ।

दोषं गणाणं संखा पत्थारो अक्खसंकमो चैव ।

ण्डुं तह उदिङ्दुं पञ्चवि वरथूणि णेयाणि ॥ १ ॥

दोषोंकी संख्या, प्रस्तार, अक्षसंक्रम, नष्ट और उद्दिष्ट ये पांच वस्तुके वर्णनमें जानना । दोषोंके भेदोंको गिनना संख्या है । इनका स्थापन करना प्रस्तार है । भेदोंका परिवर्तन अक्षसंक्रम है । संख्या रखकर भेद निकालना नष्ट है और भेद रखकर संख्या निकालना उद्दिष्ट है ।

सञ्चेवि पुच्छभेगा उवरिमंभंगैसु एकमेककेसु ।

मैलंति च्छि य कमसो गुणिए उपज्जये संखा ॥ २ ॥

सभी पहले पहले के भंग ऊपर ऊपरके सभी एक एक भंगमें

१.। दोषगणानां संख्या प्रस्तारः अक्षसंक्रमश्चैव ।

नष्टं तथा उद्दिष्टं पञ्चापि वस्तुनि झेयानि ॥

पाये जाते हैं अतः उन सबको क्रमसे चार जगह २-२-२-२ रखकर परस्पर गुणा करने पर दोषोंकी सोलह संख्या निकल आती इसीको बतलाते हैं—पूर्व भंग आगाढ़कारणकृत और अनागाढ़कारणकृत ये दोनों ऊपरके सकृत्कारी और असकृत्कारीमें पाये जाते हैं अतः दोनोंको परस्परमें गुणने पर चार भेद हो जाते हैं । ये चारों अपने ऊपरके सानुवाचीमें पाये जाते हैं अतः चारसे दो को गुणने पर आठ होते हैं । तथा ये आठ अपनेसे ऊपरके प्रयत्नप्रतिसेवी और अप्रयत्नप्रतिसेवीमें पाये जाते हैं इसजिए आठ को दोसं गुणा करनेसे दोषोंकी सोलह संख्या निकल आती है ॥ १८ ॥

भंगायामप्रमाणेन लघुर्गुरुरिति क्रमात् ।

प्रस्तारेऽत्राक्षनिक्षेपो द्विगुणो द्विगुणस्ततः ॥१९॥

अर्थ— प्रस्ताररचनामें भंगोंके आयाम प्रमाणके अनुसार लघु और गुरु ये क्रमसे स्थापित किये जाते हैं । तथा द्वितोयादि पंक्तियोंमें वे दूने दूने स्थापित किये जाते हैं । भावार्थ—लघु नाम एकज्ञा और गुरु नाम दोका हैं । भंगोंका प्रमाण सोलह और पंक्ति चार हैं । प्रथम पंक्तिमें सोलह जगह एक लघु और एक गुरु एकान्तरित स्थापित करे १ २ १ २, १ २ १ २ १ २ १ २ १ २, १ २ १ २, १ दूसरी पंक्तिमें दो लघु आर दो गुरु एवं द्विचन्तरित १ २ १ २, १ २ १ २, १ २ १ २, १ २ १ २, तीसरी पंक्तिमें चार लघु आर गुरु एवं चतुरंतरित १ २ १ २, २ २

२३, १ २११, २ २२२, और ज्ञोथी पंक्तियें आठ लघु और आठ गुह एवं अष्टान्तरित स्थापित करे १ १११, १११११ २२२२, २ २२२, । इसी क्रमको लानेके लिए नीचे एक करण गाथा दी जाती है—

पठमं दोसपमाणं कमेण पिकिखविय उपरिमाणं च ।
पिंडं पडि पुक्षेकं निकिखत्ते होइ पत्थारौ ॥

अर्थ—पथप दोषके प्रमाणको विरलन कर क्रमसे रख कर और उन विरक्तम किये हुये एक संकके ऊपर, ऊपरका एक एक पिंड रखकर जोड़ देनेपर प्रस्तार होता है। सो ही कहते हैं— आगाढ़कारण और अनागाढ़कारणका प्रमाण दो इनको विरलन कर क्रमसे लिखे १ १, इनके ऊपर दूसरा सकृत्कारी और असकृत्कारी दोषके पिंड दो दो का रखते ३ ३, इन दो दो को जोड़ने से चार हुए । फिर इन चारोंको क्रमसे चार जगह विरलन कर रखते १ १ १ १ इनके ऊपर सातुवीची और असातुवीचीका एक एक पिंड रख कर ३ ३ ३ ३ जोड़ देनेसे आठ हुए पुनः इन आठों को आठ जगह विरलन कर रखते १ १ १ १ १ १ १ १ इनके ऊपर प्रयत्नप्रतिसेवी और अप्रयत्नप्रतिसेवीका एक एक पिंड स्थापित कर जोड़ देनेसे सोलह हुए । इस तरह प्रस्ताररूप स्थापन किये सोलह भंगोंके कहनेका विधान कहते हैं—आगाढ़कारणकृत सकृत्कारी सातुवीची प्रयत्नवान् १ १ १ यह इन सोलह दोषोंकी प्रथपो-

चारणा है । अनागाढ़कारणकृत, सकृत्कारी, सानुवीची, प्रयत्नसेवी २ १ १ यह दूसरी उच्चारणा, आगाढ़कारणकृत असकृत्कारी सानुवीची प्रयत्नसेवी १ २ १ १ यह तीसरी उच्चारणा । अनागाढ़कारणकृत असकृत्कारी, सानुवीची प्रयत्नसेवी २ २ १ १ यह चौथी उच्चारणा । आगाढ़कारणकृत सकृत्कारी असानुवीची प्रयत्नप्रतिसेवी १ १ २ १ यह पांचवीं उच्चारणा । अनागाढ़कारणकृत, सकृत्कारी, असानुवीची, प्रयत्नप्रतिसेवी २ १ २ १ यह छठी उच्चारणा । आगाढ़कारणकृत, असकृत्कारी असानुवीची, प्रयत्नप्रतिसेवी १ २ २ १ यह सातवीं उच्चारणा । अनागाढ़कारणकृत, असकृत्कारी, असानुवीची प्रयत्नप्रतिसेवी २ २ २ १ यह आठवीं उच्चारणा । आगाढ़ कारणकृत, सकृत्कारी, सानुवीची अप्रयत्नप्रतिसेवी १ १ १ २ यह नौवीं उच्चारणा । अनागाढ़कारणकृत सकृत्कारी, सानुवीची, अप्रयत्नप्रतिसेवी २ १ १ २ यह दशवीं उच्चारणा । आगाढ़कारणकृत, असकृत्कारी, सानुवीची अप्रयत्नप्रतिसेवी १ २ १ २ यह एघारहवीं उच्चारणा । अनागाढ़कारणकृत असकृत्कारी, सानुवीची, अप्रयत्नप्रतिसेवी २ २ १ २ यह बारहवीं उच्चारणा । आगाढ़ कारणकृत, सकृत्कारी, असानुवीची, अप्रयत्नप्रतिसेवी १ १ २ २ यह तेरहवीं उच्चारणा । अनागाढ़कारणकृत, सकृत्कारी, असानुवीची, अप्रयत्नप्रतिसेवी २ १ २ २ यह चौदहवीं उच्चारणा । आगाढ़कारणकृत असकृत्कारी असानुवीची अप्रयत्नप्रतिसेवी १ २ २ २ यह पन्द्रहवीं उच्चारणा । अनागाढ़ कारणकृत

असकृत्कारी, असानुवीची अप्रयत्नप्रतिसेवी २२२२ यह सोलहवीं उच्चारणा । ये सब मिलकर सोलह उच्चारणाएं होती हैं । इनकी प्रस्तार संदृष्टि इस प्रकार है ।

१२, १२,

११२२, ११२२,

११११, २२२२,

११११११११११, २२२२२२२२२२,

अब अक्षसंक्रमणार्थी गाथा कहते हैं—

पठसक्खे अंतगए आइगए संकमेह वदिअक्खो ।

दोषिण वि गंतुं णंतं आइगए संकमेह तइअक्खो ॥

अर्थ—आगाढ़कारणकृत और अनागाढ़कारणकृत यह प्रथमाक्ष, सकृत्कारी और असकृत्कारी यह द्वितीय अक्ष, सानुवीची और असानुवीची यह तृतीय अक्ष और प्रयत्नप्रतिसेवी और अप्रयत्नप्रतिसेवी यह चतुर्थ अक्ष है । इनमेंसे प्रथमाक्ष संचरण करता है अन्य अक्ष उसी तरह रहते हैं । इस तरह संचरण करता हुआ प्रथमाक्ष अंतके अनागाढ़कारणकृत दोषको प्राप्त होकर पुनः लौटकर पहले आगाढ़कारणकृतदोष पर जब आता है तब द्वितीयाक्ष सकृत्कारीको छोड़कर असकृत्कारीमें संचरण करता है । फिर उस अक्षके बड़ी पर स्थित रहते हुए प्रथमाक्ष संचरण करता हुआ अंतको पहुंच जाता है तब दोनों ही प्रथमाक्ष और द्वितीयाक्ष अंतको पहुंचकर और लौटकर जब आदिको

आते हैं तब द्वितीयाद्वा सानुवीचीको छोड़कर असानुवीचीमें संक्रमण करता है। फिर इस अक्षके यहीं स्थित रहते हुए प्रथ-माद्वा और द्वितीयाद्वा दोनों संचरण करते हुए अंतको पहुंच जाते हैं तब तीनोंही अक्ष अंतको पहुंचकर और लौटकर जब आदिस्थानको आते हैं तब चतुर्थ अक्ष प्रयत्नप्रतिसेवीको छोड़कर अयत्नप्रतिसेवीमें संक्रमण करता है। भावार्थ—भेदोंके परिवर्तनको अक्षसंचार कहते हैं, ये आगाढ़कारणादि भेद पलटते रहते हैं उन्होंका परिवर्तनका क्रम इस गाथा द्वारा बताया गया है। जिनकी कि उच्चारणा ऊपर बताई जा चुकी है। फिर भी स्पष्टार्थ लिखते हैं—

१ आगाढ़-कारणकृत, सकृद् सानुवीची, यत्नसेवी	११११
२ अनागाढ़कारणकृत „ „ „	२१११
३ आगाढ़कारणकृत असकृद् „ „ „	१२११
४ अनागाढ़कारणकृत „ „ „	२२११
५ आगाढ़कारणकृत सकृद् असानुवीची	११२१
६ अनागाढ़कारणकृत „ „ „	२१२१
७ आगाढ़कारणकृत असकृद् „ „ „	१२२१
८ अनागाढ़कारणकृत असकृद् „ „ „	२२२१
९ आगाढ़कारण कृत सकृद् सानुवीची अयत्नसेवी	१११२
१० अनागाढ़कारणकृत सकृद् „ „ „	२११२
११ आगाढ़कारणकृत असकृद् „ „ „	१२१२
१२ अनागाढ़कारणकृत „ „ „	२२१२

१३ आगाढ़कारणकृत सकृद असानुवोची	„	११२२
१४ अनागाढ़कारणकृत „ „	„	२१२२
१५ आगाढ़कारणकृत असकृद „ „	„	१२२२
१६ अनागाढ़कारणकृत „ „	„	२२२२.

आगे नष्ट विधि कहते हैं—

समाणेहि विहते सेसं लक्षित्वा संखिवं रूपं ।
लक्षिखज्जंते सुद्धे एवं सब्बत्थ कायवं ॥

अर्थ—पृष्ठ दोषको संख्या रखकर अपने अपने प्रमाणका भाग देवे । भागदेने पर जो संख्या वच रहे उसको अक्षस्थान समझे । लब्धमें एक जोड़ कर फिर स्वप्रमाणका भाग दे जो बाकी वच रहे उसको अक्षस्थान समझे । अगर बाकी कुछ भी न वचे तो लब्ध संख्यामें एक न जोड़े और अन्तका अक्ष अहण करे । इस तरह सब जगह करे । भावार्थ—किसीने सोलह उच्चारणाओंमें से कोई सी उच्चारण पूछी उस उच्चारणामें दोषोंका कौनसा भेद है यह मालूम न हो तो इस गाथा द्वारा मालूम करलिया जाता है । जैसे किसीने पूछा कि नौवीं उच्चारणामें कौनसा अक्ष है तब उसं संख्या स्थापनकर उसमें आगाढ़ और अनागाढ़का भाग दिया चार लब्ध हुए और एक बाकी वचा । ‘शेषं अक्षपदं जानीहि’ इसके अनुसार आगाढ़ समझना चाहिये, क्योंकि आगाढ़ और अनागाढ़में पहला आगाढ़ है । फिर जो चार लब्ध आये हैं उसमें

‘लब्धे रूपं प्रत्तिप’ इसके अनुसार एक जोड़े, पांच हुए, इनमें सकृत्कारी और असकृत्कारीका भाग दिया, दो लब्ध आये: और एक बचा । पूर्वोक्त नियमके अनुसार पहला सकृत्कारी समझना चाहिए । फिर लब्ध दोमें एक रूप जोड़नेसे, तीन हुए इनमें सानुवीची और असानुवीचीका भाग दिया एक लब्ध आया और एक ही वाकी बचा पुनः पूर्वोक्त नियमके अनुसार पहला सानुवीची समझना चाहिए, फिर लब्ध एकमें एक रूप जोड़नेसे दो हुए, इनमें यत्नसेवी और अयत्न-सेवीका भाग दिया लब्ध एक आया और वाकी कुछ नहीं बचा ‘शुद्धे सति अत्तोऽन्ते तिष्ठुति’ इस नियमके अनुसार अन्तका अयत्नसेवी ग्रहण किया । इस तरह नवपी उच्चारणमें आगाढ़कारणकृत, सकृत्कारी, सानुवीची अयत्नसेवी नामका अन्त आया । इसी तरह अन्य उच्चारणओंके अन्त भी निकाल लेने चाहिए ।

आगे उद्दिष्ट विधि कही जाती है—

संठाविञ्जन रूपं उवारिओ संगुणित्वु सयमाणे ।
अवाणिज्ज अणंकिदर्यं कुज्जा पढमंतिमं खेव ॥

अर्थ—एक रूप रखकर उसको अपने ऊपरके प्रमाणसे गुणा करे और अनंकितको घटावे इस तरह प्रथम पर्यान्त करे ।

भावार्थ—यहां जो भेद ग्रहण हो उसके आगेके स्थानोंकी जो संख्या हो वह अनंकित है । जैसे आगाढ़ और अनागाढ़में

से यदि आगाहका ग्रहण हो तो उसके आगेवाले अनागाहको अनंकित समझना । इसीतरह सकृत्कारी—असकृत्कारी सानुवीची—असानुवीची और यत्नसेवी अयत्नसेवीमें भी समझना । किसीने पूछा कि आगाहकारणकृत सकृत्कारी, सानुवीची अयत्नसेवी यह कौनसी उच्चारणा है तब प्रथम एक रूप रखिये उसको ऊपरके यत्नसेवी और अयत्नसेवीका प्रमाण दोसे गुणिये, दो हुए, अनंकितको घटाइये, यहां अनंकित कोई नहीं दोनों ही अंकित हैं अतः दो ही रहे । फिर इन दो को सानुवीची और असानुवीची का प्रमाण दो से गुणिये, चार हुए, यहां असानुवीची अनंकित है अतः चारमेंसे एक घटाइये तब तीन रहे । इन तीनको सकृत्कारी और असकृत्कारीका प्रमाण दोसे गुणिये, छह हुए, अनंकित असकृत्कारीको घटाइये पांच रहे, पुनः पांचको आगाह अनागाहकी संख्या दोसे गुणिये, दश हुए अनंकितको घटा दाजिये, नौ रहे । इस तरह आगाहकारणकृत सकृत्कारी सानुवीची अयत्नसेवी नामकी नौधी उच्चारणा सिद्ध होती है । यही विधि अन्य उच्चारणाओंके निकालनेमें करनी चाहिए ॥१६॥

**विशुद्धः प्रथमोऽन्त्योऽपि सर्वथा शुद्धिवर्जितः ।
भंगाश्चतुर्दशान्ये तु सर्वे भाज्या भवन्त्यमी ॥२०॥**

अर्थ—इन सोलह भंगोंमेंसे पहला भंग विशुद्ध है—लघु प्रायश्चित्तके योग्य है । अन्तका सोलहवां भंग विलकुल अशुद्ध

है—गुरु प्रायश्चित्के योग्य है । वाकीके चौदह भंग भाज्य हैं—
लघु-गूरु दोनों तरहके हैं अतः छोटे बड़े प्रायश्चित्के योग्य हैं ॥

**आगाढ़कारणे कश्चिच्छेषाशुद्धोऽपि शुद्धयति ।
विशुद्धोऽपि पदैः शेषैरनागाढे न शुद्धयति ॥२१॥**

अर्थ—देव, पनुज्य, तिर्यञ्च या अचेतनकृत उपसर्ग वश
या व्याधिवश दोष सेवन कर लेने पर, शेष अस्कृत्कारी,
असानुवीची और अयत्नसेवी पदों कर अथुद्ध होते हुए
भी, कोई पुरुष शुद्ध हो जाता है अर्थात् वह उस दोषयोग्य
लघु प्रायश्चितका पात्र है । तथा कोई पुरुष विना कारण दोष
सेवन कर लेने पर शेष स्कृत्कारी, सानुवीची और प्रयत्नसेवी
पदोंसे शुद्ध होते हुए भी शुद्ध नहीं होता—लघु प्रायश्चित्का
पात्र नहीं होता ॥ २१ ॥

अब आठ अनिमित्त भंगोंको कहते हैं—

**अकारणे सकृत्कारी सानुवीचिः प्रयत्नवान् ।
तद्विपक्षा द्विका एतेऽप्यष्टावन्योन्यसंगुणाः ॥२२॥**

अर्थ—अकारणभंगोंमें स्कृत्कारी, सानुवीचि और प्रयत्न-
वान् इन तीनोंकी लघु संज्ञा है और इनके विपक्षों अस्कृत्कारी,
असानुवीची और अप्रयत्नग्रतिसेवीकी द्विक अर्थात् गुरु संज्ञा
है । ये भी परस्पर गुणा करने पर आठ होते हैं । संदृष्टि
३ ३ ३ =८ ॥

भावार्थ—जिस तरह सोलह निमित्तभंग संख्या, प्रस्तार, अद्दसंक्रम, नष्ट और उद्धिष्ठ ऐसे पांच तरहसे वर्णन किये गये हैं उसी तरह इन आठ भज्ञोंको भी समझना चाहिए। प्रथम संख्या निकालते हैं। पहले पहलेके भंग ऊपर ऊपरके सब भंगोंमें पाये जाते हैं अतः उनको पृस्पर गुणा करने पर $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ =आठ संख्या निकल आती है। इति संख्या ।

अब प्रस्तार बतलाते हैं—प्रथम पंक्तिमें आठ जगह एकान्तरित लघु और गुरु स्थापन करे १ २ १ २ १ २ १ २। द्वितीय पंक्तिमें द्वितीय लघुगुरु स्थापन करे ११२२ ११२२। तृतीय पंक्तिमें चतुर्तीय लघु-गुरु स्थापन करे ११११ २२२२। इनकी उच्चारणा बताते हैं—

सकृत्कारी, सानुवीची यत्नसेवी यह प्रथम उच्चारणा १११
 असकृत्कारी सानुवीची, यत्नसेवी यह द्वितीय उच्चारणा २११
 सकृत्कारी असानुवीची यत्नसेवी यह तृतीय उच्चारणा १२१
 असकृत्कारी असानुवीची यत्नसेवी यह चतुर्थ उच्चारणा २२१
 सकृत्कारी सानुवीची अयत्नसेवी यह पंचम उच्चारणा ११२
 असकृत्कारी सानुवीची अयत्नसेवी यह छठी उच्चारणा २१२
 सकृत्कारी असानुवीची अयत्नसेवी यह सप्तम उच्चारणा १२२
 असकृत्कारी असानुवीची अयत्नसेवी यह अष्टम उच्चारणा २२२
 संदर्भ—

१ २	१ २	१ २	१ २	१ २
१ १	२ २	१ १	२ २	
१ १	१ १	२ २	२ २	

अक्षसंक्रम, नष्ट और उद्दिष्ट भी पहले की तरह निकाल लेना चाहिए । इस तरह इन आठ भंगों की संख्या, प्रस्तार, अक्षपरिवर्तन, नष्ट और उद्दिष्ट जानना । पूर्वोक्त निमित्त दोष सोलह और आठ ये अनिपित्त दोष कुल मिलाकर चौबीस दोष होते हैं ॥ २२ ॥

अष्टाप्येते न संशुद्धा आद्यः शुद्धतरस्ततः ।
अविशुद्धतरास्त्वन्ये भंगाः सप्तापि सर्वदा ॥२३॥

अर्थ—ये ऊपर बताये हुए आठों भंग संशुद्ध नहीं हैं अशुद्ध हैं—वहुत प्रायश्चित्तके योग्य हैं इनमेंका पहला भंग द्वितीय भंगकी अपेक्षा शुद्ध है—लघु प्रायश्चित्तके योग्य है । इसके अलावा बाकीके सातों भंग निरंतर अविशुद्धतर हैं—वहुत प्रायश्चित्तके योग्य हैं ॥ २३ ॥

प्रतिसेवाविकल्पानां त्रयोर्विंशतिमासृष्टन् ।
गुरुं लाघवमालोच्य छ्ठेदं दद्याद्यथायथं ॥२४॥

अर्थ—प्रतिसेवाके कुल विकल्प चौबीस हुए । उनमें से (आगाढ़कारणकृत सकृत्कारी, सानुवीची, प्रयत्नप्रतिसेवी) पहले विकल्पको छोड़कर अवशिष्ट तेईस विकल्पोंमें छोटे और बड़ेका विचार कर यथायोग्य प्रायश्चित देना चाहिए ॥ २४ ॥

द्रव्ये क्षेत्रेऽथ काले वा भावे विज्ञाय सेवनां ।
ऋग्मशः सम्यग्मालोच्य यथाप्राप्तं प्रयोजयेत् ॥२५॥

अर्थ—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको जानकर और

सेवना—सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्यके उपभोगका क्रमसे अच्छीः तरह विचार कर यथायोग्य प्रायश्चित्त देना चाहिए । भावार्थ—जिसको प्रायश्चित्त दिया जाय उसके उत्कृष्ट, मध्यम जघन्य संहननयुक्त शरीरको और मंदज्ञानादिको, मगध, कुरुजांगल आदि निवास स्थानको, शीतकाल उष्णकाल वर्षाकाल आदि कालको, और तीव्र मंद आदि भावोंको जानलेना चाहिए और उसकी सचित्त, अचित्त और मिश्र पदार्थकी सेवना पर भी अच्छी तरह विचार करलेना चाहिए वाद यथायोग्य प्रायश्चित्त देना चाहिए अन्यथा लाभके बदले हानि होनेकी संभावना है ॥ २५ ॥

नीरसः पुरुमंडश्चाप्याचाम्लं चैकसंस्थितिः ।

क्षमणं च तपो देयमेकैकं छ्यादिमिश्रकं ॥२६॥

अर्थ—निर्विकृति, पुरुमंडल, आचाम्ल, एकसंस्थान और उपवास इन पांचोंके प्रत्येक भंग द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुःसंयोगी और पंचसंयोगी भंग निकाल कर प्रायश्चित्त देना चाहिए । भंगोंके निकालनेकी विधि इस प्रकार है । निर्विकृति, पुरुमंडल, आचाम्ल, एकस्थान, और उपवास ये पांच प्रत्येक भंग हैं । द्विसंयोगी भंग बताते हैं—निर्विकृति और पुरुमंडल यह प्रथम भंग १ । निर्विकृति और आचाम्ल यह द्वितीय २ । निर्विकृति और एकस्थान यह तृतीय भंग ३ । निर्विकृति और क्षमण यह चतुर्थ भंग ४ । पुरुमंडल आचाम्ल यह पंचम भंग ।

५ । पुरुमंडल और एकस्थान यह छठा भंग है । पुरुमंडल और क्षमण यह सातवां भंग ७ । आचाम्ल और एकस्थान यह आठवां भंग ८ । आचाम्ल और क्षमण यह नौवां भंग है । एक स्थान और क्षमण यह दशवां भंग १० । ये दश द्विसंयोगी भंग हुए । अब त्रिसंयोगी भंग बताते हैं—निर्विकृति पुरुमंडल और आचाम्ल यह प्रथम भंग १ । निर्विकृति, पुरुमंडल और एकस्थान यह द्वितीय भंग २ । निर्विकृति, पुरुमंडल और क्षमण यह तृतीय भंग ३ । निर्विकृति, आचाम्ल और एक स्थान यह चतुर्थ भंग ४ । निर्विकृति, आचाम्ल और क्षमण यह पंचम भंग ५ । निर्विकृति एकस्थान और क्षमण यह छठा भंग है । पुरुमंडल, आचाम्ल और एकस्थान यह सप्तम भंग ७ । पुरुमंडल, आचाम्ल और क्षमण यह आठवां भंग ८ । पुरुमंडल एकस्थान और क्षमण यह नौवां भंग है । आचाम्ल, एकस्थान और क्षमण यह दशवां भंग १० । ये दश त्रिसंयोगी भंग हुए । अब चतुर्संयोगी भंग बताते हैं—निर्विकृति, पुरुमंडल, आचाम्ल और एकस्थान यह प्रथम भंग १ । निर्विकृति, पुरुमंडल, आचाम्ल और क्षमण यह द्वितीय भंग २ । निर्विकृति, आचाम्ल, एकस्थान और क्षमण यह तृतीय भंग ३ । निर्विकृति, आचाम्ल, एकस्थान और क्षमण यह चतुर्थ भंग ४ । पुरुमंडल, आचाम्ल, एकस्थान और क्षमण यह पंचम भंग ५ । ये पांच चतुर्संयोगी भंग हुए । अब पंचसंयोगी भंग बताते हैं—निर्विकृति पुरु-

मंडल, आचाम्ल, एकस्थान और क्षमण यह पांचोंका मिलकर एक भंग। पांच प्रत्येक भंग, दश द्विसंयोगी भंग, दश त्रिसंयोगी भंग, पांच चतुःसंयोगी भंग और एक पंच संयोगी भंग, कुल मिलकर $5 + 15 + 10 + 5 + 1 = 31$ इकतीस भंग हुए। इनको शलाका भी कहते हैं। पहले जो सोलह दोष कह आये हैं उनमें इन इकतीस शलाकाओंका विभाग कर प्रायश्चित्त देना चाहिए। प्रथम दोषका पहली सलाकाका प्रायश्चित्त और शेषपंद्रह दोषोंका प्रत्येक और मिश्र ऐसी दो दो शलाकाओंका प्रायश्चित्त देना चाहिए। इन निर्विकृति आदि इकतीस शलाका रूप प्रायश्चित्तोंकी यह प्रस्तार संदृष्टि है।

१ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २

१ २ २ ४ ४ ४ ४ ४ ६ ६ ६ ६ ८ ८ ८

इस संदृष्टिमें ऊपर शलाकाओंकी संख्या है और नीचे उन शलाकाओंके अन्तर्गत प्रायश्चित्तोंकी संख्या है। यद्यपि प्रथम दोषको छोड़कर शेष पंद्रह दोषोंकी सलाकाएं समान दो दो हैं तथापि उनके प्रायश्चित्तोंको संख्या समान नहीं है दूसरे तीसरे दोषकी शलाकाएं दो दो हैं और प्रायश्चित्त भी दो दो हैं। चौथे से आठवां तक शलाकाएं दो दो और प्रायश्चित्त चार चार, नौवेंसे तेरहवें तक शलाकाएं दो दो और प्रायश्चित्त छह छह, चौदहवें पद्धत्वमें शलाकाएं दो दो और प्रायश्चित्त आठ आठ तथा सोलहवेंमें शलाका दो और

प्रायश्चित्त नौ हैं । शलाकाओंका विमाग करनेवाला यहां एक संग्रह श्लोक है उसे कहते हैं ।

आद्यमाद्ये तपोऽन्येषु प्रत्येकं तद्दद्यतं ततः ।

आद्ये तत्त्रयमष्टानां तच्चतुष्टयमन्यतः ॥

अर्थ—सोलह दोपोंमेंसे प्रथम दोपका प्रायश्चित्त आद्य तप अर्थात् प्रथम शलाका है । शेष पंद्रह दोपोंका प्रायश्चित्त दो दो तप—दो दो शलाकाएं हैं । तथा आठ दोपोंमेंसे प्रथम दोपका प्रायश्चित्त तीन तप—तीन शलाकाएं और शेष सात दोपोंका प्रायश्चित्त चार चार तप—चार चार शलाकाएं हैं ।

आगाढ़ादि सोलह दोपोंका प्रायश्चित्त सामान्यसे कहा गया अब लघु दोप और गुरु दोपका विचार कर आचार्योंके उपदेशके अनुसार उक्तर सूत्रके अभिप्रायसे उक्त शलाकाओंमें किसको कौनसा प्रायश्चित्त दिया जाता है यह निश्चय करते हैं । आगाढ़कारणकृत, सकृत्कारी, सानुवीची, प्रयत्नसंसेवी प्रथम दोपका प्रायश्चित्त आलोचनामात्र है । अनागाढ़कारणकृत, सकृत्कारी, सानुवीची, प्रयत्नसंसेवी द्वितीय दोपका बड़ा प्रायश्चित्त—छह शुद्धिवाली दो शलाकाएं हैं जिनमें एक शलाका तो निर्विकृति और त्रृपण नापकी नौवीं द्विसंयोगकी और दूसरी निर्विकृति, पुरुषंडल, आचाम्ल और एकस्थान नापकी छवीसवीं चतुःसंयोगकी है । इस तरह दोनों शलाकाओंके छह प्रायश्चित्त द्वितीय दोपके हैं । आगाढ़कारणकृत, असकृ-

त्कारो, सानुवीची प्रयत्नप्रतिसेवी तृतीय दोषका पहली निर्विकृति शलाका और दूसरो पुरुमंडल शलाकारूप छोटा प्रायश्चित्त है। अनागढ़कारणकृत, असकृत्कारो, सानुवीची, प्रयत्नप्रतिसेवी चौथे दोषका पंद्रहवीं और तीसवीं शलाकारूप गुरु प्रायश्चित्त है। पंद्रहवीं शलाका एकस्थान और क्षमण इस तरह द्विसंयोगकी और तीसवीं शलाका पुरुमंडल, आचाम्ल, एकस्थान और क्षमण इस तरह चतुःसंयोगकी है। आगढ़कारणकृत, सकृत्कारी, असानुवीची, प्रयत्नसंसेवी, पंचमं दोषका प्रायश्चित्त छठी और तेरहवीं शलाका है। दोनों ही शलाकाएं द्विसंयोगवाली हैं। छठीमें निर्विकृति और पुरुमंडल और तेरहवीमें आचाम्ल और एक स्थान है। अनागढ़कारणकृत, सकृत्कारी, असानुवीची प्रयत्नसंसेवी छठे दोषका प्रायश्चित्त चौदहवीं और सत्ताईसवीं शलाका है। चौदहवीं शलाका आचाम्ल और क्षमण ऐसे द्विसंयोगकी और सत्ताईसवीं शलाका निर्विकृति, पुरुमंडल, आचाम्ल और क्षमण ऐसे चतुःसंयोगकी है। आगढ़कारणकृत, असकृत्कारी असानुवीची प्रयत्नसंसेवी सातवें दोषका प्रायश्चित्त सोलहवीं और बाईसवीं त्रिसंयोगी दो शलाकाएं हैं। सोलहवीं शलाका निर्विकृति, पुरुमंडल और आचाम्लकी और बाईसवीं शलाका, पुरुमंडल आचाम्ल और एकस्थानकी है। अनागढ़कारणकृत, असकृत्कारी, असा-

१—एवमी छूट्वीसदिमा पदम दुश्जाय पण्णस्तीता ।

बड़ी तेरसमी विय चोहसी सत्तवीत्विना ॥

सानुवीची प्रयत्नसंसेवी आठवें दोपका प्रायश्चित्त वारहवीं और अठाईसवीं शलाका है । वारहवीं शलाका पुरुमंडल और क्षमण ऐसे द्विसंयोगी भंगको और अठाईसवीं शलाका निर्विकृति, पुरुमंडल एकस्थान और क्षमण ऐसे चतुःसंयोगी भंगकी है । आगाढ़कारणकृत, सकृत्कारी, सानुवीचो, अयत्नसंसेवी नौवें दोपका प्रायश्चित्त तीसरा और चौथी शलाका है । ये दोनों शलाकाएं आचाम्ल और एकस्थान ऐसे एक एक संयोगी भंगकी हैं । अनागाढ़कारणकृत, सकृत्कारी, सानुवीचो, अयत्नसंसेवी दशवें दोपका प्रायश्चित्त तेवोसवीं और इक्षासवीं त्रिसंयोगी शलाकाएं हैं । तेवोसवीं शलाका पुरुमंडल आचाम्ल और क्षमणकी और इक्षासवीं शलाका निर्विकृति एकस्थान और क्षमणका है आगाढ़कारणकृत, असकृत्कारी, सानुवीचो, अप्रयत्नसंसेवो ग्यारहवें दोपका प्रायश्चित्त आठवीं और ग्यारहवीं द्विसंयोगी शलाकाएं हैं । आठवीं शलाका निर्विकृति और एकस्थान और ग्यारहवीं शलाका पुरुमंडल और एकस्थानका है । अनागाढ़कारणकृत असकृत्कारी, सानुवीचो, अयत्नसंसेवो वारहवें दोपका प्रायश्चित्त अठारहवीं और बीसवीं

१—सोलस वावासादिमा, वारस अडधीसिमा, तियंचउत्थो ।

बउवीसिमा पणवीससा, अट्टुभि पयारसी चेव ॥

यहाँ थोड़ा आचार्यसंप्रदायका भेद है । वह यह कि दशवें दोपके ऊपर इक्षीकृतीं और तेईसवीं शलाका बताई गई है और इस गायामें चौदोसवीं और पृष्ठीसवीं ।

त्रिसंयोगी शलाकाएँ हैं। अठारहवीं शलाका निर्विकृति पुरुष मंडल और क्षमणकी और बीसवीं शलाका निर्विकृति आचाम्ल और क्षमणकी है। आगाढ़कारणकृत, सकृत्कारी, असानुवीची, अयत्नसंसेवी तेरहवें दोषका प्रायश्चित्त सातवीं और दशवीं द्विसंयोगी दो शलाकाएँ हैं। सातवीं शलाका निर्विकृति और आचाम्लकी और दशवीं शलाका पुरुष मंडल और आचाम्लकी है। अनागाढ़कारणकृत, सकृत्कारी, असानुवीची, अयत्नसेवी चौदहवें दोषका प्रायश्चित्त चौवीसवीं और पच्चीसवीं त्रिसंयोगी दो शलाकाएँ हैं। चौवीसवीं शलाका पुरुष मंडल एकस्थान और क्षमणकी और पच्चीसवीं आचाम्ल एकस्थान और क्षमणकी है। आगाढ़कारणकृत, असकृत्कारी, असानुवीची अयत्नसेवी पंद्रहवें दोषका प्रायश्चित्त सतरहवीं और उन्नीसवीं त्रिसंयोगी शलाकाएँ हैं। सतरहवीं शलाका निर्विकृति, पुरुष मंडल और एकस्थानकी और उन्नीसवीं शलाका निर्विकृति

१—अद्वारस वीसदिमा, सत्तम दसमीय, एकवीसदिमा ।

तेवीसदिमा, सत्तारसी य एजम वीसदिमा ॥

चौदहवें दोषमें ऊपर चौवीसवीं और पच्चीसर्दीं शलाका बताई है और इस गाथामें इक्कीसवीं और तेईसवीं। यह आचार्य सम्प्रदायका भेद मालूम पड़ता है। अन्तर दोनोंमें इतना ही है कि दशवें दोषका प्रायश्चित्त चौदहवेंमें और चौदहवेंका दशवेंमें परस्पर बताया गया है। भंग दोनों ही स्थलोंमें त्रिसंयोगी हैं।

आचाम्ल और एकस्थानकी है । अनागाढ़कारणकृत, असकृ-
कल्कारी, असानुवौची और अयत्नसेवी सोलहवें दोपका
प्रायश्चित्त पांचवों, उनतीसवीं और इकतीसवीं ये तीन शला-
काएं हैं । पांचवों शलाका एकसंयोगी भंगकी है जिसमें
क्षमण है । उनतीसवीं निर्विकृति, आचाम्ल, एकस्थान और
क्षमण एवं चतुःसंयोगी भंगकी है और इकतीसवीं शलाका
निर्विकृति, पूर्हमंडल, आचाम्ल, एकस्थान और क्षमण एवं
पांचसंयोगी भंगकी है । इस तरह सोलह दोषोंमें छोटे बड़े
दोपका विचार कर प्रायश्चित्त बताया । पहला, तीसरा, पांचवां,
सातवां, नौवां, ग्यारहवां, तेरहवां और पन्द्रहवां ये आठ दोप तो
लघु प्रायश्चित्तके योग्य हैं और शेष दूसरा, चौथा, छठा, आठवां,
दशवां, वारहवां, चौदहवां और सोलहवां ये आठ गुरु प्रायश्चित्त
के योग्य हैं । संदृष्टि—

१ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ ३

८ ६ २ ६ ४ ६ ६ २ ६ ४ ६ ४ ६ ६ ६ १०

इस संदृष्टिमें ऊपर प्रत्येक दोपकी शलाकाएं हैं और नीचे
प्रायश्चित्तोंकी संख्या है । यह इस विषयको स्पष्ट करनेवाला
संग्रह श्लोक है—

२—पंचम उगतीसदिमा इगतीसदिमा य होंति सोलसमे ।

मिह्ससलागा गेणहह रगिदुतिचउपंचसंजोगे ॥

आद्ये वालोचनान्येषु द्वे स्यातां शलाकिके ।
आद्यं सुकृत्वा यथायोग्यं प्राग्यदुद्दीष्टमष्टसु ॥

अर्थ—प्रथमदोषमें आलोचना प्रायश्चित्त है अन्य दोषोंमें दो दो शलाकाएं हैं विशेष इतना है कि सोलहवें दोषमें तीन शलाकाएं हैं। तथा आठ दोषोंमें पहले दोषको छोड़कर शेष दोषोंमें पूर्ववत् प्रायश्चित्त समझना। भावार्थ—पहले दोषोंमें तीन शलाकाएं और शेष सात दोषोंमें चार चार शलाकाएं रूप प्रायश्चित्त हैं।

जो निष्कारण आठ भंग हैं वे सर्वथा ही अशुद्ध हैं तो भी उनमेंका पहला भंग अन्य भंगोंकी अपेक्षा विशुद्धतम् है। अन्त का अविशुद्धतम् अर्थात् सबसे अधिक अविशुद्ध है। सकृत्कारी सातुवीची, यत्नसेवी प्रथम भंगका प्रायश्चित्त एक संयोगवाली निर्विकृति, पुरुमंडल और आचाम्ना ऐसो पहली दूसरी तीसरी तीन शलाकाएं हैं। असकृत्कारी, सातुवीची, प्रयत्नसेवी दूसरे दोषका प्रायश्चित्त चार शलाकाएं हैं। दो शलाकाएं एकस्थान और त्रिपण ऐसे एकसंयोगकी और दो शलाकाएं निर्विकृति पुरुमंडल और आचाम्ना एकस्थान ऐसे द्विसंयोगकी। ये शलाकाएं चौथी, पांचवी, छठी और तेरहवी हैं। सकृत्कारी

१—अहुण्हं आदिगणे मिस्स सलागाड तिरिण दायव्वा ।
सेसाणं चत्तारिय पुध पुधं ताणं सुणसु ठाणं ॥

असानुवीची यत्नप्रतिसेवी तृतीय दोषका प्रायश्चित्त द्विसंयोगकी चार शलाकाएं अर्थात् आठ शुद्धियां हैं । निर्विकृति-आचाम्ल निर्विकृति एकस्थान, आचाम्ल त्वपण और एकस्थान त्वपण । ये शलाकाएं क्रमसे सातवीं, आठवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं हैं । असकृत्कारी, असानुवीची प्रयत्नसंसेवी चौथे दोषका प्रायश्चित्त द्विसंयोगवाली चार शलाकाएं अर्थात् आठ शुद्धियां हैं निर्विकृति त्वपण, पुरुमंडल आचाम्ल, पुरुमंडल एकस्थान और पुरुमंडल त्वपण । ये शलाकाएं क्रमसे नौवीं, दशवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं हैं । सकृत्कारी, सानुवीची, अप्रयत्नसेवी पांचवें दोषका प्रायश्चित्त तीन संयोगवाली चार शलाकाएं अर्थात् बारह शुद्धियां हैं । निर्विकृति पुरुमंडल आचाम्ल, निर्विकृति पुरुमंडल त्वपण, पुरुमंडल आचाम्ल त्वपण और आचाम्ल एकस्थान त्वपण । ये शलाकाएं क्रमसे सोलहवीं अठारहवीं, तेझसवीं और पच्छोसवीं हैं । असकृत्कारी, सानुवीची, अप्रयत्नसेवी छठे दोषका प्रायश्चित्त तीन संयोगवाली चार शलाकाएं अर्थात् बारह शुद्धियां हैं । निर्विकृति पुरुमंडल छठे स्थान,

१ पढम दुर्जा तद्जा, चउ पंचमिया य छह तेरसमी ।

सत्तम अहम चौहसमी वि य पण्णारसी चेव ॥

२ षष्ठस पवकारसमी य वारसमी, तह य चेव, सोजसमी ।

अद्वारसमी वावीसिमा य पण्वीसिमा, चेव ॥

पांचवें दोषमें ऊपर तेरहसवीं शजाका बताई गई है और इस गाथामें वाईसवीं ।

निर्विकृति आचाम्ल एकस्थान, निर्विकृति आचाम्ल क्षमण, और पुरुषंडल एकस्थान क्षमण । ये शलाकाएं क्रमसे सतरहवीं, उन्नींसवीं वीसवीं और चौबीसवीं हैं । सकृत्कारी असानुवीची अप्रत्यन्प्रतिसेवी सातवें दोषका प्रायश्चित्तः त्रिसंयोगवाली दो और चतुःसंयोगवाली दो अर्थाद् चौदह शुद्धियाँ एवं चार शलाकाएं हैं । निर्विकृति-एकस्थान-क्षमण और पुरुषंडल आचाम्ल एकस्थान, तथा निर्विकृति पुरुषंडल आचाम्ल एकस्थान और पुरुषंडल आचाम्ल एकस्थान क्षमण । ये शलाकाएं क्रमसे इक्कीसवीं, वाईसवीं, छब्बीसवीं और तीसवीं हैं । असकृत्कारी, असानुवीची अप्रयत्नप्रतिसेवी आठवें दोषका प्रायश्चित्त चतुःसंयोगवाली शलाकाएं तीन और पांचसंयोगवाली शलाका एक एवं चार शलाकाएं अर्थात् सतरह शुद्धियाँ हैं, निर्विकृति पुरुषंडल आचाम्ल क्षमण, निर्विकृति पुरुषंडल एकस्थान क्षमण, और निर्विकृति आचाम्ल एकस्थान क्षमण तथा निर्विकृति पुरुषंडल आचाम्ल एकस्थान क्षमण । ये शलाकाएं क्रमसे सत्ताइसवीं, अटाईसवीं, उनती-

१ सत्तारसमी पगूणवीसदिमा वीक्षमा य चउवीसदिमा ।

इगवीसदिमा तेवीसदिमा य छब्बीस तीसदिमा ॥

सातवें दोषमें ऊपर वाहसवीं शलाका बताई गई है और इस गाथामें तेर्हसवीं ।

२ सत्तावीसदिमावि य अड्डावीसाय ऊणतीसदिमा ।

इगतीसदिमा य इसा मिस्ससलायाडं अड्डपहं ॥

सधीं और इकतीसवीं हैं । इस तरह आठदोषोंकी कुल शलाकाएं इकतीस और थुँड़ियां अस्सी होती हैं । संदृष्टि—

३ ४ ४ ४ ४ ४ ४

३ ६ ८ ८ १२ १२ १४ १७

यहां भी ऊपर शलाकाओंकी संख्या और नीचे थुँड़ियों की संख्या है ॥ २६ ॥

आलोचनादिकं योग्ये कायोत्सर्गोऽथ सर्वकं ।
तपः आदि क्वचिद्देयं यथा वक्ष्ये विधिं तथा ॥

अर्थ—योग्य-व्यक्तिके दोषोंको जानकर आलोचना, आदि शब्दसे प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक इनमेंसे एक या दो या तीन अथवा चारों प्रायश्चित्त देवें और कायोत्सर्ग भी देवे । अथवा सभी आलोचनादि दश तरहके प्रायश्चित्त देवे । तथा किसी व्यक्ति विशेषको तप, आदि शब्दसे छेद मूल, परिहार और श्रद्धा ये पांच प्रायश्चित्त देवें ॥ २७ ॥

ये सब प्रायश्चित्त जिस विधिसे देने चाहिए, उसविधिको आगे कहते

यदभीक्षणं निषेव्येत परिहर्तुं न याति यत् ।
यदीपच्च भवेत्तत्र कायोत्सर्गो विशोधनं ॥ २८ ॥

अर्थ—जो निरंतर सेवन करनेमें आते हैं, जो त्यागने में नहीं आते हैं और जो स्तोक हैं ऐसे दोषोंका प्रायश्चित्त कायोत्सर्ग है । भावार्थ—चलना-फिरना आदि भी दोष हैं जो निर-

तर करने पड़ते हैं । भोजन पान करना भी दोष ही है । ये दोष दुस्त्याज्य हैं । सारांश—इन कर्तव्योंके करने पर कायोत्सर्ग नामका प्रायश्चित्त लेना चाहिए ॥ २८ ॥

**अपसृष्टपरामर्शे कंहृत्याकुंचनादिषु ।
जलखेलादिकोत्सर्गे कायोत्सर्गः प्रकीर्तिः ॥**

अर्थ—अप्रतिलेखित शरीरादि वस्तुओंसे स्पर्श हो जाने पर, खाज खुजाने हाथ पैर आदिके फैलाने सिकोड़ने आदि क्रियाके करने पर, और मल, वृक, आदि शब्दसे खक्कार आदि शारीरिक मल आदिके त्यागने पर कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त कहा गया है ॥ २९ ॥

**तंतुच्छेदादिक स्तोके संक्षिष्टे हस्तकर्मणि ।
मनोमासिकसेवायां कायोत्सर्गः प्रकीर्तिः ॥**

अर्थ—तंतु (धागा) तोड़नेका, आदिशब्दसे तृण बगैरहके तोड़नेका, अल्प संक्षेप उत्पन्न करनेका, पुस्तक आदिके संचय करनेल्प हस्तकर्मका और इस उपकरणको इतने दिनोंमें बनाकर तयार करुंगा इस प्रकार मनसे चितवन करनेका प्रायश्चित्त कायोत्सर्ग है ॥ ३० ॥

**मृदाथवा स्थिरैर्वीजैर्हरिद्धिस्त्रिसकायकैः ।
संघट्ने विपश्चिद्धिः कायोत्सर्गः प्रकीर्तिः ॥**

अर्थ—मिठ्ठीसे, स्थिरबीजोंसे और हरे कूश आदिसे तथा

त्रस कायके साथ हाथ पैरोंका संघरण हो जाय तो विद्वानोंने उसका प्रायश्चित्त कायोत्सर्ग करना बताया है। जौ गेहूं आदि को बीज कहते हैं। मर्दन करने (मसलने-कुचलने) पर भी जो बीज नष्ट न हों उन्हें स्थिर बीज कहते हैं ॥ ३१ ॥

पांश्चालिसपदख्तोये विशेष वा विपरीतकः ।

पुरुमंडलमाप्नोति कल्याणं कर्दमार्दपात् ॥ ३२ ॥

आर्थ—जिसके पैरोंपर धूल लिपट रही है वह यदि पानीमें धुस जाय अधवा जिसके पैर गीले हैं वह यदि अपने पेर धूलमें रख दे तो उसका प्रायश्चित्त पुरुमंडल है। तथा कीचड लिपटे पैरोंसे पानीमें चला जाय तो उसका प्रायश्चित्त एक-कल्याणक (पंचक) है ॥ ३२ ॥

हरित्तृणे सकुच्छिन्ने छिन्ने वानन्तके त्रसे ।

पुरुमंडलमाचाम्लमेकस्थानमनुक्रमात् ॥ ३३ ॥

आर्थ—हरे तृणोंके एक बार छेदन-भेदनका प्रायश्चित्त पुरुमंडल है। सूरण गहूची, सूखी, मूल, आदा, आदि अनन्त-कायिक चीजाँके छिन्न भिन्न करनेका प्रायश्चित्त आचाम्ल है (जिस वनस्पतिके मूलमें शाखाओंमें, पत्तोंमें असंख्याते शरीर हों, एक एक शरीरमें अनन्त २ जीव निवास करते हों, एक जीवके मरने पर अनन्तोंका मरण होता हो और एकके उत्पन्न होने पर अनन्त उत्पन्न होते हों वे जीव अनन्त कायिक हैं) तथा दो इंद्रिय तीन इन्द्रिय आदि त्रस जीवोंके छेदन-भेदन करनेका

प्रायश्चित्त एक स्थान है। छेदन का अर्थ जान से मार देने का नहीं है किन्तु उन जीवों के एक देश के खंडन करने का है। जान से मार देने का प्रायश्चित्त जुदा है। यह प्रायश्चित्त उनके एक देश खंडन में है ॥ ३३ ॥

प्रत्येकेऽनन्तकाये वा त्रसे वाथ प्रमादतः ।

आचाम्लं चैकसंस्थानं क्षमणं च यथाक्रमं ॥ ३४ ॥

अर्थ—जो छिन्न-भिन्न करने पर न उगे और जिसके एक शरीर का स्वामो एक ही जीव हो ऐसे सुपारी नारियल आदि प्रत्येक कायिक हैं। इन प्रत्येक कायिक वस्तुओं को प्रमाद-पूर्वक छिन्न भिन्न करने का प्रायश्चित्त आचाम्ल—कांजि काहार है। प्रत्येक कायिक से विपरीत अनन्त कायिक होते हैं जिनका स्वरूप ऊपर के श्लोक में बता चुके हैं उन अनन्त कायिक वस्तुओं को प्रमाद-पूर्वक छिन्न-भिन्न करने का प्रायश्चित्त एक संस्थान है। तथा प्रमाद से दो इन्द्रिय आदि त्रस जीवों के छेदन-भेदन का प्रायश्चित्त उपचास है ॥ ३४ ॥

व्यापने सन्निधौ देया निष्प्रमादप्रमादिनोः ।

पञ्च स्युनर्साहाराश्चैकं कल्याणकं त्रसे ॥ ३५ ॥

आभीष्ये पञ्चकल्याणं पञ्चाक्षे चापि दर्पतः ।

प्रमादैनैककल्याणं सकृदप्युपयोगतः ॥ ३६ ॥

अर्थ—कर्म द्वारा भेदज आदि भाजनों को सन्निधि कहते हैं।

जिसमें रक्खा जाय वह सभिधि है । उसमें यदि प्रमाद या अप्रमादसे कोई जीव पर जाय तो अप्रमत्तको पांच निर्विकृति प्रायश्चित्त और प्रमादीको एक कल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए । यदि बार बार त्रस जीव परे तो पंचकल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए और दर्पसे अथवा सावधानी रखते हुए एक बार पंचेन्द्रिय जीव परणको प्राप्त हो जाय तो एक कल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ३५ - ३६ ॥

संस्तरे यदि पंचाक्षो व्यापद्येताप्रमादतः ।
पंच निर्विकृतान्येककल्याणं सप्रमादतः ॥ ३७ ॥

अर्थ—सावधानी रखते हुए भी संस्तर—सोनेके आधे पर यदि पंचेन्द्रिय जीव पर जाय तो उसका प्रायश्चित्त पांच निर्विकृतियां हैं और यदि असावधानीसे परे तो एक कल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ३७ ॥

अंवासद्वारमूले चेत्पंचाक्षो विगतासुकः ।
तन्त्रिष्क्रान्तप्रविष्टानामेककल्याणकं भवेत् ॥ ३८ ॥

अर्थ—वसतिका (रहनेका स्थान) के दरबाजेके अधः मदेश (नीचेके हिस्से) में यदि पंचेन्द्रिय जीव पर जाय तो जितने वाहर निकले हों और भीतर गये हों उन सबके लिए एक एक कल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ३८ ॥

१—षष्ठियद्वारमूले रादों पंचेदियां मदे दिहो ।

जावदिया णीसरिदा पचिसंता एक कहाणे ॥

**विरतेभ्यो गृहस्थेभ्यो न यत्नकथिते हते ।
वृश्चिकादौ गृहस्थेन क्षमणं पंचकं क्रमात् ॥३९॥**

अर्थ—संयतों और असंयतोंके निमित्त यत्नपूर्वक वा अयत्नपूर्वक कहने पर कोई असंयत गृहस्थ विच्छु, विल्लो आदि जन्तुओंको मार दे तो उसका प्रायश्चित्त क्रमसे क्षमण और पंचक है। भावार्थ—यत्नपूर्वक कहने पर मारे उसका एक कल्याणक है। पंचक यह कल्याणककी संज्ञा है। वह इसलिए है कि यह कल्याणक पांच दिनमें समाप्त किया जाता है ॥ ३९ ॥

**विरतेभ्यो गृहस्थेभ्यो न यत्नाभिहिते हते ।
सर्पदौ तु गृहस्थेन कल्याणं मासिकं पृथक् ॥४०॥**

अर्थ—विरतों या गृहस्थोंके निमित्त यत्न अथवा अयत्न-पूर्वक कहनेपर कोई गृहस्थ सर्प गोनस (गोप) आदि प्राणियों-को मार दे तो उसका प्रायश्चित्त क्रमसे एककल्याणक और पंचकल्याणक है। भावार्थ—यत्नपूर्वक कहने पर मारनेका एक कल्याणक अयत्नपूर्वक कहने पर मारनेका पंचकल्याणक है ॥

संयतेभ्यः प्रयत्नेन विषीति कथिते हते ।

गृहस्थेनापि संशुद्धो वाक्समित्या युतो यतः ॥४१॥

अर्थ—संयतोंके निमित्त प्रयत्नपूर्वक—ऋषिभाषामें विषी (सर्प) है यह कहने पर कोई गृहस्थ उसे मार दे तो वह निर्देश है क्योंकि वह भाषासमितिसे युक्त है ॥ ४१ ॥

आगाढकारणाद्वन्हर्निर्वात्यानीयमानकः ।
पंच स्युर्नर्साहाराः कल्याणं वा प्रमादिनि ॥४२॥

अर्थ—ऋषियोंको यदि उपसर्ग हो या रोग आदि हो इस हेतुसे लाई हुई अग्नि बुझा दे तो उसका प्रायश्चित्त पांच नीरस आहार (निर्विकृतियां) अथवा प्रमादवान् पुरुषके लिए एक कल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ४२ ॥

गलानार्थं तापयन् द्रव्यं वन्हज्वालां यदि स्पृशेत् ।
पंच स्यू रूक्षभक्तानि कल्याणं च मुहुर्मुहुः ॥४३॥

अर्थ—बीमार पुरुषके निमित्त उसका शरीर या और कोई उपकरण तपाते हुए यदि एक बार अग्निकी ज्वाला (लौ)-का स्पर्शन करे तो उसकी शुद्धि पंच निर्विकृति आहार है और यदि बार बार स्पर्शन करे तो उसका प्रायश्चित्त एककल्याणक है ॥

विभावसोः समारंभं वैद्यादेशाद्यदि स्वयं ।
अनापृच्छ्यातुरं कुर्यात् पंचकल्याणमर्तुते ॥४४॥

अर्थ—यदि बीमारको न पूछकर केवल वैद्यके कहनेसे स्वयं अपने आप अग्नि जलानेका आरम्भ करे तो वह पंच-कल्याणकको प्राप्त होता है । भावार्थ—इस तरहके आरम्भका प्रायश्चित्त पंचकल्याण है ॥ ४४ ॥

विदध्याद् ग्लानमापृच्छय वैयावृत्यकरोऽथवा ।
तस्य स्यादेककल्याणं पञ्चकल्याणमातुरे ॥ ४५ ॥

अर्थ—अथवा वह वैयावृत्य करनेवाला रोगीको पूछकर अग्नि जलादे तो उसके लिए एककल्याणक और उस रोगीके लिए पञ्चकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ४५ ॥

कारणादाम्लादीनि सेवमानो न दुष्यति ।
विल्वपेश्यादि चाश्वाति शुद्धः कल्याणभागथ ॥ ४६ ॥

अर्थ—व्याधिके निगित आपले, हरड़ा, वहेरड़ा, आदि चीजोंका सेवन करनेवाला दोषी नहीं है—निर्देष है और विल्वखंड, आप, करौंडे, वीजपूर (विजौरा) आदि प्रासुक चीजोंको जो खाता है वह भी निर्देष है परन्तु जो व्याधिराहित होते हुए यदि सेवन करता है तो कल्याणकप्रायश्चित्तका भागी है ॥ ४६ ॥

रसधात्यपुलाकं वा पलांडूसुरणादिकं ।
कल्याणमशुतेऽश्रव्या मासं कर्कोलकादिकं ॥ ४७ ॥

अर्थ—जो पुरुष व्याधिराहित होता हुआ यथालाभ (लाभातुसार) धन करते हुए भी तिक्क, कटुक, कपाय, आम्ल, मधु जैवण इन छह रसोंक और शाली, बीही अर्थात् भात आदिका परिमाणसे अधिक सेवन करता है अथवा, लंसुन सूरण, कंद, गिलोय आदि अनंतकाय चीजोंका सेवन करता है

वह कल्याणकको प्राप्त होता है। तथा व्याधिरहित नीरोग होकर इलायची, लौंग, जातिफल, जातीपत्र, सुपारी आदिका सेवन करता है वह पंचकल्याणकको प्राप्त होता है। भावार्थ—स्मण अवस्थामें अत्यन्त लोबुपताके साथ छहों तरहके रस और आहार तथा लसुन आदि अनंतकाय चीजोंके सेवन करनेका प्रायश्चित्त एक कल्याणक है। तथा नीरोग हालतमें इलायची, सुपारी आदि चीजोंके खलेनेका प्रायश्चित्त पंचकल्याणक है॥

**कान्दपर्ये यन्मृषावादे मिथ्याकारेण शुद्धयति ।
अननुज्ञातसंशून्यखलादिकमलोज्जने ॥ ४९ ॥**

अर्थ—कामकी उन्मत्तताके कारण थोड़ा असत्य बोलने पर ‘मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो’ इस तरहके वचनमात्रसे शुद्ध निर्देष हो जाता है। तथा आगमसे निषिद्ध और निर्जन ऐसे खलियान, खेत, तालाब, वृक्षोंकी जड़ आदि स्थान जहां मलोत्सर्ग करनेसे लोक नाराज होते हों वहां मलोत्सर्ग करने पर भी मिथ्याका वचनसे शुद्ध हो जाता है॥ ४९॥

**जघन्यं तुल्यमूल्येन गृह्णानोऽपि विशुद्धयति ।
उत्कृष्टं मध्यमं वाथ गृह्णतो मासिकं भवेत् ॥५०॥**

अर्थ—जघन्य, अथवा मध्यम, अथवा उत्कृष्ट चीजोंको जो समान मूल्यमें खरीदता है वह विना प्रायश्चित्तके शुद्धिको प्राप्त होता है। और यदि चौर डाकू आदिसे लेता है तो उसका प्रायश्चित्त पंचकल्याणक है। भावार्थ—यह मुनियोंके प्राय-

श्रित्तका ग्रन्थ है अतः यहां उन्हों चोजोंका संबंध लगाना चाहिये जिनका मुनि धर्मसे कुछ संबन्ध है। यहां दवात, कलम, नेतृत्वता आदि लिखनेकी चोजें जघन्य हैं। पत्रजाति, पट्टी, कपड़लु आदि मध्यम चोजें हैं। सिद्धान्त-पुस्तक आदि उत्कृष्ट चोजें हैं। ऐसी जघन्य चोजें जघन्यमूल्यमें, मध्यम मध्यम मूल्यमें और उत्कृष्ट उत्कृष्ट मूल्यमें अथवा उत्कृष्ट और मध्यम चोजें जघन्यमूल्यमें और जघन्य चोजें कम मूल्यमें खराद करे वहां तक विशुद्ध है। हां ! यदि चौर डाकू आदिसे ये चोजें लेतो वह अवश्य दोषी है अतः इस दोषसे उन्मुक्त होनेका प्रायशिच्चत्त पंचकल्याणक है ॥ ५० ॥

तृणपञ्चकसेवायां स्यान्निर्विकृतिपञ्चकं ।

दूष्याजिनासनानां च कल्याणं पञ्चकं सकृत् ॥५१॥

अर्थ—शाली, ब्रोही, कोद्रव, कगु और रवक इनको तृण-पञ्चक कहते हैं इनके सेवन करनेका प्रायशिच्चत्त पांच निर्विकृति आहार है। तथा वस्त्र पञ्चक, चर्मपञ्चक और आसन पञ्चकके एकवार उपभोग करनेका प्रायशिच्चत्त एक कल्याणक है। दूष्य, प्रवार, चूरपट, त्तौप्र और वस्त्र ये पांच अथवा अरडज, घोंडज, बालज, वल्कलज, और शृङ्गज ये पांच पञ्चक होते हैं। व्याघ्र-चर्म, भल्लुकचर्म, हरिणचर्म, मेषचर्म और अजाचर्म ये पांच अजिन या चर्म पञ्चक हैं। तथा लोहासन, दंडासन, मासंदक, आयारहक, और पोतिक ये पांच आसनपञ्चक हैं ॥ ५१ ॥

पंचकेऽप्रतिलेख्यस्य मासः स्यात् सेवने सकृत् ।
संदंशाञ्छेदसूच्यादिधारणे शुद्ध एव हि ॥ ५२ ॥

अर्थ—पांच प्रकारके अप्रतिलेख्योंके एक बार सेवन करने-
का प्रायश्चित्त पंचकलयाणक है। जो शोधनेमें न आवे उसे
अप्रतिलेख्य कहते हैं। उसकी संख्या पांच है। तथा संदंश
(संडसी) नखलु, सूई, आदि शब्दसे पत्रवेधनी सलाई आदि
चीजें पास रखने पर शुद्ध ही है अर्थात् इनके ग्रहण करनेका
कोई प्रायश्चित्त नहीं ॥ ५२ ॥

संस्तरस्य निषद्यायास्तदिकाया उपासने ।

घटीसंपुटपट्टस्य फलकस्य न दूषिका ॥ ५३ ॥

अर्थ—सांथरा, बैठनेकी चटाई, कमंडलु, संपुट (कटोरे या
दोनेके आकारकी वस्तु) आसन और फलक (लकड़ीकी फड़ या
तखत) इन चीजोंको काममें लेनेमें कोई दोष नहीं है ॥ ५३ ॥
उपधौ विस्मृतेऽप्युच्चैर्मध्यमेऽथ जघन्यके ।

क्षमणं कंजिकाहारं पुरुमंडलमेव च ॥ ५४ ॥

अर्थ—उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य संयमोपकरणके विस्मृत कर-
देनेका प्रायश्चित्त क्रमसे उपवास, आचाम्ल और पुरुमंडल है ॥

दुःस्थापितोपधेनाशो र्सवत्रोत्कृष्टमध्यमे ।

जघन्ये मासिकं षष्ठं चतुर्थं कंजिकाशनं ॥ ५५ ॥

अर्थ—अच्छी तरह नहीं रखवा गया अतएव नष्ट हो गया

ऐसे सब तरहके संयोगपकरण (के नाश)-का प्रायश्चित्त पञ्च-कल्याणक है । तथा अच्छी तरह नहीं रखवे हुए उत्कृष्ट संयमोपकरणके नाशका प्रायश्चित्त एक षष्ठि (वैला) मध्यमका एक उपवास और जघन्यका आचाम्ल प्रायश्चित्त है । सिद्धान्त मुस्तकादि उत्कृष्ट संयमोपकरण पिच्छी आदि मध्यम संयमोपकरण और कमंडलु आदि जघन्य संयमोपकरण होते हैं ॥

पुरुषान्न तदर्थं वा स्वल्पान्नं वा समुत्सृजन् ।
अभोजनमथाचाम्लं पुरुमंडलमरनुते ॥ ५६ ॥

अर्थ—जितनेसे एक पुरुषका पेट भर सकता है उतना आहार छोड़ देनेवाला एक उपवास प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । उससे आधा या तिहाई छोड़ देनेवाला आचाम्ल प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । तथा स्वल्प थोड़ासा आहार छोड़ देनेवाला पुरुमंडल प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥

आगंतुकगृहे सुतः सार्द्दसोदकवन्हिके ।
सागारैरप्यवेलायां शुद्ध एव स चेत्सकृत् ॥ ५७ ॥

अर्थ—जो स्थान गीला है, जिसके निकट पानी है और अग्नि जल रही है ऐसे, आनेजानेवाले रास्तागिरोंके लिए बनाये हुए धर्मशालादि स्थानोंमें, गृहस्थोंके साथ, सोनेके असमयमें यदि एक बार कोई साधु सो जाय तो वह शुद्ध ही है—उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ५७ ॥

वर्षास्वतुच्छकार्येण हिमे ग्रीष्मे लधीयसि ।
योजनानि दश द्वे च कार्ये गच्छन्न दोषभाक् ॥

अर्थ—वर्षा ऋतुमें देव आर आर्षसंघ संबन्धी कोई बड़ा कार्य तथा शीतकाल और ग्रीष्मकालमें छोटा कार्य आ उपस्थित हुआ तो उस कार्यके निमित्त वारह योजन तक कोई साधु चला जाय तो वह दोषी नहीं है, वारह योजनसे ऊपर गमन करनेवाला प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ ५८ ॥

ऋतुवंधमतिक्रमेन्मासेनाकारणाद्यदि ।
लघुमासो गुरुः स स्यात् सर्ववर्षाविभेदिनि ॥५९॥

अर्थ—किसी कार्यके अर्थ कहीं अन्यत्र जाना पड़े, वहां कार्य एक महानेका ही है उससे अधिक समय बिना ही कारण व्यतीत कर दे तो उसका प्रायश्चित्त लघुमास है । यदि सारा वर्षकाल बिता दे तो उसका प्रायश्चित्त गुरुमास है ॥ ५९ ॥

दर्पतः पंचकल्याणं सारीनाज्यादिकेलिषु ।
हेतुवादे तु कल्याणं शुद्धो वा विजये सति ॥६०॥

अर्थ—ग्रहंकारवश सारी नाड़ी आदि क्रीड़ा करनेका प्रायश्चित्त पंचकल्याण है । सारी नाम जुआ खेलनेके उपकरणका चौपड़का है । चार हाथकी पोली नालीको नाड़ी कहते हैं यह एक प्रकारका मंत्रका उपकरण है । अथवा राजाने कहा कि श्रमण चौपड़ आदि जुएके खेल नहीं जानते उसके इस कहने

पर अहंकारपूर्वक उन खेलोंके बादमें लग गये तो उसका प्रायश्चित्त एक कल्याणक है। तथा धातुवाद अर्थात् न्याय आदिके बाद विवादमें लग जाये और पराजय हो जाय तो उसका प्रायश्चित्त कल्याणक है। अगर विजय हो जाय तो कुछ भी प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ६० ॥

धूलिप्रहेलिकागाथाचक्कूलान्ताक्षरोक्तिषु ।

तृणपासविपाशेऽपिपुरु मंडलमीरितं ॥ ६१ ॥

अर्थ—पांशुक्रीड़ा (धूलि के खेल) परस्पर पहेलिया बोलना, गाथाचतुष्टय बोलना, अन्त अन्तरका बालकर उसका मतलब पूछना, पद चक्र, वचन-प्रति वचन कहना, तृणबंध छुँड़ाना इत्यादि अनेक बातें हैं उनमें लग जानेका प्रायश्चित्त पुरुदंडल कहा गया है ॥ ६१ ॥

धातुवादेऽथ योगादिदर्शने द्रव्यनाशने ।

स्वपक्षैर्वीक्षिते देयं कल्याणं मासिकं परैः ॥ ६२ ॥

अर्थ—धातुवाद, योगादिदर्शन और द्रव्यनाशन इन विषयोंको यदि अपने पक्षके लोग देख लें तो उसका प्रायश्चित्त कल्याणक देना चाहिए और यदि परपक्षवाले मिथ्यादृष्टि लोग देख लें तो पंचकल्याण प्रायश्चित्त देना चाहिए। सोना चांदी आदि धातुओंमें क्रियाओं द्वारा वर्णकी उत्कर्षता आदि दिखाना धातुवाद है। कपूर, कस्तूरी, केशर, कुंकुम-

आदि सुगंधियुक्त कृत्रिपं द्रव्य बना देना योगादिदर्शन क्रिया है । दहा दूध आदि नाना प्रकारकी चीजोंका नष्ट कर देना द्रव्यनाश है । इस तरहकी क्रियाएं विशेष प्रयोगों तथा मन्त्र आदिके जरिये की जाती हैं ॥ ६२ ॥

समासाद्यं गसंघर्षसूत्रकं दुक्केलिषु ।

पणने नखपिच्छां हिंजं धावीणादिवादने ॥ ६३ ॥

स्वपक्षेवीक्षिते देयाङ्गुतक्रीडाप्रदर्शने ।

पुरुमंडलमुहिष्टं कल्याणं च परेक्षिते ॥ ६४ ॥ युग्मं

अर्थ—एक पद्म, आदि शब्दसे काव्य, पद्मका आधाभाग चौथाई भाग आदि समासादि हैं इनकी रचना न जानते हुए भी स्पर्धा करना कि मैंने यह एक श्रव्य (सुनने योग्य) काव्य बनाया है ऐसा आप भी बनाइये, मैंने यह श्लोकका पूर्वार्ध बनाया है आप इसका उत्तरार्ध बनाइये, मैंने यह श्लोकका पाद (चौथा हिस्सा) बनाया है आप भी इससे मिलता जुलता दूसरा पाद बनाइये इत्यादि समासादि क्रोड़ा है । परस्परमें एक दूसरेके शरीरका प्रपीडन करना अङ्गसंघर्ष क्रोड़ा है, सूतक्रीड़ा रस्सा खेचना, गेंद आदिके खेल कंदुकक्रीड़ा हैं । इत्यादि क्रोड़ाओंमें होड़ करना (सरियद लगाना) तथा नख, पिच्छी, पर और जंघा द्वारा बीणा आदि बजे बजाना तथा किसी चीजको भूतों द्वारा ग्रहण करा कर प्रकाशन कराना इस-

तरहकी भूतक्रोड़ा दिखाना । इन सब क्रीड़ाओंको करते हुए यदि स्वपत्त अपने धर्मावलंबी देखले तो पुरुषमंडल प्रायश्चित्त देना चाहिए और यदि विधर्मी लोग देख ले तो कल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ६३-६४ ॥

**मनसा काममापने निंदातीत्राभिलाषिणि ।
मासो मैथुनमापने चतुर्मासा गुरुकृताः ॥ ६५ ॥**

अर्थ—‘काम सेवन करूँ’ इस प्रकार प्रथम मनमें कामरूप प्ररिणत होनेके पश्चात् हाय ! मुझ पापबुद्धि पंदभाग्यने दुरा चितवन किया इस प्रकार आत्मामें निन्दा कर अनन्तर उससे तीव्र अभिलाषी होने पर अर्थात् मनसे चितवन करनेके अनन्तर कामोद्रेक होनेसे तीव्र अभिलाषा युक्त होने पर पंचकल्याण प्रायश्चित्त देना चाहिए । तथा मैथुन सेवन कर लेने पर गुरुकृत अर्थात् एकान्तरोपवासपूर्वक चार मास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ६५ ॥

**मासः सौंदर्यवीर्यार्थं रसायननिषेवणे ।
विशुद्धो द्विविधे हासे कल्याणं तु सकुर्तुचे ॥ ६६ ॥**

अर्थ—शरीरमें सुन्दरता लाने और बल बढ़ानेके लिये औषधि सेवन करनेका पंचकल्याण प्रायश्चित्त है । दो तरहकी डैंसी डैंसनेका कोई प्रायश्चित्त नहीं है । एक—हाथोंसे मुख ढँक कर हँसना, दूसरी—ओठोंको थोड़ा खोल कर हँसना, यह

संयतोंको दो तरहकी हँसी है। तथा जिस हँसीके हँसनेमें सारा शरीर हँसने लग जाय, तो उसका प्रायश्चित्त एक कल्याणक है ॥ ६६ ॥

मृद्धरित्यसगताभ्यु परिहर्तु विलंघने ।

मार्गे सत्यपि कल्याणं विशुद्धः पथिवर्जितः ॥६७॥

अर्थ—मिट्ठीका देर, हरी घास, दोइन्द्रिय तेइंद्रिय चौइंद्रिय पञ्चेन्द्रिय त्रस जीव, खड़ा, और जल इन चीजोंको रास्ता होते हुए भी उनसे बचनेके लिए उन्हें लांघ कर जाय तो कल्याणक प्रायश्चित्त है। तथा मार्ग न होनेके कारण इन्हें लांघना पड़े तो कोई प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ६७ ॥

मोट्टायनांगुलिस्फोटे पुरुमर्दोऽपवीक्षणे ।

कल्याणं पंचकल्याणं कटाक्षेऽसंज्ञिवीक्षते ॥६८॥

अर्थ—मुखसे 'टच' करने और अंगुली चटकानेका प्रायश्चित्त पुरुमंडल है। टेढ़ी नजरसे देखनेका प्रायश्चित्त एक कल्याणक है। तथा कटाक्षभरी दृष्टिसे देखनेका जिसको किं मिथ्यादृष्टि देख लें तो पंचकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ६८ ॥

ज्ञानगर्वादिभिर्मत्तो रत्निनो योऽपमन्यते ।

तद्वर्पदोषधाताय पंचकल्याणमश्नुते ॥ ६९ ॥

अर्थ—जो ज्ञानपद, जातिपद, कुलपद, आदि पदोंसे उन्मत्त होकर रब्रव्यधारी साधुओंका अपमान करता है वह

अपने उस दर्पजन्म दोषके शात्-विनाश करनेके लिए पंच-
कल्याणको प्राप्त होता है ॥ ६६ ॥

समुत्पन्नक्षणोदुध्वस्ते मिथ्याकारः कषायके ।

स्यात्कल्याणमहोरात्रे मासिकं च ततः परं ॥७०॥

अर्थ—कषाय उत्पन्न होकर अनन्तर क्षणमें नष्ट हो जाय तो 'मिच्छा मे दुःखं' मेरा दुष्कृत मिथ्या हो इस प्रकारका प्रायश्चित्त है । यदि अनन्तर क्षणमें मिथ्याकार न करे और एक दिन-रात बीत जाय तो उसका प्रायश्चित्त एक कल्याणक है । इससे ऊपर पंचकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ७० ॥

विकथासु पुरुमर्दः स्यादाभीक्षण्ये च पंचकं ।

तात्पर्ये दुक्षुतौ गर्हा कल्याणं निर्गते वहिः ॥७१॥

अर्थ—एक बार स्त्रीकथा आदि विकथाओंके करनेका प्रायश्चित्त पुरुमंडल है । बार बार कर का पंचक है । लसित, लास्य, तांडव आदि नृत्य विशेषोंको उपयोग लगा कर देखनेका और पठन, ऋषभ, गांधार, पंचम, धैवत और निषाद इन छह स्वरोंको मन लगा कर सुननेका प्रायश्चित्त गर्हा—आत्मनिर्दा है । तथा वसतिकासे बाहर निकलकर इनके देखने सुननेका प्रायश्चित्त कल्याणक है ॥ ७१ ॥

१ उपर्योपि कषाये मिच्छाकारं न तक्षणे कुजा ।

पृष्ठमहोरात्रे तेण परं मासिकं क्षेत्रो ॥ १ ॥

रुक्षभृत्तं विजीवेऽपि सजीवे पुरुमंडलं ।
आभीक्षण्ये च निवृत्ते च ग्राते पंचकमुच्यते ॥७२॥

अर्थ—निजीव वस्तुको सूंघनेका प्रायश्चित्ता निर्विकृति, सचिन्ताको सूंघनेका पुरुमंडल, और बार बार सूंघनेका और स्थाग की हुई वस्तुको सूंघनेका प्रायश्चित्ता कल्याणक है ॥७२॥

सेवमाने रसान् गृद्धया पंचकं वा न दोषता ।
शीतवातातपानेवं सेवमानो विशुद्धयति ॥७३॥

अर्थ—दूध, दहि, गुड़ आदि छह तरहके रसोंको लोलुपता पूर्वक सेवन करनेका प्रायश्चित्ता कल्याणक है। यदि ये रस यथालाभ प्राप्त हों तो उनके सेवनमें कोई दोष नहीं है—अर्थात् उसका कुछ भी प्रायश्चित्ता नहीं है। तथा अनासक्तिपूर्वक हवा, गर्मी और शीतको सेवन करने वाला भी शुद्ध है—प्रायश्चित्ताका भागी नहीं है ॥ ७३ ॥

प्रावारसंस्तरासेवे संवाहे परिमर्दने ।
सवाँगमर्दने चैवाहेतोः पंचकमंचति ॥ ७४ ॥

अर्थ—व्याधि आदि कारणोंके विना, संयमी जनके अयोग्य और गृहस्थोंके योग्य वस्त्र ओढ़ने, शव्या पर सोने, थपथपी लगवाने, हाथ पैर दबवाने और तैल मालिस कराने पर कल्याणक प्रायश्चित्ताको प्राप्त होता है ॥ ७४ ॥

उच्छीर्षस्य विधानेऽपि प्रतिलेखस्य हृष्टदे ।

मस्तकावरणाद्यैर्यं कल्याणं वा न दुष्यति ॥ ७५ ॥

अर्थ—तक्षिया लगाने, पिंछोंसे हृदय ढकने और सिर ढेकनेका प्रायश्चित्तं कल्याणके देना चाहिए । यदि व्याधिवश ऐसा कर ले तो उसका कुछ भी प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ७५ ॥

छत्रोपानहसंसेवी शरीरावारकारकः ।

मार्गधर्माद्वि कल्याणं लभते शुद्ध एव वा ॥ ७६ ॥

अर्थ—रास्ते चलते समय जंगे पैर चलनेमें असमर्थ होनेके कारण पैरोंमें जूते पहन लेने और धूपके कारण पत्तोंका छत्ता बनाकर शिर पर तान लेने अथवा पत्तोंसे शरीरको ढक लेने वाला कल्याणके प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । यदि व्याधिवश उक्त कर्तव्य करे तो शुद्ध ही है, उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ७६ ॥

शायानः प्रथमे यामे काले शुद्धेऽपि पंचकात् ।

शुद्धैयदथ विसंशुद्धौ लभते पुरुमंडलं ॥ ७७ ॥

अर्थ—कालशुद्धि होने पर भी यदि शास्त्र पढ़े बिना रात्रिके प्रथम पहरमें सो जाय तो कल्याणके प्रायश्चित्तसे शुद्ध होता है, और यदि कालशुद्धि रहित समयमें सो जाय तो पुरुमंडल प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ ७७ ॥

शयालुर्दिवसे शेते चेत्कल्याणं समश्नुते ।

अतोऽन्यस्य भवेहेयो मिन्नमासो विशुद्धये ॥७८॥

अर्थ—जिसका सोनेका स्वभाव पड़ा हुआ है वह यदि दिनमें सो जाय तो कल्याणको प्राप्त होता है अर्थात् उसे कल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए । और जिसका स्वभाव सोनेका नहीं है वह यदि दिनमें सो जाय तो उसको उसकी शुद्धिके लिए मिन्नमास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ७८ ॥

हस्तकर्मणि मासाहें गुरौ लघुनि पंचकं ।

शुद्धश्च पंचकं मासश्चतुर्मास्यां लघौ गुरौ ॥७९॥

अर्थ—एक महीने भरमें बनाकर तथार करनेयोग्य पुस्तक कमंडलु आदि चीजोंको निरंतर बनाता रहे अथवा अप्राप्तक द्रव्यसे बनावं तो कल्याणक प्रायश्चित्त है और यदि लघु अर्थात् स्वाध्याय-व्याख्यानको नछोड़ कर अवकाशके समयमें प्राप्तक वस्तुसे तथार करेतो कोई प्रायश्चित्त नहीं है । तथा यदि चार महीनमें हस्तकर्म अर्थात् पुस्तक कमंडलु आदि यथावसर प्राप्तक द्रव्यसे तैयार करेतो कल्याणक प्रायश्चित्त है और यदि गुरु अर्थात् स्वाध्याय छोड़कर निरंतर अप्राप्तक द्रव्यसे तैयार करेतो पंचकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ७९ ॥

पार्श्वस्थानुचरे वाह्यश्रुतिशिक्षणकारणात् ।

करणीकाव्यशिक्षायै मिथ्याकारेऽथ पंचकं ॥८०॥

अर्थ—न्याय, व्याकरण, छंद, अलंकार, कोष आदि वाह्य

शास्त्रोंका तथा ज्योतिष गणित आदि करणशास्त्र और योग आदि संबन्धी काव्योंकी शिक्षाके निपित्त यदि सम्यग्द-
शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्वारित्र और सम्यक्तपसे वहि-
भूत (रहित) पार्वस्थकी कोई मुनि सेवा या उपकार करे तो
उस मुनिके लिए मिथ्याकार प्रायश्चित्त है । और यदि इन
कारणोंके बिना पार्वस्थका उपकार करे तो पंचकल्याणक
प्रायश्चित्त है ॥ ८० ॥

व्याधौ सुदुस्सहे यत्नाद्भेषजे प्रासुके कृते ।

मिथ्याकारोऽथ कल्याणमयतान्मासपंचके ॥ ८१ ॥

अर्थ—असहा व्याधिके होने पर यन्नपूर्वक प्रासुक औषधि
करनेमें मिथ्याकार प्रायश्चित्त और सहा (सहन करने याएय)
व्याधिके होने पर यन्नपूर्वक प्रासुक औषधि करनेमें कल्याणक
प्रायश्चित्त है । तथा अयत्नपूर्वक अच्छी तरह सहन करनेयोग्य
व्याधिके होने पर औषधोपचार करनेका प्रायश्चित्त पंचकल्या-
णक और दुःसह व्याधिके होने पर औषधोपचार करनेका
कल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ८१ ॥

समित्यासादने शोके मिथ्याकारश्चिरं धृते ।

अश्रुपाते च कल्याणं रसगृद्धे द्विलापिनि ॥ ८२ ॥

अर्थ—ईर्यापथ आदि पांच समितियोंका आसादान अर्थात्
इच्छस्परण हो जाने और चातुर्बर्ह्यका वियोग हो जाने या

पुरुषक आदिके फट जाने पर थोड़ा शोक करनेका प्रायश्चित्त पिध्याकार वचन है । तथा इस शोकको बहुत काल तक करते रहने, आंसु ढाल ढालकर रोने और दर्धि दुग्ध आदि रसोंमें अत्याशक्ति होने पर दूसरेको कहनेका कल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ८२ ॥

सचित्ताशंकिते भग्ने स्यादकेस्थितिदंडनं ।
बहूजीवे भवेन्निन्दा सजीवे भक्तवर्जनं ॥ ८३ ॥

अर्थ—क्या यह सचित्त है, या सचित्त नहीं है इस तरह आशंका हो जाने पर उस वस्तुके मर्दन कर देनेका एकस्थान दंड है । बहुतसी प्रासुक चीजोंको मर्दन करनेका प्रायश्चित्त आत्म-निन्दा करना है तथा सजीव चीजोंको मर्दन करनेका उप-वास प्रायश्चित्त है ॥ ८३ ॥

शश्यायामुपधौ पिंडे शंकायामुद्भौर्हते ।
उत्पादैश्रुतुर्मास्यां मासो मासेऽपि पञ्चकं ॥ ८४ ॥

अर्थ—शश्या, उपकरण और आहारमें शंका हो गई हो कि क्या यह आहार सदोष है या निर्दोष । तथा उद्देशिकादि सोलह उद्भवदोष और धात्रीदृत आदि सोलह उत्पाद दोष संयुक्त आहार ग्रहण कर लिया हो और चार माह बीत गये हों तो उसका पञ्चकल्याणक प्रायश्चित्त है और एक यहीना व्यतीत हुआ हो तो एक कल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ८४ ॥

**कल्याणभेषणादोषे दायके पुरुमंडलं ।
मिश्रेऽपरिणते मासो भिन्नः समनुवर्णितः ॥८५॥**

अर्थ—गंकितादि दश एषणादोषोंका प्रायश्चित्त कल्याणक, प्रसूति आदि अनेक प्रकारके दायकदोषका प्रायश्चित्त पुरुमंडल तथा आधे रंधे हुएमें जल चांचल छोड़ देनारूप मिश्रदोष आर आधासीभा हुआ आहाररूप अपरिणत दोषका प्रायश्चित्त भिन्नमास कहा गया है ॥ ८५ ॥

**निर्दोषोऽत्यंततात्पर्यादल्पानल्पे प्रलेपने ।
स्तोकेऽयत्नात्पुरुमर्दः कल्याणं वहुलेपने ॥८६॥**

अर्थ—जिस शून्यस्थानमें दर्शकालमें गड्ढे पड़े गये हों उसको यत्नपूर्वक प्रासुक गोमय, जल आदिसे छल्प या बहुत लोपने पर निर्दोष है । और अयत्नपूर्वक थोड़ा लोपनेका पुरुमंडल प्रायश्चित्त और बहुत लोपनेका कल्याणक प्रायश्चित्त है ॥

**अल्पलेपे च यत्नेन पश्चात्कर्मणि शुद्ध्यति ।
अल्पलेपेऽप्ययत्ने दंडनं पुरुमंडलं ॥ ८७ ॥**

अर्थ—रहनेके स्थानको पश्चात्कर्म (अवश्य करने योग्य कर्म)में यत्नपूर्वक थोड़ा लीपे तो शुद्ध है—कोई प्रायश्चित्त नहीं । तथा अयत्नाचारपूर्वक थोड़ा भी लीपे तो उसका प्रायश्चित्त पुरुमंडल है ॥ ८७ ॥

**बहुलेपेऽप्ययतेन पंचकं वा न दोषयुक् ।
अयत्नेनोभयं (मे) वापि स्वस्थानेन विशुद्धयति ॥**

अर्थ—ज्ञासावधानीसे बहुतसा लीपनेका प्रायश्चित्त एक कल्याणक है और सावधानीसे बहुतसा लीपनेका कोई प्रायश्चित्त नहीं है। तथा पुराकर्म और पश्चात्कर्ममें अयत्नपूर्वक लीपने पर पंचकल्याणकसे शुद्ध होता है अर्थात् इसका पंचकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ८८ ॥

ददत्याः संप्रमद्यान्ने प्रत्येकानन्तकौ त्रसं ।

पुरुमंडलमाचाम्लमेकस्थानं निषेवते ॥ ८९ ॥

अर्थ—प्रत्येककाय, अनन्तकाय और त्रसकायका मर्दन कर परिवेषिका—आहार देनेवालीसे आहार ग्रहण करे तो क्रमसे पुरुमंडल, आचाम्ल और एकस्थान प्रायश्चित्त है। भावार्थ—प्रत्येक वनस्पतिके मर्दनका पुरुमंडल, साधारण वनस्पतिके मर्दनका आचाम्ल और छोट्ठियादि त्रस जीवोंके मर्दनका एकस्थान प्रायश्चित्त है ॥ ८९ ॥

भीत्वोन्मार्गं प्रपद्येत तरुमारोहति क्षिपेत् ।

काष्ठादिकं विलङ्घारपिधाने पंचकं न वा ॥ ९० ॥

अर्थ—डर कर उन्मार्ग—ऊजड़ मार्ग होकर चलने लग जाय, दृक्षपर चढ़ जाय या लकड़ो पत्थर ईंट आदि फेंकने लग जाय तो उसका कल्याणक प्रायश्चित्त है। तथा विल मूँदनेका

प्रायश्चित्त भी कल्याणक है अथवा रात्रिके समय विलोंबाले स्थानमें सर्प, चूहे आदिके त्राससे विलको पत्थर आदिसे मूँद कर सो गये और प्रातःकाल उसे उघाड़ कर चले गये तो कोई प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ६० ॥

**पुरुमदोऽयत्नाद्विडालादिप्रवेशने ।
क्षमणं लघुमासोऽथ स्तेनस्य वृषसूदने ॥ ९१ ॥**

अर्थ—जो असावधानीसे निवासस्थानका दरवाजा खोलकर चला जाय उसे पुरुमें ल प्रायश्चित्त देना चाहिए । यदि उसमें बिछौं नौला सांप आदि घुस जाय तो उपवास प्रायश्चित्त तथा चोर घुस जाय और चूहोंका मरण हो जाय तो लघुमास प्रायश्चित्त देना चाहिये ॥ ६१ ॥

**मार्यमाणान् विलोक्याशंशौरादीनेति पंचकं ।
भिन्नमासमथो निन्दां पंचकं म्रियमाणकान् ॥**

अर्थ—यदि कोई व्याधिसे ग्रसित साधु दूसरों कर मारते हुए चौरोंको देखकर आहार ग्रहण कर ले तो वह कल्याणक प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है और यदि व्याधिग्रसित नहीं है नीरोग है तो भिन्न मास प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । तथा मरे हुए चौरोंको देखकर बीमारीवश आहार ग्रहण करे तो आत्मनिन्दाको प्राप्त होता है अर्थात् अपने आप अपनी निंदा करना कि ढाय मैंने बुरा किया इत्यादि यही इस दोषको शुद्धिका प्रायश्चित्त है और यदि बीमार न होकर मरे हुए चौरोंको देख

कर आहार ग्रहण करे तो एक कल्याणक प्रायश्चित्तका भागी होता है ॥ ८२ ॥

**शब्दाद्घ्यानकादूपादुत्त्रस्येदंगमाक्षिपेत् ।
मिथ्याकारः स्वनिंदा वा पंचकं वा प्रलायने ॥९३॥**

अर्थ—भयानक शब्द सुनकर या आकृति देखकर कंपने लग जाय और शरीर गिर पड़े तो उसका क्रमसे मिथ्याकार और आत्मनिंदा प्रायश्चित्त है। तथा डरके पारे भग जाय तो कल्याणक है। भावार्थ—भयानक शब्द सुनकर और आकृति देख कर शरीर कपकपाने लग जाय तो 'मध्या मे दुष्कृतं' पेरा दुष्कृत मिथ्या हो यह मिथ्याकार वचन उस दोपकी शुद्धिका प्रायश्चित्त है। और यदि उक्त कारणोंवश शरीर गिर पड़े तो उसकी शुद्धिका उपाय अपनी निंदा कर लेना है। तथा उक्त कारणोंको पाकर भग जाय तो उसका एक कल्याणक प्रायश्चित्त है। यहां पर दोनों वा शब्द विकल्पार्थक हैं जो कचिद् अवस्थाविशेषम व्यभिचारको सूचन करते हैं अर्थात् व्याधि आदिके वश उक्त दोप लग जाय तो प्रायश्चित्त नहीं भी हैं ॥ ८३ ॥

**कराद्याकुञ्चने संघर्षदायामे पुरुषंडलं ।
उत्क्षेपे पंचकं मासः षाषाणस्य लघोरुरोः ॥९४॥**

अर्थ—संघर्षणवश हाथ पैर आदिको सिकोड़ लेने और पसार देनेका प्रायश्चित्त पुरुषंडल है। तथा छोटे पत्थर फेंकने-

का एक कल्याणक और वडे पत्थर फेंकनेका पंचकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ६४ ॥

प्रधावयति धावेद्वा वर्षाद्वन्हेरभित्रसन् ।

स्वनिंदा वाथ कल्याणं मासो लाघवदर्शनि ॥ ९५ ॥

अर्थ—जो वर्षासे अथवा अग्निसे ढर कर औरेंको भगता है अथवा स्वयं भगता है वह यदि व्याधियुक्त है तो आत्मनिंदा प्रायश्चित्तको और व्याधिरहित है तो कल्याणक प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । तथा शीघ्रता दिखानेवालेके लिए पंचकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ६५ ॥

पिपीलिकादिभीमांसाधारणे स्यात्प्रतिक्रमः ।

चिरं क्रीडयतो देयं कल्याणं भलशोधनं ॥ ९६ ॥

अर्थ—चीटी, जूँ, खट्टमल, ढांस, सर्प, मनुष्य आदिकी मंत्र तंत्र आदि शक्ति द्वारा चाल रोक देनेका प्रायश्चित्त प्रतिक्रमण है । तथा बहुत काल तक क्रीडा करते हुएको कल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ६६ ॥

विद्यामीमांसने योगप्रयोगे प्रासुकैः कृते ।

शुद्धयेदवद्यसंयुक्तैर्लघुमासं समश्नुते ॥ ९७ ॥

अर्थ—रोहिणी, प्रज्ञसि, वज्रशुद्धल आदि विद्याएं, सिद्ध हुईं या नहीं इस विषयकी परीक्षा करनेके लिए गंध, अक्षत, धूप आदि प्रासुक पूजा द्वारा औपधिप्रयोग करनेका

कोई प्रायश्चित्त नहीं है और यदि अप्राप्तक द्रव्यों द्वारा औपधि-
प्रयोग करे तो उसका लघुप्राप्त प्रायश्चित्त है ॥ ८७ ॥
युंजानः संयते शुद्धो दिहक्षुर्वीर्यमोषधे ।
गृहस्ये मासमाप्नोति चार्यायां पंचकं न वा ॥९८॥

अर्थ—ओपधिका सापर्ध्य देखनेके लिए यदि साधुमें
उसका प्रयोग करे तो शुद्ध है—कोई प्रायश्चित्त नहीं । गृहस्थमें
यदि प्रयोग करे तो पंचकल्याणक प्रायश्चित्तका भागी होता
है । तथा आर्यिकामें प्रयोग करे तो कल्याणकको प्राप्त होता है ।
अथवा धर्म-पुण्या अर्थात् पुण्यवती आर्यिकामें प्रयोग करे तो
प्रायश्चित्तको नहीं भी प्राप्त होता है ॥ ८८ ॥

जिज्ञासुभैषजं वीर्यं सर्पादीनां प्रदर्शयेत् ।

मिथ्याकारो विपन्ने स्युश्चतुर्मासा गुरुकृताः ॥

अर्थ—ओपधिकी शक्ति जाननेका इच्छुक यदि सर्प,
गोनस, चूहे आदिमें उस ओपधिका प्रयोग करे तो मिथ्याकार
प्रायश्चित्त है और यदि वे सर्पादि इस ओपधिप्रयोगसे पर
जाय तो उसका प्रायश्चित्त निरन्तर चार मास है अथवा
निरन्तर चार पंचकल्याणक है । व्यवधानरहित एक दिनके
अन्तरमें चार माह तक उपवास करना चतुर्मास है ॥ ८९ ॥

साभोगे पादसंशुद्धा उद्धर्तादावभोजनं ।

पंचकं च यथासंख्यं शृंगारे मासिकं विदुः ॥१००॥

अर्थ—त्रीजन अथवा मिथ्यादृष्टियोंके देखते दुए यदि प.र.

प्रक्षालन करे तो उपवास और उवटन, तैलसे मालिस आदि करे तो कल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए । यहांपर 'च' शब्द न कही हुई वातका समुच्चय करता है, इससे यह समझना कि अगर बीमार हो तो कोई प्रायश्चित्त नहीं है तथा शूङ्गार करे तो उसका प्रायश्चित्त आचार्यगण पंचकल्याणक बताते हैं ॥ १०० ॥

सर्वभूरिषु भाँडेषु मध्यमेष्वमध्यमेषु च ।

षष्ठं चतुर्थमेवैकस्थितिः सौवीरभोजनं ॥ १०१ ॥

अर्थ—वैयाकृत्य करनेके लिए जितने भर पात्र लाये जाय उन सबके प्रक्षालन करनेका प्रायश्चित्त एक षष्ठ है । उनमेंसे थोडे पात्रोंके प्रक्षालनका उपवास प्रायश्चित्त है । उससे भी थोडे अर्थात् मध्य दर्जेके पात्रोंके प्रक्षालनका एकस्थान प्रायश्चित्त है और सबसे थोडे पात्रोंके प्रक्षालनका प्रायश्चित्त आचाम्ल है ॥ १०१ ॥

**शुद्धेष्वपि च संशुद्धौ कात्सन्येनाथ पृथक् पृथक् ।
शोभायै मासिकं चैवमाप्नेष्वप्यशुद्धेषु ॥ १०२ ॥**

अर्थ—शुद्ध होते हुए भी वर्तनोंको एक या जुदे जुदे शोभाके लिये प्रक्षालन करनेका पंचकल्याण प्रायश्चित्त देना चाहिए और प्रक्षालन करने योग्य अशुद्ध वर्तनोंको प्रक्षालन करनेका भी पंचकल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए । भावार्थ—निमित्त जानकर प्रायश्चित्त देना चाहिए क्योंकि इसके अति-

रिक्त यह भी प्रायश्चित्त संभव है कि प्रक्षालन करने योग्य पात्रोंके प्रक्षालन करनेका उपचास और इसमें भी यदि अधिक सावधकी अपेक्षा हो तो पंचकल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १०२ ॥

अन्नपानविलिंसं वा यावत्तावद्विशोधयन् ।

विशुद्धः कृत्स्नसंशुद्धौ मासिकं समुदाहृतं । १०३ ।

अर्थ—अथवा जितने वर्तनों पर दाल भात आदि अन्न-पान चिपटा हुआ है उतने वर्तनोंको प्रक्षालन करनेवाला विशुद्ध है प्रायश्चित्तका भाग नहीं है । और जिनपर अन्न पान चिपटा हुआ है और नहीं भी चिपटा हुआ है उन सबके प्रक्षालन करनेका पंचकल्याणक प्रायश्चित्त कहा गया है । अथवा यह प्रायश्चित्त वैयावृत्यके निमित्त पात्रोंको धोने और अपने वस्त्र, भिन्नाके पात्र आदि उपकरणोंके धोनेमें आर्यिकाके लिए समझना चाहिए ॥ १०३ ॥

वृषादिवारणे शुद्धः स्याद्वर्षासु तु पंचकं ।

सागारवसतौ स्तेनप्रवेशो जोषमास्थितः ॥ १०४ ॥

वीक्ष्यमाणहृतौ मासः कल्याणमहृतावृतोः ।

वसतावनले स्तेनप्रविष्टे शब्दकृच्छुचिः ॥ १०५ ॥

अर्थ—वैल, घोड़े, गधे, आदिको रोक देने-भीतर न आने देनेका प्रायश्चित्त कुछ नहीं है । वर्षाकालमें रोक देनेका कल्या-

णक प्रायश्चित्त है। किसी गृहस्थके चैतालयमें सोते हुए भीतर चौर घुस आवे, आप चुपचाप बैठा रहे, उसके देखते देखते चौर चौरीकर माल ले जाय तो पंचकल्याणक प्रायश्चित्त है। माल चुराकर न ले जाय तो कल्याणक प्रायश्चित्त है। तथा दो पास-से ऊपर वहीं ठहरा रहे—अर्थात् वर्षाकाल बीत जाने पर भी गृहस्थके मकान पर निवास कर रहा हो उस समय मकानमें अग्नि लग जाय या चौर घुस आवे तो ‘मकानमें आग लग गई, चौर घुस आये’ इस प्रकार शब्द करे तो थुचि-निर्दोष है—उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं ॥ १०४-१०५ ॥

पश्चात्कर्मभयात् सम्यग्भग्नमुत्पत्तिं स्वयं ।

संस्कुर्वन् प्रासुकैः शुद्धो वर्षाभ्यः पंचकं ब्रजेत् ॥

अर्थ—यह अवश्य करना चाहिए इसको पश्चात्कर्म कहते हैं। इस पश्चात्कर्मके भयसे गिर पड़नेसे उत्पन्न हुए धावका स्वयं प्रासुकद्रव्योंसे संस्कार (इलाज) करनेवाला शुद्ध है—प्रायश्चित्तका भागी नहीं है। तथा वर्षाकालके अनन्तर संस्कार करनेवाला कल्याणक प्रायश्चित्तका भागी होता है ॥ १०६ ॥

सम्यग्दृष्टिरिति स्नेहं वात्सल्याद्विदध्यच्छुचिः ।

शय्यागारादिकस्यापि वैयावृत्ये विजन्तुकैः ॥

अर्थ—“यह सम्यग्दृष्टि है” इस कारण वात्सल्यर्थके अनु-रागवश उस पर स्नेह करनेवाला साधु पवित्र है, प्रायश्चित्तका

अधिकारी नहीं है। तथा गृहपति, आदि शब्दसे दानपतिका प्रापुकद्रव्यसे वैयावृत्य करनेवाला भी निर्दोष है—अतः प्रायश्चित्तका भागी नहीं है। शश्यागर शब्दका अर्थ गृहपति है। गृहपति शब्दसे वह गृहपति समझना चाहिए जिसके किमकानमें ठहरे हुए हैं ॥ १०७ ॥

**अन्यतीर्थिगृहस्थेषु श्रावकज्ञातिकादिषु ।
वैयावृत्ये कृते शुद्धो यदि संयमसन्मुखः ॥ १०८ ॥**

अर्थ—कापालिक आदि गृहस्थोंका, सम्बद्धिश्रावकोंका, अपने स्वजनोंका, आदि शब्दसे औरोंका भी वैयावृत्य करने पर यदि वह वैयावृत्य करनेवाला संयम पालनेमें तत्पर है तो शुद्ध है—प्रायश्चित्तका भागी नहीं है ॥ १०८ ॥

**अभ्युत्थास्यत्ययं हीति ज्ञात्वा पार्श्वस्थकादिकैः ।
समाचरन् शुचिः खोकं सर्वसंभोगभागपि ॥**

अर्थ—यह आसनसे उठकर खड़ा होगा ऐसा समझ कर पार्श्वस्थ, कुशील, अवसन्न, मृगचारी और संसक्त इन पांचोंके साथ उचित व्यवहार या समान आचरण करनेवाला साधु पवित्र है, निर्दोष है—प्रायश्चित्तका भागी नहीं है तथा स्वल्पकाल पर्यंत विनय वंदना स्वाध्याय आदि करता हुआ भी पवित्र है। अनन्तर यदि वे पार्श्वस्थादि अभ्युत्थानः अर्थात् उठ कर खड़े न हों तो सर्वसंभोग विनयवंदना स्वाध्याय आदिन करेंगे।

शुद्धोऽभिवंदमानोऽपि पार्श्वस्थगणिनं ग्रणी ।
शेषानपि च शेषाश्च संधे श्रुत्पथ मासिकं ॥११०॥

अर्थ—सदाचारो आचार्य पार्श्वस्थ आचार्यको नमस्कार करता हुआ भी शुद्धनिर्दोष है और आचार्यको छोड़कर अन्य मुनि भी पार्श्वस्थ मुनियोंको वंदना करते हुए पवित्र हैं । अथवा भारी जनसमुदायके जुहने पर शास्त्र ग्रहण करे या शास्त्र-श्रवण-को छोड़कर यदि सब मुनि पार्श्वस्थ मुनिको नमस्कार करे तो उस सम्मुनिको मासिक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ११० ॥

स्नेहमुत्पादयन् कुर्यात् सुवागिभर्धम्भाषणं ।
राजरक्षिकतत्प्राये संशुद्धो गणरक्षणात् ॥ १११ ॥

अर्थ—संघकी रक्षाके निमित्त, स्नेह उत्पन्न करते हुए, राजा, कोहपाल, तत्प्राय शब्दसे तत्सहज सेनापति, पुरोहित, पंची आदिको नर्म-सुमधुर भाषणों द्वारा यदि धर्मोपदेश दे तो निर्दोष है ॥ १११ ॥

अभ्युत्थानेऽभिगत्यादौ सागरेष्वन्यलिंगिषु ।
दीक्षादिकारणाच्छुद्धो गौरवान्मासमृच्छति ॥

अर्थ—आसनसे उठ कर खड़ा होना, सामने आना, बैठने-को आसन देना, सम्मान करना, अपना मुख फुलित बनाना, मुखको मुसकराहट द्वारा अपना आन्तरंगिक भाव व्यक्त करना, मधुर वचन बोलना इत्यादि उपचार चिन्त

शृहस्यों और अन्य लिंगियोंके करने पर यह संयम सम्यक्त्व आदि धारण करेगा इस अभिप्रायसे उनके साथ उचित प्रत्युपचार करे तो निर्देष है— उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं । यदि अपनी मान बड़ाई-निमित्त प्रत्युपचार करे तो पंचकल्याणक प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥

अभ्युत्थानेऽथ वैद्यस्य ग्लानकारणसंश्रयात् ।
राजासन्नासनारोहे सूरिसूर्यो न दुष्यति ॥ १३ ॥

अर्थ—रोगीके निमित्तको पाकर वैद्यके अर्थ आसनसे उठने और राजाके सपोप सिंहासन पर बैठने पर आचार्य दोष युक्त नहीं होता । भावार्थ—संघका कोई मुनि बीमार हो जाय उसके इलाजके लिए वैद्य आवे तब उसे देख कर आचार्य अपने आसनसे उठ कर खड़ा हो जाय तथा राजसभामें राजाके पास सिंहासन पर बैठ जाय तो इसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है ॥ १३ ॥

भूपालेश्वरमुख्याद्याः पूजयन्त्यभिगम्य चेत् ।
शुद्धभावो विशुद्धः स्यात् गौरवे मासिकं भवेत् ॥

अर्थ—राजा व अन्य प्रधान पुरुष, सेठ, सेनापति, पुरोहित मन्त्री आदि सायंत आकर यदि पूजा करें उस समय वह साधु यदरहित शुद्धभाव युक्त रहे तो विशुद्ध है इसका कोई प्रायश्चित्त नहीं । किन्तु यदि वह इस सन्मानको पाकर ‘प्येरे इस तरहकी

विभूति है” इस प्रकार अर्खवं गर्वके पर्वत पर आस्थ हो जाय तो उसे पंचकल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ११४ ॥

रससात्मदे वृष्ट्यरसस्पर्शार्थिसेवने ।

च्युतेऽनात्मवशस्यापि पंचकल्याणमुच्यते । ११५ ।

अर्थ—मुझे ऐसे ऐसे बढ़िया घी, शक्कर, दूध आदि रस प्राप्त होते हैं, मुझे इस प्रकारका उत्तम सुख है इस प्रकार रसों और सुखके विषयमें गर्व करनेका तथा इन्द्रियरूप हाथीको मदोन्मन्ता करनेवाले पौष्टिक रसों और स्पर्शन इन्द्रियके विषय कठोर, नर्प, भारी, लघु आदि पदार्थोंके सेवन करनेका तथा कामकी परवश ताके कारण वीर्यपात हो जानेका पंचकल्याणक प्रायश्चित्त कहा गया है ॥ ११५ ॥

उपसर्गे सगंधादेवस्तांबूललेपने ।

प्रत्याख्यानस्य भुक्तौ च गुरुमासोऽथ पंचकं ॥

अर्थ—सगंध नाम स्वजनोंका है। आदि शब्दसे राजा, शत्रु प्रभृतिका ग्रहण है। इनके उपसर्गवश वस्त्र पहनने पड़े, ताम्बूल भक्षण करना पड़े, चंदन, केशर, कपूर आदिका शरीरमें लेपन करना पड़े तथा साग की हुई भिन्नाका भोजन करना पड़े तो पंचकल्याणक और कल्याणक प्रायश्चित्त है।

भावार्थ—राजा, शत्रु, स्वजन आदिके उपसर्गवश ताम्बूल भक्षण करने विलेपन करने आदिका कल्याणक प्रायश्चित्त है और वह

परिधारण करने आदिका पंचकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥१६॥

**मैथुने रात्रिभुक्तौ च स्वस्थानं परिकीर्तिं ।
स्त्रियोः संधौ प्रसुसस्य मनोरोधान् दूषणं ॥१७॥**

अर्थ—उपसर्गवश मैथुन सेवन करने आर रात्रिमें भोजन करनेका प्रायश्चित्त पंचकल्याणक कहा गया है । यह प्रायश्चित्त उसकं परिणामोंकी जातिका विचार कर देना चाहिए । तथा दो स्त्रियोंके वीचमें सोये हुए साधुके लिए मनको रोकनेके कारण कोई दूषण नहीं है । भावार्थ—ऐसा याका आजाय कि दोनों तरफसे दो स्त्रियां सोई हुई हैं और वीचमें आप सोया हुआ हो, पर यनमें कोई तरहका विकार भाव उत्पन्न नहीं हुआ हो तो उस साधुके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है ॥१६॥

**आवश्यकमकुर्वाणः स्वाध्यायान् लघुमासिकं ।
एकैकं वाप्रलेखायां कल्याणं दंडमश्नुते ॥१८॥**

अर्थ—जो साधु सामायिक, चतुर्विंशतिस्तूव, वंदना, प्रतिक्रियण, प्रत्यारूप्यान और कायोत्सर्ग इन छह आवश्यक क्रियाओंको और दो स्वाध्याय दिनके और दो रातके एवं चार तरहके स्वाध्याओंको न करे तो वह लघुमास प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है तथा इन छह आवश्यक क्रियाओंमेंसे एक एकको न करे और संस्तर उपकरण आदिका प्रतिलेखन न करे तो कल्याणक प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥१८॥

बंदनायास्तनृत्सर्गेऽप्येकादौ विस्मृते त्रिषु ।

पुरुमंडलमाचाम्लं क्षमणं च यथाक्रमं ॥ ११९ ॥

अर्थ—बंदना और कायोत्सर्गके एक बार, दोबार और तीन बार भूल जानेका क्रमसे पुरुमंडल, आचाम्ल और उपवास प्रायश्चित्त है । मावार्थ—एक बार भूलनेका पुरुमंडल, दो बार भूलनेका आचाम्ल और तीन बार भूलनेका उपवास प्रायश्चित्त है ॥ ११९ ॥

एकादिके गुरोरादौ कायोत्सर्गस्य पारणे ।

पुरुमंडलमाचाम्लं क्षमणं च यथाक्रमं ॥ १२० ॥

अर्थ—यदि एक बार या दो बार या तीन बार आचार्यके पहले कायोत्सर्ग समाप्त करे तो उसका क्रमसे पुरुमंडल, आचाम्ल और क्षमण प्रायश्चित्त है ॥ १२० ॥

कारणाद्वा गुरोः पश्चात् कायोत्सर्ग समाप्येत् ।

सकृदूद्विस्त्रिः पुरुमर्देऽप्याचाम्लं चैकसंस्थितिः ॥

अर्थ—यदि किसी कारणवश एक बार, दो बार या तीन बार आचार्यके पश्चात् कायोत्सर्ग समाप्त करे तो उसका क्रमसे पुरुमंडल आचाम्ल और एकस्थान प्रायश्चित्त है ॥ १२१ ॥

आसेधिकां निषद्यां वा न कुर्यात्यादिके निशि ।

अनाहारोऽम्लमुक्तिश्च पुरुमंडलमेव च ॥ १२२ ॥

अर्थ—रात्रिके समय तीन बार, दो बार या एक बार आसे-

धिका और निषेधिका न करे तो उसका क्रमसे उपवास, आचाम्ल और पुरुमंडल प्रायश्चित्त है । भावार्थ—कंदरा पवेशकी गुफा, गङ्घर, मठ, चौसालय आदिसे निकलते समय वहाँ रहनेवाले नाग यज्ञ आदिको ‘असाहि असाहि असाहि’ इन वचनोंद्वारा पूछ कर निकलना आसेधिका क्रिया है । तथा प्रवेश करते समय ‘निसाहि निसाहि निसाहि’ इन वचनोंद्वारा पूछना निषेधिका क्रिया है । इन क्रियाओंको रात्रिके समय उक्त स्थानोंमें प्रवेश करते समय और निकलते समय तीन बार न करे तो उपवास, दो बार न करे तो आचाम्ल और एक बार न करे तो पुरुमंडल प्रायश्चित्तका भग्नी होता है ॥ १२२ ॥

आसेधिकां निषद्यां च मिथ्याकारं निमंत्रणं ।
इच्छाकारं न यः कुर्यात्तद्वंडः पुरुमंडलं ॥१२३॥

अर्थ—जो साधु आसेधिका, निषेधिका, मिथ्याकार, निमंत्रण और इच्छाकार न करे तो उसका (न करनेका) पुरुमंडल प्रायश्चित्त है । आसेधिका और निषेधिकाका स्वरूप ऊपर कह चुके हैं । अपराध बन जाने पर ‘भेरा अपराध मिथ्या हो’ इसे मिथ्याकार कहते हैं । साधर्मी धर्मसे पुस्तक कम्बड्लु आदि उपकरणोंको विनयपूर्वक मांगना निमंत्रण है । तथा आचार्य और उनके उपदेशादिकोंमें अनुकूलता रखना इच्छाकार है ॥ १२३ ॥

उत्कृष्टं मध्यमं नीचमदत्तं स्वीकरोति यः ।

उपर्धि लघुमासोऽस्य पंचकं पुरुमंडलं ॥ १२४ ॥

अर्थ—जो यति विना दिये हुए पुस्तक आदि उत्कृष्ट उपकरण, पिच्छि आदि यध्यप उपकरण और कमंडलु आदि जघन्य उपकरण ग्रहण करता है उसके लिए क्रमसे लघुमास, कल्याणक और पुरुमंडल प्रायश्चित्त है। भावार्थ—उत्कृष्टका लघुमास, मध्यपका कल्याणक और जघन्यका पुरुमंडल प्रायश्चित्त है ॥ संज्ञाविहारभिक्षासु पुरुमंडलमीडितं ।

क्रोशादिग्रामगतावप्यनापृच्छ्य गुरुं गते ॥ १२५ ॥

अर्थ—आचार्यको पूछे विना संज्ञा—पलत्याग करने, दूसरी बसतीको जाने, भिक्षाके लिए जाने, तथा एक कोश, दो कोश, तीन कोश आदि दूरवर्ती अन्य ग्रामको जानेका प्रायश्चित्त पुरुमंडल कहा गया है ॥ १२५ ॥

साधारणाशनासेवे स्थापनावेशमवेशने ।

ज्ञात्वा संज्ञिकुलादीनि पूर्ववेशिनि पंचकं ॥ १२६ ॥

अर्थ—अपरिमित आहार ग्रहण करनेका, चार या पांच आदमी जिसमें निवास करते हों ऐसे मकानमें प्रवेश करनेका और आवकोंके घर आदि समझ कर पहले प्रवेश करनेका पंचक-कल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ १२६ ॥

अन्यदत्तोपद्येः स्थानमन्यो गत्वा तमाददत् ।

लभते मूलं रूपव्यत्ययकारिणः ॥ १२७ ॥

अर्थ— ग्रन्थके लिए दिये हुये उपकरणके स्थान पर जाकर यदि उस उपकरणको दूसरा दीक्षित मुनि ग्रहण करे तो वह पंचकल्याणक प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है तथा लिंगको विपरीत करनेवाले-वेष वदेलनेवाले यतिको मध्य दिनसे ले कर मूल अर्थात् पुनर्दीक्षा नामका प्रायश्चित्त देना चाहिये ॥ १२७ ॥

अतिबालमलंबृद्धं दीक्षयन् मासमश्नुते ।
वसतिं च व्यवच्छिदन् छेदे मूले गणी तपः ॥

अर्थ— अतिवालको और अतिबृद्धको दोक्षा देनेवाला तथा वसति-दी हुई शव्यामें विघ्न पाड़नेवाला आचार्य पंचकल्याणक प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । तथा छेद और मूल इन दो प्रायश्चित्तोंके प्राप्त होनेपर वह आचार्य उपवासादि तप प्रायश्चित्तको ही प्राप्त होता है ॥ १२८ ॥

एवमादि तपो देयं शेषं चापि यथोचितं ।
प्रतिसेवासु सर्वासु सम्यगालोच्य सूरिणा । १२९ ।

— इस प्रकार तप प्रायश्चित्त देना चाहिये तथा सर्वप्रकारकी प्रतिसेवाओं—दोषाचरणोंके होने पर उनका अच्छी तरह विचार कर आचार्य यथोचित शेष प्रायश्चित्त भी देवे ॥

इति प्रतिसेवाधिकारो द्वितीयः ॥ २ ॥

१—पर्व भावोपयुक्तेषु मासिकं समुदाहृतं ।

छेदे मूले च संप्राप्ते तप एव गणेशिनः ॥

यह श्लोक मूल प्रतिमें है ।

३—कालाधिकार ।

अब कालका वर्णन करते हैं,—

शीतः साधारणो धर्मस्त्रेधा कालः प्रकीर्तिः ।
उत्कृष्टं मध्यमं नीचं तत्र भाज्यं तपो भवेत् ॥१३०॥

अर्थ—काल तीन प्रकारका कहा गया है। शीतकाल, वर्षाकाल और ग्रीष्मकाल। इन तीनों कालोंमें उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य उपवासादि तप देना चाहिये ॥ १३० ॥

कौनसे कालमें कौनसा उत्कृष्ट तप देना चाहिये यह बताते हैं—

वर्षासु द्वादशं देयं दशमं च हिमागम ।
अष्टमं ग्रीष्मकाले स्यादेतदुत्कर्षतस्तपः ॥ १३१ ॥

अर्थ—वर्षाकालमें द्वादश-पांच उपवास, शीतकालमें दशम-चार उपवास और ग्रीष्मकालमें अष्टम-तीन उपवास व्यवधान-रहित देने चाहिये। यह उत्कर्ष तप है ॥ १३१ ॥

आगे मध्यम तप कितना देना चाहिए यह बताते हैं—

वर्षासु दशमं देयं अष्टमं हिमागमे ।
षष्ठं स्याद् ग्रीष्मकालेऽपि तप एतद्वि मध्यमं ॥

अर्थ—वर्षाकालमें दशम-चार उपवास, शीतकालमें अष्टम-

तीन उपवास और ग्रीष्मकालमें षष्ठि-दो उपवास निरंतर देते चाहिए । यह तीनों कालोंमें देनेयोग्य मध्यम तप है ॥ १३२ ॥

अब जघन्य तप कितना देना चाहिये यह बताया जाता है—
वर्षाकालेऽष्टमं देयं षष्ठमेव हिमागमे ।

चतुर्थं ग्रीष्मकाले स्यात्तप एव जघन्यकं । १३३ ।

अर्थ—वर्षाकालमें अष्टम-तीन उपवास, शीतकालमें षष्ठि-दो उपवास और ग्रीष्मकालमें चतुर्थ-एक उपवास व्यवधानरहित देने चाहिए । यह तीनों कालोंमें देने योग्य जघन्य तप है ॥

अगे दूसरी तरह कालका और तपका विभाग करते हैं—
अथवा द्विविधः कालो गुरुर्लघुरिति क्रमात् ।
शरद्वसन्ततापाः स्युर्गुरवो लघवः परे ॥ १३४ ॥

अर्थ—अथवा गुरुकाल और लघुकाल इस क्रमसे काल दो प्रकारका है । शरद, वसंत और ग्रीष्म ये तीन गुरुकाल हैं । अब शिष्ठ वर्षा शिशिर और हेमन्त ये तीन लघुकाल हैं । भावार्थ—एक वर्षमें छह ऋतुएँ होती हैं और बारह महीनेका एक वर्ष होता है तथा दो दो पहीनेकी एक एक ऋतु होती है उनके नाम शरद, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर और हेमन्त हैं । आसोज और कार्तिक ये दो पहोने शरद् ऋतुके, चौत्र और वैशाख ये दो वसंत ऋतुके, द्येषु और आषाढ़ ये दो ग्रीष्म ऋतुके, श्रावण और भाद्रपद ये दो वर्षा ऋतुके, पगसिर और पूष ये दो हेमन्त

ऋतुके तथा माघ और फालगुन ये दो शिशिर ऋतुके हैं। उक्त छह ऋतुओंमें पहलेकी तीन ऋतुएं तो गुरुकाल हैं और आगेकी तीन ऋतुएं लघुकाल हैं ॥ १३४ ॥

लघुद्वंद्वो गुरुद्वंद्वो गुरुकालस्तपो गुरुः ।

गुरुरन्यतरः पञ्च भंगाः कालतपोद्यात् ॥ १३५ ॥

अर्थ—लघुद्वंद्व—काललघु और तप भी लघु, गुरुद्वंद्व—काल गुरु और तप भी गुरु, गुरुकाल—कालगुरु, तपो गुरु—गुरु तप और अन्यतर गुरु—दोनोंमेंसे एक गुरु इस तरह काल और तप दोनोंके पांच भंग होते हैं । **भावार्थ—**काल और तप दोनोंको लेकर भंग निकालना चाहिये । लघुकी संदृष्टि १ है और गुरुकी २ है । लघु काल और लघु तप इन दोनोंको एक अंकके आकारमें ऊपर स्थापन करना चाहिये तथा गुरु काल और गुरु तप इन दोनोंको दो अंकके आकारमें नीचे स्थापन करना चाहिये । इनकी इस तरह १ १ संदृष्टि स्थापन कर भंग लाना चाहिये । शिशिर, वर्षा और हेमन्त ये तीन काल लघु हैं इनमें तप भी लघु कहा गया है एवं लघु काल और लघु तप नामका पहला १ भंग होता है । काल गुरु और तप लघु, तप गुरु और काल लघु एवं काल और तपमेंसे एक गुरु लघुका दूसरा २ २ भंग होता है । काल गुरु और तप लघु अथवा गुरु यह तीसरा ३ भंग होता है । तप गुरु और काल गुरु अथवा लघु यह

चौथा इ मंग होता है । तथा काल गुरु और तप भी गुरु यह पांचवां इ मंग होता है । इनकी पूर्ण प्रस्तार संदृष्टि—

१, २-१, २, ३, २,

१, १-२, ३, २, २, यह है ॥ २३५ ॥

इति श्रीनंदिगुहविरचिते प्रायश्चित्तसमुद्दये
कालाधिकारस्तृतीयः ॥ ३ ॥

४—क्षेत्राधिकार ।

अब क्षेत्र अधिकारका कथन करते हैं—

क्षेत्रं नानाविधं ज्ञेयं गणेन्द्रेणाटता भुवं ।

अथवा दशधा क्षेत्रं विज्ञेयं हि समासतः ॥ १३६ ॥

अर्थ—पृथ्वीतल पर विहार करनेवाले आचार्यको क्षेत्रके अनेक भेद जानने चाहिये । अथवा संक्षेपसे क्षेत्र दश प्रकारका समझना चाहिये । भावार्थ—क्षेत्र नाम देशका है । कोई देश प्रासुक-जीवोंके अधिक संचारसे रहित होते हैं, कोई अप्रासुक-जीवोंके अधिक संचारसे पूर्ण होते हैं । कहीं संयमी होते हैं, कहीं नहीं होते । कहीं मिळा मिलना सुलभ होता है, कहीं दुर्लभ होता है । कहींके लोग भद्रपरिणामी होते हैं, कहींके रौद्रपरिणामी होते हैं इत्यादि देशके अनेक भेद हैं अथवा संक्षेपतः देशके दश भेद हैं ॥ १३६ ॥

आगे दश प्रकारके क्षेत्रके नाम बताते हैं—
 अनूपं जांगलं क्षेत्रं भक्तकल्पाषशक्तुयुक् ।
 रसधान्यपुलाकं च यवागूकंदमूलं ॥ १३७ ॥

अर्थ—अनूप, जांगल, भक्तयुक्, कल्पाषयुक्, शक्तयुक्, रस-
 पुलाक, धान्यपुलाक, यवागू, कंद और मूल ऐसे क्षेत्रके दश भेद
 हैं। जहां पर पानी अधिक हो वह अनूप देश है जैसे—मगव,
 मलथ, वानवास, कोंकण, सिंधु आदि। जहां दो इंद्रिय आदि
 त्रस जीवोंकी उत्पत्ति तो अधिक हो पर पानी कम हो वह जांगल
 देश है। जहां तुष धान्य प्रचुरतासे पैदा होता हो, दमेशह ओदन
 (भात) खाया जाता हो वह भक्त-क्षेत्र है। जहां पर कुलथ,
 मूँग, उड़द आदि कोशधान्य (फलीमें उत्पन्न होनेवाले धान्य)
 अधिक उत्पन्न होते हों वह कल्पाष क्षेत्र है। जहां जौ खब पैदा
 होता हो, सत्तृ खब खाया जाता हो वह शक्तु क्षेत्र है। जहां
 दूध, दही घी आदि बल बढ़ानेवाले रस अधिक होते हों वह रस-
 पुलाक क्षेत्र है। जहां कटुभांड () जौ, गेहूं, शाली,
 त्रीही आदि तृणधान्य उत्पन्न होते हों वह धान्यपुलाक क्षेत्र
 है। जहां यवागू (लपसी) विलेपिका () आदि
 खब खाये जाते हों वह यवागू क्षेत्र है। जहां सूरण, रक्तालु,
 पिंडालु आदि कंद बहुत होते हों वह कंद-क्षेत्र है और जहां
 नाना प्रकारके मूल—हलदी, अदरख आदि उत्पन्न होते हों वह
 मूल क्षेत्र है ॥ १३७ ॥

किस क्षेत्रमें कितना प्रायश्चित्त देना चाहिये यह बताते हैं—
शीतलं यद्भवेद्यन्तं रससंसृष्टभोजनं ।
तत्रोत्कृष्टं तपो देयमुष्णे रूक्षे तु हीनकं ॥१३८॥

अर्थ—जो क्षेत्र ठंडा हो जहां पर कि दूध, दही आदि रसों-
के साथ प्रचुरतासे भोजन खाया जाता हो ऐसे मगध आदि
देशोंमें उत्कृष्ट तप प्रायश्चित्त देना चाहिये । तथा मारवाड़,
विषय, आनक, पारिपात्र, मालव आदि उष्ण क्षेत्रोंमें जहां पर
कि रूक्ष आहार अधिक मिलता हो वहां बहुत थोड़ा प्रायश्चित्त
देना चाहिये ॥ १३८ ॥

इति श्रीनंदिगुरुविरचिते प्रायश्चित्तसमुच्चये
क्षेत्राधिकारश्चतुर्थः ॥ ४ ॥

५-आहारलाभाधिकार ।

यत्रोत्कृष्टो भवेत्ताभः तत्रोत्कृष्टं तपो भवेत् ।
मध्यमेऽपीषदूनं च रूक्षे क्षमणवर्जितं ॥ १३९॥

अर्थ—जिस क्षेत्रमें उत्कृष्ट आहारलाभ हो जहांके संक्षी
अथवा मिथ्यादृष्टि लोग श्रद्धा आदि गुणांसे युक्त हों, मूस्तिग्नध,
मधुर नाना तरहके अच्छे अच्छे आहार देते हों वहां उत्कृष्ट
प्रायश्चित्त देना चाहिये और जहां मध्यम दर्जेका लाभ होता हो

वहां पूर्वोक्त प्रायश्चित्तसे हीनं प्रायश्चित्त देना चाहिये तथा जिस देशमें कांजिक, कंगु, कोद्रव आदि रूखा भोजन मिलता हो वहां उपवासके बिना आचाम्ल, निर्विङ्गति, पुरुषंडल, एकभक्त, आदि प्रायश्चित्त देने चाहिये ॥ १३६ ॥

इति श्रीनंदिगुहविरचिते प्रायश्चित्तसमुच्चये
आहारलाभाधिकारः पञ्चमः ॥ ५ ॥

—:०:—

६—पुरुषाधिकार ।

इति सेवां च कालं च क्षेत्रमौषधिलंभनं ।

अनुसृज्य तपो देयं पुमांसं च गणेशिना ॥ १४० ॥

अर्थ—पूर्वोक्त प्रकारसे प्रतिसेवा, काल, क्षेत्र, आहारलाभ तथा पुरुषका विचार कर आचार्य प्रायश्चित्त देवें । भावार्थ-प्रतिसेवा नाम दोषाचरणका है वह दोषाचरण आगाढ़कारणकृत सकृत्कारी सानुवीचो प्रयत्नप्रतिसेवी आदि अनेक प्रकार हैं । उसपर विचार कर प्रायश्चित्त देना चाहिए । इसी तरह शीतकाल उषणकाल और वर्षाकालका भी विचार करना चाहिए । अप्रापुक द्वेत्र जो समुद्रके नजदीके हो अथवा और कोई दूसरा द्वेत्र जिसमें त्रस-स्थावर जीव अधिक हों, जहां पर निवास करने से बहुत दोष उत्पन्न होते हाँ उसका भी विचार करना चाहिए । आहारके लाभ-अलाभको भी विचारना चाहिए । एवं

पुरुष और उसको शक्ति धैर्य आदि पर भी विचार करना चाहिए इन सबका अच्छी तरह विचार कर प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १४० ॥

आगे पुरुषको बताते हैं—

अश्राद्धोऽथ मृदुर्गर्वी गीतार्थश्चेतरोऽल्पवित् ।
दुर्बलो नीचसंघातः सर्वपूर्णस्तथार्यिका ॥ १४१ ॥

अर्थ—श्राद्धा नाम अभिलाष-हचिका है, वह जिसके हो वह श्राद्ध अर्थात् श्रद्धावान् है। जो श्राद्ध नहीं श्रद्धारहित है वह अश्राद्ध है। मृदु नाम नम्रका है। गर्वी मानीको कहते हैं। जिसने जीवादि पदार्थ जाने हैं वह गीतार्थ है। इतर नाम अगीतार्थका है, जिसको जीवादि पदार्थोंका ज्ञान नहीं है जो अल्प शास्त्र जानता है वह अल्पवित् है। दुर्बल नाम वलरहित निर्वलका है। जिसके जघन्य संहनन है वह नीचसंघातवाला कहा जाता है। जो सब गुणोंमें समान है वह सर्वपूर्ण है। तथा आर्यिका अर्थात् संयतिका ये दश पुरुष हैं इनका विचार कर प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १४१ ॥

गर्वितो द्विविधो ज्ञेयो दीक्षया तपसा बली ।
छेदेन छेद्यमानोऽपि पर्यायी गर्वितो भेवेत् ॥ १४२ ॥

अर्थ—अभिमानी दो तरहका जानना। एक दीक्षाभिमानी और दूसरा तपोभिमानी। जो छेद प्रायश्चित्त द्वारा दीक्षा छेद

देने योग्य होते हुए भी क्षेद प्रायश्चित्तको नहीं चाहता है और कहता है कि मैं तो बहुत कालका दात्तित हूँ मुझे क्षेद प्रायश्चित्त क्यों दिया जाता है या मेरी दीक्षा क्यों क्षेदी जाती है। इस तरह चिरदीक्षित होनेका अभिमान करता है वह दीक्षा-भिमानी है ॥ १४२ ॥ तथा—

तपोबली तपोदाने समर्थोऽ हमिति स्मयी ।

तस्मात्तद्वोषमोषार्थं विपरीतं तपो भवेत् ॥ १४३ ॥

अर्थ—मैं उपवासादि प्रायश्चित्तके योग्य हूँ अन्य प्रायश्चित्त के नहीं, इस तरह जो गर्व करता है वह तपोबलो अर्थात् तपोभिमानी है। इसलिए क्षेद प्रायश्चित्त न चाहने और तप चाहने रूप दोषोंकी शुद्धिके अर्थ विपरीत प्रायश्चित्त देना चाहिए। भावार्थ—क्षेद प्रायश्चित्त चाहनेवालेको उपवासादि और उपवासादि चाहने वालेको क्षेद प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १४३ ॥

मृदुश्छेदे च मूले च दीयमाने प्रहृष्यति ।

बंधो हि सर्वथा साधुस्तत्सौदीयते तपः ॥ १४४ ॥

अर्थ—जो क्षेद और मूल प्रायश्चित्त देने पर भी संतोष धारण करता है वह मृदु पुरुष है। वह कहता है कि साधु सर्वथा बंदना करने योग्य हैं अगर मैंने साधुओंको पहले नमस्कार किया तो किया यदि वादमें नमस्कार किया तौ नमस्कार किया।—क्षेदादि प्रायश्चित्तके पहले, संघके पश्चात्दीक्षित साधु

पूर्वदीक्षितको पहले नमस्कार करते हैं और वह पूर्वदीक्षित उन पश्चात्दीक्षितोंको बादमें नमस्कार करता है । छेद आदि प्रायश्चित्तके देने पर वह पूर्वदीक्षित उन पश्चात्दीक्षितोंको पहले नमस्कार करता है और पश्चात्दीक्षित पूर्वदीक्षितको पीछे नमस्कार करते हैं । ऐसी दशामें वह मृदु परिणामी विचार करता है कि पश्चात्दीक्षित साधुओंने आकर मुझे पहले नमस्कार किया और मैंने बादमें किया तो किया और यदि उनको मैंने पहले नमस्कार किया तो किया इसमें मेरो क्या हानि है ? इस तरह जो अपने मृदु परिणामों द्वारा छेद प्रायश्चित्तसे अनि�च्छा प्रकट नहीं करता है उसको उपवासादि प्रायश्चित्त देना चाहिए । छेद और मूल प्रायश्चित्त नहीं देना चाहिए ॥ १४४ ॥

**प्राज्यं तपो न कुर्वाणः किं शुद्धयेच्छेदमूलतः ।
गुर्वाज्ञामात्रतोऽश्रद्धाने देयं तपस्ततः ॥१४५॥**

अर्थ—जो वडे वडे उपवासादि तपश्चरण नहीं करता है वह गुरुको आज्ञासे प्राप्त केवल छेद और मूलसे क्या निर्दोष होगा ? इस तरह श्रद्धान न करनेवालेको उपवासादि प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १४५ ॥

**गीतार्थे स्यात्तपः सर्वं स्थापनारहितोऽपरः ।
छेदो मूलं परीहारे मासश्चाल्पश्रुतेऽपि च ॥१४६॥**

अर्थ—गीतार्थ दो तरहका है । एक सापेक्ष और दूसरा निर-

पेत् । उन्हें सापेत् गुरुके निकट जाकर अपनी निन्दा और गहरा करता हुआ आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सर्ग और तप इन छह प्रायश्चित्तों द्वारा अपनी शुद्धि करता है । छेद, मूल, अनुपस्थापन और पारंचिक ये च.र. प्रायश्चित्त उसके नहीं होते । निरपेत् दश प्रकारके आलोचनादि प्रायश्चित्तोंको गुरु-साक्षी पूर्वक अथवा आत्म-साक्षी पूर्वक करके विद्युद्ध होता है । अगोत्तर्ध, स्थापना प्रायश्चित्तरहित है अर्थात् उसे स्थापना—छेद, मूल, परिहार ये प्रायश्चित्त नहीं देने चाहिए अथवा स्थापना नाम परिहारका है वह उसे नहीं देना चाहिए, अत्रशिष्ट नव प्रकारका प्रायश्चित्त देना चाहिए । तथा अल्पश्रुतको मास (पंच कल्याणक) प्रायश्चित्त देना चाहिए और परिहार प्रायश्चित्तके योग्य हो जाने पर उसीको छेद और मूल प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १४६ ॥

देहंबल्यवलो धृत्या धृतिवल्यं गदुर्वलः ।

द्वाभ्यामपि वली कश्चित् कश्चिद् द्वितयदुर्वलः ॥

अर्थ—कोई साधु देहमें तो वली होते हैं परंतु धैर्यहीन होते हैं, कोई शरोरमें दुर्वल होते हैं परंतु धैर्यवाले होते हैं, कोई देह और धैर्य दोनोंमें वलिष्ठ होते हैं और कोई देह और धैर्य दोनोंमें वलरहित होते हैं ॥ १४७ ॥ इसलिये—

१ यह श्लोक टीका पुस्तकमें लेखकके प्रसादसे छूट गया है ।

सर्वं तपो वलोपेते धृत्या हीने धृतिप्रदं ।
देहदुर्बलमाश्रित्य लघु देयं द्विवर्जिते ॥ १४८ ॥

अर्थ—शरीर वलसे परिपूर्ण व्यक्तिको आलोचना आदि दर्शां प्रायश्चित्त देने चाहिए । धृतिरहितको धैर्य प्रदान करने वाला तप देना चाहिए अर्थात् जिस किसी प्रायश्चित्तके देनेसे उसको धैर्य हो वहो प्रायश्चित्त उसे देना चाहिए । शरीरवल रहित पुरुषका जिस प्रायश्चित्तके देनसे उसका शरीर वल तदवस्थ रहे वही प्रायश्चित्त उसे देना चाहिए । तथा धृतिरहित और शरीर वल रहित व्यक्तिको पहलेसे भी जघु प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १४८ ॥

अन्त्यसंहननोपेतो वलवानागमान्तगः ।
तस्य देयं तपः सर्वं परिहारेऽपि मूलगः ॥ १४९ ॥

अर्थ—जो अर्धनाराच संहनन, कौलिकसंहनन और असं-प्राप्त सृष्टिकासंहनन इन तीन अन्त्य संहननोंमें से किसी एक संहननसे युक्त है वलवान है और परमागमरूप महा समुद्रका पारगापी है उसको उपवासादि प्रणाल सर्वतके सभी प्रायश्चित्त देने चाहिए । तथा वह अन्त्य संहननवाला परिहार प्रायश्चित्तके प्राप्त होने पर भी मूल प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥

आदिसंहननः सर्वगुणो योऽजितनिद्रकः ।
देयं सर्वं तपस्तस्य पारंचेऽप्यनुपस्थितिः ॥ १५० ॥

अर्थ—जो वज्रवृषभनाराच संहनन, वज्रनाराच संहनन और नाराचसंहनन इन आदिके तीन संहननोंमेंसे किसी एक संहननवाला है, सर्वगुणसंपन्न है केवल निद्रात्रिजयो नहीं है उस साधुको सब प्रायश्चित्त देने चाहिए । तथा पारंचिक प्रायश्चित्तके प्राप्त होने पर उसको अनुपस्थान प्रायश्चित्त देना चाहिए पारंचिक नहीं । वह अनुपस्थान प्रायश्चित्त अपने गणमें ही करता है प्रायश्चित्त करलेने पर उसे फिर चिरतन तपमें स्थापन करना चाहिए ॥ १५० ॥

नवपूर्वधरो श्राद्धो वैराग्यधृतिमानजित् ।

परिणामसमयोऽपि योऽनुपस्थानभागसौ । १५१ ।

अर्थ—जो यतिपति नवपूर्वका ज्ञाता है, श्रद्धावान् है, संसार शरीर और भोगोंमें रागभाव रहित है, संतोषी है, अकृतकृत्य है अर्थात् सर्वशास्त्रका ज्ञाता है किन्तु व्याख्याता नहीं है और विशुद्ध परिणामवाला है वह अनुपस्थान प्रायश्चित्तका भागी है ॥

आपश्चालोचने तस्य सदैव गुरुसंनिधौ ।

बंदनादिप्रकुर्वाणः प्रतिबंदनवर्जितः ॥ १५० ॥

अर्थ—उस अनुपस्थान प्रायश्चित्तवालेके, आचार्यके निकट आपृच्छा—अपने कार्यके लिए पृष्ठना और आलोचना ये दो होते हैं । वह अन्य ऋषियोंको बंदना आदि करता है पर वे अन्य ऋषि उसे प्रतिबंदना नहीं करते ॥ १५० ॥

गुणेरेतैः समग्रोऽसौ जघन्योत्कृष्टमध्यमां ।
पौराणिकीं गुणश्रोणि निःशेषामभिपूरयेत् ॥

अर्थ—इन पूर्वोक्त गुणोंसे परिपूर्ण यह अनुपस्थान प्राय-
श्चित्त वाला जघन्य एध्यम और उत्कृष्ट चिरंतन गुणोंकी सब
संततिको पूर्ण करे ॥ १५१ ॥

श्रद्धाद्या ये गुणाः पूर्वमनुपस्थानवर्णिताः ।
पारंचिकेऽपि ते किन्तु कृतकृत्योऽधिसंहतिः ॥

अर्थ—श्रद्धा, धृति, वैराग्य, परिणामविशुद्धि आदि गुण
जो पहले अनुपस्थापना प्रायश्चित्तमें कहे गये हैं वे सब पारंचिक
प्रायश्चित्तमें भी होते हैं किन्तु इतना विशेष है कि यह पारंचिक
प्रायश्चित्तवाला कृतकृत्य अर्थात् सम्पूर्ण शास्त्रोक्त ज्ञाता और
व्याख्याता होता है, निद्राविजयी होता है और अनंत बलसंयुक्त
होता है ॥ १५२ ॥

सर्वगुणसमग्रस्य देयं पारंचिकं भवेत् ।
व्युत्सृष्टस्यापि येनास्याशुद्धभावो न जायते ॥

अर्थ—सब गुणोंसे परिपूर्ण पुरुषको पारंचिक प्रायश्चित्त
देना चाहिये । जिससे कि संघसे बाहर कर देने पर भी जिसके
अशुद्ध भाव न हों ॥ १५३ ॥

पंचदोषोपसृष्टस्य पारंचिकमनुदितं ।

व्युत्सृष्टो विहरेदेष सधर्मरहितक्षितौ ॥१५४॥

अर्थ—तीर्थकरासादनादि पांच दोषां कर संयुक्त पुरुषके लिए पारंचिक प्रायश्चित्त कहा गया है। तथा संघमे बाहर किया गया यह पारंचिक प्रायश्चित्त भला पुरुष जिस देशमें साधर्मी नहीं हैं उस देशमें विहार करे ॥ १५४ ॥

आदिसंहननो धीरो दशपूर्वकृतश्रमः ।

जितनिद्रो गुणाधारस्तस्य पारंचिकं विदुः ॥१५५॥

अर्थ—जिसके बज्रबृपभनाराच नामका पहला संहनन है जो धैर्यवान् है, दशपूर्वका ज्ञाता और व्याख्याता है, निद्राविजयी है और सम्पूर्ण गुणोंका आधार है उसके पारंचिक प्रायश्चित्त कहा गया है ॥ १५५ ॥

आर्यायाः स्यात्तपः सर्वं स्थापनापरिवर्जितं ।

सप्तमासमपि प्राज्यं न पिंछच्छेदमूलगं ॥१५६॥

अर्थ—आर्यिकाओं स्थापनारहित सभी प्रायश्चित्त दिये जाते हैं। तथा सप्तमास प्रायश्चित्त भी आर्यिकाओंको देवे। यद्यपि वर्धमान स्वामीके तीर्थमें छह माससे ऊपर उपवासादि प्रायश्चित्त नहीं हैं तो भी सप्तमाससे अधिक प्रायश्चित्त आर्यिकाओंको देवे। तथा पिंछ छेद और मूल ये तीन प्रायश्चित्त उसको नहीं देना चाहिए। भावार्थ—पिंछ नाम परिहार प्रायश्चित्तका है क्योंकि

परिहार प्रायश्चित्त करनेवाला मैं परिहार प्रायश्चित्त करनेवाला
हूँ यह जतानेके लिए आगे पिच्छका दिखाता है इसलिए परि-
हार प्रायश्चित्तको पिछ प्रायश्चित्त कहते हैं । छेद नाम दीक्षा
छेदनेका है और मूल नाम पुनः दीक्षा धारण करनेका है ॥१५६॥

प्रियधर्मा वहुज्ञानः कारणावृत्यसेवकः ।

ऋजुभावो विपक्षैस्तौद्विकैद्वार्तिंशदाहताः ॥१५७॥

अर्थ—प्रियधर्म-धर्ममें प्रेम रखने वाला, वहुज्ञान-शास्त्रों-
का ज्ञाता, वहुश्रुत, कारणी-च्यांध उपसर्ग आदि कारणोंवश
दोषोंका सेवन करनेवाला—सहेतुक, आवृत्यसेवक—एक वार
दोष सेवन करनेवाला अर्थात् सकृत्कारी, ऋजुभाव—सरल
स्वभावी इन पांचोंको पांच स्थानोंमें एक एक अङ्कके आकारमें
स्थापना करें । तथा इनके विपक्षी अप्रियधर्म, अवहुश्रुत, अहे-
तुक, असकृत्कारी और अनृजुभाव इन पांचोंको दो दो अङ्कके
आकारमें उनके नीचे स्थापन करें । ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ इस तरह
स्थापन कर परस्पर गुणनेसे ३२ भज्ज हो जाते हैं । यहां पर भी
पहलेकी तरह संख्या, प्रस्तार, अक्षसंक्रमण, नष्ट और उद्दिष्ट
ये पांच प्रकार समझने चाहिये ।

प्रथम संख्याविर्धि वताते हैं ।

सब्बैषि पुञ्चभंगा उवरिमभंगसु एकसेक्षेसु ।

मेलंतित्तिय कमसो शुणिये उप्पज्जये संखा ॥

अर्थात् पहले पहलेके भंग ऊपर ऊपरके एक एक भंगमें पाये

जाते हैं इसलिए क्रमसे गुणा करने पर संख्या निकलती है। सो हो वताते हैं—धर्मप्रिय और अधर्मप्रिय ये ऊपरके बहुश्रुत और अबहुश्रुतमें पाये जाते हैं अतः दोनांको परस्परमें गुणनेसे चार भंग होनाते हैं। ये चारों ऊपरके सहेतुक और अहेतुकमें पाये जाते हैं इसलिए चारको दोसे गुणन पर आठ भंग हो जाते हैं। ये आठ ऊपरके सकृत्कारी और असकृत्कारीमें पाये जाते हैं इसलिए आठको दोसे गुणन पर सोलह भंग हो जाते हैं। तथा ये सोलह ऊपरके ऋजुभाव और अनूजुभावमें पाये जाते हैं इसलिए सोलहको दोसे गुणने पर दोपाँकी वर्तीसं संख्या निकल आती है। अब प्रस्तारविधि वताते हैं—

**पद्मं दोषपमाणं कमेण णिकिखविय उवरिमाणं च ।
पिंडं पडि एक्षेष्ठं णिकिखत्ते होइ पत्थारो ॥**

अर्थात् पहले दोषके प्रयाणको क्रमसे एक एक विरलन कर और अविरलन किये हुए एक एकके ऊपर ऊपरका एक एक पिंड रख कर जोड़ देने पर प्रस्तार होता है। सो ही कहते हैं। धर्मप्रिय और अधर्मप्रियका प्रयाण दोको विरलन कर क्रमसे लिखे १ १ । इनके ऊपर दूसरा बहुश्रुत और अबहुश्रुतका पिंड दो दोको रखते ३ ३ । इनको जोड़नेसे चार होते हैं। फिर इन चारोंको विरलन कर चार जगह रखते १ १ १ १ । इनके ऊपर सहेतुक और अहेतुकका पिंड दो दो रखते ३ ३ ३ ३ । इनको जोड़नेसे आठ होते हैं। फिर इन आठोंको विरलन कर

और गुरु वक्तीस जगह लिखे गये हैं। अब अन्तसंक्रमण विधि चताते हैं—

पढ़मक्खे अंतगए आदिगए संकमेइ विदियक्खो ।
दोणिण पि गतूणंतं आइगए संकमेइ तइयक्खो ॥

अर्थात् प्रियधर्म और अप्रियधर्म यह प्रथमात्त, वहुश्रृत और अवहुश्रृत यह द्वितीयात्त, सैषेतुक और अहेतुक यह तृतीय अतः सकृत्कारी और असकृत्कारी यह चतुर्थ अन्त तथा कृजुभाव और अनृजुभाव यह पंचमात्त है। इनमेंसे प्रथमात्त संचरण करता हुआ अपने अन्तके भेद अप्रियधर्मको प्राप्त होकर और वापिस लौट कर जब पहले प्रियधर्म पर आता है तब द्वितीय अन्त वहुश्रृतको छोड़कर अवहुश्रृतमें संचरण करता है फिर उस द्वितीयके बहीं पर स्थित रहते हुए जब प्रथमात्त अंतको पहुंच जाता है तब प्रथमात्त और द्वितीयात्त अंतको पहुंच कर और लौट कर जब आदिको आते हैं तब तृतीयात्त सैषेतुकको छोड़कर अहेतुकमें संचरण करता है फिर इस अन्तके यहीं स्थित रहते हुए प्रथमात्त और द्वितीयात्त दोनों संचरण करते हुए अंतको पहुंच जाते हैं तब तीनों अन्त अन्तको पहुंचकर और लौटकर जब आदि स्थानको आते हैं तब चतुर्थात्त सकृत्कारीको छोड़कर असकृत्कारीमें संक्रमण करता है फिर उस अन्तके यहीं स्थित रहते हुए प्रथमात्त द्वितीयात्त और तृतीयात्त तीनों संचरण करते हुए अंतको पहुंच जाते हैं तब चारों अन्त अन्तको पहुंच कर और

लौटकर जब आदि स्थानको आते हैं तब पंचमात्र अनूजुभावको छोड़कर अनूजुभावमें संचार करता है। सो इस प्रकार है—

१ प्रियधर्म, वहुश्रुत, सहेतुक, सकृत्कारी, अनूजुभाव ?	११११
२ अप्रियधर्म, „ „ „ „	२११११
३ प्रियधर्म अवहुश्रुत „ „ „ „	१२१११
४ अप्रियधर्म „ „ „ „	२२१११
५ प्रियधर्म वहुश्रुत अहेतुक „ „ „ „	११२११
६ अप्रियधर्म „ „ „ „	२१२११
७ प्रियधर्म अवहुश्रुत „ „ „ „	१२२११
८ अप्रियधर्म „ „ „ „	२२२११
९ प्रियधर्म वहुश्रुत महेतुक असकृत्कारी „ „	१११२१
१० अप्रियधर्म „ „ „ „	२११२१
११ प्रियधर्म अवहुश्रुत „ „ „ „	१२१२१
१२ अप्रियधर्म „ „ „ „	२२१२१
१३ प्रियधर्म वहुश्रुत अहेतुक „ „ „ „	११२२१
१४ अप्रियधर्म „ „ „ „	२१२२१
१५ प्रियधर्म अवहुश्रुत „ „ „ „	१२२२१
१६ अप्रियधर्म „ „ „ „	२२२२१
१७ प्रियधर्म वहुश्रुत सहेतुक सकृत्कारी अनूजुभाव ?१११२	
१८ अप्रियधर्म „ „ „ „	२११२१२
१९ प्रियधर्म अवहुश्रुत „ „ „ „	१२११२
२० अप्रियधर्म „ „ „ „	२११२१२

२१	प्रियधर्म वहुश्रुत अहेतुक सकृत्कारी अनूजुभाव	१ १ २ १ २
२२	अप्रियधर्म „ „ „ „	२ १ २ १ २
२३	प्रियधर्म अवहुश्रुत „ „ „ „	१ २ २ १ २
२४	अप्रियधर्म „ „ „ „	२ २ २ १
२५	प्रियधर्म वहुश्रुत सहेतुक असकृत्कारी „	१ १ १ २ २
२६	अप्रियधर्म वहुश्रुत „ „ „ „	२ १ १ २ २
२७	प्रियधर्म अवहुश्रुत „ „ „ „	१ २ १ २ २
२८	अप्रियधर्म „ „ „ „	२ २ १ २ २
२९	प्रियधर्म वहुश्रुत अहेतुक „ „ „ „	१ १ १ २ २
३०	अप्रियधर्म „ „ „ „	२ १ २ २ २
३१	प्रियधर्म अवहुश्रुत „ „ „ „	१ २ २ २ २
३२	अप्रियधर्म „ „ „ „	२ २ २ २ २

अब नष्ट विधि कहते हैं—

सगमाणेहि विहन्ते सेसं लक्षिखत्तु संखिवं रूवं ।
लक्षिखज्जंते सुद्धे एवं सव्वत्थ कायवं ॥

अर्थात् पृष्ठ दोषकी संख्या रखकर अपने अपने प्रमाणका भाग दे जो संख्या वच रहे उसे अक्षस्थान समझे, लब्धमें, एक जोड़कर फिर स्वप्रमाणका भाग दे जो बाकी वच रहे उसको अक्षस्थान समझे अगर बाकी कुछ भी न बचे तो लब्ध संख्या में एक न जोड़े और अंतका अक्ष ग्रहण करे इस तरहका क्रम सब स्थलोंमें करे। अर्थात् किसीने वर्तीस उच्चारणाओंमें से

कोई भी उच्चारणा पूछी उसमें दोषोंका कौनसा भेद है यह मालूम न हो तो इस गाथा द्वारा मालूम कर लिया जाता है। जैसे किसीने पूछा—पचोसवीं उच्चारणामें कौनसा अद्वैत है तब पचोस संख्या २५ स्थापनकर प्रियर्थम् और अप्रियर्थम् २ का भाग दिया वारह लब्ध हुए आर एक वाकी बचा। “शेषं अद्वैतपदं जानोहि” इसके अनुसार प्रियर्थ समझना चाहिए क्योंकि प्रियर्थम् और अप्रियर्थमें पहला प्रियर्थ है। वारह जो लब्ध आये हैं उसमें “लब्धे रूपं प्रतिप” इसके अनुसार एक मिलाया तेरह हुए इनमें वहुश्रुत और अवहुश्रुतके प्रमाण दोका भाग दिया छह लब्ध आये और एक वाकी बचा पूर्वोक्त नियमके अनुसार पहला वहुश्रुत ग्रहण किया। फिर लब्ध छहमें एक मिलाया सात हुए इनमें सहेतुक और अहेतुकका भाग दिया तीन लब्ध आये और एक वाकी बचा पूर्वोक्त नियमके अनुसार पहला सहेतुक ग्रहण किया। फिर लब्ध तीनमें एक मिलाया चार हुए इनमें सकृत्कारी और असकृत्कारीके प्रमाण दोका भाग दिया दो लब्ध आये वाकी कुछ नहीं बचा “शुद्धे सति अद्वोऽन्ते तिष्ठति” इसके अनुसार अंतका असकृत्कारी ग्रहण किया। “शुद्धे सति रूपप्रतेपोऽपि न कर्तव्यः” इसके अनुसार लब्ध दोमें एक भी नहीं मिलाया और ऋजुभाव और अनजुभावका प्रमाण दोका भाग दिया लब्ध एक आया वाकी कुछ नहीं बचा पूर्वोक्त नियमके अनुसार अंतका अनजुभाव ग्रहण किया। इस तरह पचोसवीं उच्चारणामें प्रियर्थम्, वहुश्रुत,

सहेतुक, असकृत्कारी और अनृजुभाव नामका अक्ष आया । इस तरह अन्य उच्चारणाओंके अक्ष भी निकाल लेने चाहिए ।

आगे उद्घिष्ठ विधि कहते हैं—

संठाविऊण रूबं उवरिओ सगुणितु संयमाणे ।
अवणिज्ज अणंकिदयं कुञ्जा पठमंतियं चेव ॥

अर्थात् एक रूप रखकर अपने ऊपरके प्रमाणसे गुणा करे और अनंकितको घटावे इस तरह प्रथमपर्यंत करे । भावार्थ— यहां जो भेद ग्रहण हो उसके आगेकी संख्या अनंकित कही जाती है जैसे प्रियधर्म और अप्रियधर्ममेंसे यदि प्रियधर्मका ग्रहण हो तो उसके आगेवाले अप्रियधर्मको अनंकित समझना चाहिए । इसी तरह बहुश्रुत और अबहुश्रुत, सहेतुक और अहेतुक, सकृत्कारी और असकृत्कारी तथा ऋजुभाव और अनृजुभावमें भी समझना चाहिए । जैसे किसीने पूछा प्रियधर्म, बहुश्रुत, अहेतुक, असकृत्कारी, ऋजुभाव यह कौनसी उच्चारणा है तब प्रथम एकरूप रखका उसको ऊपरके ऋजुभाव और अनृजुभावका प्रमाण दोसे गुणा किया दो हुए अनंकित अनृजुभावको घटायां एक रहा इसको सकृत्कारी और असकृत्कारी-का प्रमाण दोसे गुणा किया दो हुए, यहां अनंकित कोई नहीं दो ही रहे, इनको सहेतुक और अहेतुकका प्रमाण दोसे गुणा किया चार हुए अनंकित कोई नहीं, चार ही रहे इनको बहुश्रुत और अबहुश्रुतका प्रमाण दो से गुणा किया आठ हुए अनंकित

अवहुश्रुतको घटाया सात रहे इनको प्रियधर्म और अग्रियधर्म-का प्रमाण दोसे गुणा किया चौदह हुए अनंकित अग्रियधर्मको घटाया तेरह रहे। इस तरह प्रियधर्म, वहुश्रुत, अहेतुक, अस-कृत्कारी, ऋजुभाव नामकी तेरहवीं उच्चारणा सिद्ध होती है। यही विधि अन्य उच्चारणाओंके निकालनेमें भी करनी चाहिए। अत्त रखकर संख्या निकालनेको उद्दिष्ट कहते हैं। पहले निर्विकृति, पुरुषमंडल, आचाम्ल, एकस्थान और त्वपरा इन पांचोंकी प्रत्येक शलाका ५, द्विसंयोगी १०, त्रिसंयोगी १०, चतुःसंयोगी ५, और पंचसंयोगी १ एवं ३। शलाकाओंका वर्णन कर आये हैं। इकतीस शुद्धियां तो ये और एक आलोचना शुद्धि एवं बत्तीस शुद्धियां उक्त बत्तीस दोषों या पुरुषोंका क्रमसे प्रायश्चित्त है। प्रथम पुरुषकी आलोचना, द्वितीयकी निर्विकृति, तृतीयकी पुरुषमंडल, चतुर्थकी आचाम्ल, पंचमकी एकस्थान, छठेकी उपवास, सातवेंकी निर्विकृति और पुरुषमंडल नामको दो संयोगवाली छठी शलाका शुद्धि। इस तरह प्रति पुरुषको गुरु और लघु दोषका विचार कर एक एक शलाका प्रायश्चित्त देना चाहिए॥

द्वात्रिंशतिप्रियधर्मद्वया अष्टाचार्यादिकाः पुनः ।

गर्विताद्या दशोद्दिष्टास्तेभ्यो देयं यथोचितं ॥

अर्थ—प्रियधर्मादि बत्तीस पुरुष ऊपर बता चुके हैं।

आचार्य आदि आठ पुरुषोंको आगे बतावेंगे तथा गर्वित मृदु आदि दश पुरुषोंको भी ऊपर बता आवें हैं। एवं बत्तीस, आठ

और दश कुल मिलाकर पचास पुरुष होते हैं । इन पचास पुरुषोंको यथायोग्य प्रायश्चित्त वितरण करना चाहिए ॥ १५८ ॥
 तेऽथवा पंचधोहिष्टा स्थानेष्वेतेष्वनुक्रमात् ।
 आत्मोभयतरसवन्यतरशक्तश्च नोभयः ॥ १६० ॥
 परतरोऽपि निर्दिष्टस्त एवं पंच पूरुषाः ।
 यथान्यायं तथैतेऽपि सप्त भाज्या गणेशिना ॥

अर्थ—ऊपर बताये हुए पचास पुरुष अथवा अन्य स्थानोंमें क्रमसे आत्मसमर्थ, उभयतरसमर्थ, अन्यतर समर्थ, अनुभय और परतर ये पंचप्रकारके पुरुष कहे गये हैं । ये सब आचार्य द्वारा यथायोग्य प्रायश्चित्तसे शुद्ध किये जाने योग्य हैं ॥ १६०-१६१ ॥

प्रायशिच्चतं गुरुहिष्टमग्लानः सन् करोति यः ।
 वैयावृत्यं न रोचेत् स आत्मतर इरितः ॥ १६२ ॥

अर्थ—जो आचार्य द्वारा दिये गये प्रायश्चित्तको अन्तः-करणमें खेदसिन्न न होता हुआ करता है और वैयावृत्य नहीं चाहता है वह आत्मतर कहा गया है ॥ १६२ ॥

प्रायशिच्चतं गुरुहिष्टं सुबहूपि करोति यः ।
 वैयावृत्यं च शुद्धात्मा द्वितरोऽसौ प्रकीर्तितः ॥

अर्थ—जो पुरुष गुरु द्वारा दिये गये भारीसे भारी प्रायश्चित्तको करता है और वैयावृत्य भी चाहता है वह शुद्धभावधारी उभयतर कहा गया है ॥ १६३ ॥

सर्वांगजातरोमांचो वैयावृत्यं तपो महत् ।
लाभद्वयं सुमन्वानः श्रेष्ठित्वे पुत्रलाभवत् ॥१६४॥

अर्थ—तथा जिसके सारे शरीरमें रोमांच उत्पन्न हो गये हैं, और जो वैयावृत्य और गुह तप दोनोंकी प्राप्तिको धनवानके पुत्र लाभकी तरह अच्छा पानता है वह उभयतर है ।

भावार्थ—धनवानके धन लाभ तो है ही, पुत्र उत्पत्ति हो जानेसे उसे विशेष हृपे होता है उसी तरह जो वैयावृत्य और तप दोनोंकी प्राप्तिसे मठा हर्षित होता है वह उभयतर है ॥१६४॥

वैयावृत्यं समाधत्स्व तपो वेति गणीरितः ।
तत एकतरं धत्ते स्वेच्छान्यतरः स्मृतः ॥१६५॥

अर्थ—वैयावृत्य करो अथवा तप करो इस प्रकार आचार्यने कहा । अनन्तर जो पुरुष एकको तो धारण करता है और दूसरेको अपनी इच्छानुसार धारण करता है वह अन्यतर पाना गया है ॥१६५॥

वैयावृत्यं न यो वोदुं प्रायश्चित्तमपि क्षमः ।
दुर्बलो धृतिदेहाभ्यामलविधनोभयः स तु ॥१६६॥

अर्थ—जो पुरुष वैयावृत्य और उपवासादि प्रायश्चित्त धारण करनेमें समर्थ नहीं है और धैर्यवंल तथा देहवलसे दुर्बल है और लाभबर्जित है वह अनुभय है । भावार्थ—जो वैयावृत्य और

उपवासादि दोनों तरहके प्रायश्चित्तको करनेमें असमर्थ है वह
अनुभय है इसेलिये उसे आचाम्न, निर्विकृति, एकस्थान, पुरु-
मंडल आदि देना चाहिए ॥ १६६ ॥

दीयमानं तपः श्रुत्वा भयादुद्विजते मुहुः ।
प्रोद्वृत्तपांडुरक्षः सन् म्लाग्निमेति प्रकंपते ॥
वैमनस्यं समाधत्ते रोगमाप्नोति दुर्बलः ।
प्राणत्यागं विधत्ते वा श्रामण्याद्वा पलायते ॥ १६८ ॥
प्रायश्चित्तं न शक्नोति कुर्याच्च व्यावृतिं वहु ।
दुर्बलस्तनुधैर्यम्यां लघ्विमान् परशक्तिकः ॥

अर्थ—जो दिये हुए प्रायश्चित्तको सुनकर भयसे वारवार
छढ़ेगको प्राप्त हो जाता है, जिसके नेत्र सफेद पड़ जाते हैं
अतएव मलीनमुख हो जाता है जिसका शरीर थर थर कांपने
लगता है, जो वैमनस्य धारण कर लेता है, व्याधियुक्त हो
जाता है, शरीरमें कृश होकर प्राणत्याग करता है, चारित्रसे
भ्रष्ट हो जाता है, शरीर और धैर्यसे दुर्बल है, आहार और पथ
आदिके लाभसे संपन्न है और उपवासादि प्रायश्चित्त धारण
करनेमें समर्थ नहीं है किन्तु मुझे वैयावृत्य प्रायश्चित्त देकर
अनुगृहीत करो उपवासादि करनेको असमर्थ हूँ इस तरह कहता
हुआ वैयावृत्य अङ्गीकार करता है वह परतर पुरुष है ॥ १६७-१६८ ॥

**द्विप्रकाराः पुमांसोऽथ सापेक्षा निरपेक्षकाः ।
निर्व्यपेक्षाः समर्थाः स्युराचार्याद्यास्तथेतरे ॥**

अर्थ—पुरुष दो तरहके होते हैं एक सापेक्ष, जो आचार्योंके अनुग्रहकी आकांक्षा रखते हैं कि आचार्य हम पर अनुग्रह करें । दूसरे निरपेक्ष, जो आचार्योंके अनुग्रहकी आकांक्षा नहीं रखते । इनमें निरपेक्ष जो आचार्य आदि हैं वे पुरुष हैं जो समर्थ—महाशक्तिशाली होते हैं । तथा इनके अलावा दूसरे सापेक्ष होते हैं ॥ २७० ॥

**गीतार्थाः कृतकृत्याश्च निर्व्यपेक्षा भवन्त्यमी ।
आलोचनादिका, तेषामष्टधा शुद्धिरिष्यते ॥२७१**

अर्थ—ये निरपेक्ष पुरुष गीतार्थ और कृतकृत्य होते हैं । जो नौं और दश पूर्व धारी हैं उन्हें गीतार्थ कहते हैं और जिन्होंने नौपूर्व और दशपूर्वको ग्रन्थ और रूप जानकर अनेक बार उनका व्याख्यान किया है वे कृतकृत्य कहे जाते हैं । अतः उनके लिए आलोचनापूर्वक आठ प्रकारकी शुद्धि कही गई है ॥

**तेऽप्रमत्ताः सदा संतो दोषं जातं कथंचन ।
तत्क्षणादपकुर्वति नियमेनात्मसाक्षिकं ॥२७२॥**

अर्थ—वे निरव्यपेक्ष पुरुष सदाकाल प्रपादरहित होते हैं । यदि किसी कारणबश कोई दोष उत्पन्न हो जाता है—उनसे

कोई अपराध हो जाता है तो वे उसी समय आत्मसाक्षी पूर्वक उस दोषका नियमसे प्रतीकार कर लेते हैं ॥ १७२ ॥

धैर्यसंहननोपेताः स्वातंश्याद्योगधारिणः ।
तद्विष्टपि समुत्पन्नं वहंति निरनुग्रहं ॥ १७३ ॥

अर्थ—परम धैर्य और उत्तमसंहननकर सहित वे परम योगी-श्वर स्वाधीन रहनेके कारण भारीसे भारी भी उत्पन्न हुए दोष-को औरोंके अनुग्रहकी अपेक्षा किये विना ही स्वयं दूर कर लेते हैं ॥ १७३ ॥

आलोचनोपयुक्ता यच्छुद्ध्यन्त्यालोचनात्तः ।
कृत्वाशेषं च मूलान्तं शुद्ध्यन्ति स्वयमेव ते ॥ १७४ ॥

अर्थ—जो आलोचना—दोष दूर करनेमें उपयुक्त रहते हैं वे निरपेक्ष पुरुष आलोचना मात्रसे शुद्ध हो जाते हैं । तो भी वे दूसरे भी प्रतिक्रमणको आदि लेकर मूलपर्यन्तके प्रायश्चित्त अपने आप ग्रहण कर शुद्ध हो लेते हैं ॥ १७४ ॥

यदां तक निरपेक्ष पुरुषोंका वर्णन किया आगे सापेक्षोंका करते हैं—

आचार्यो वृषभो भिक्षुरिति सापेक्षास्त्रिधा ।
गीतार्थो वृषभः सूरिः कृत्यकृत्येतरौ पुनः ॥ १७५ ॥

अर्थ—सापेक्ष पुरुष तीन प्रकारके होते हैं । आचार्य, वृषभ-

प्रधान, और भिन्न—सामान्य साधु । इनमेंसे आचार्य और प्रधान पुरुष गीतार्थ अर्थात् सकल शास्त्रोंके वेत्ता होते हैं तथा कृत-कृत्य-सम्पूर्ण शास्त्रोंके व्याख्याता भी होते हैं और अकृतकृत्य भी होते हैं अर्थात् सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञाता तो होते हैं परन्तु व्याख्याता नहीं होते । भावार्थ—गीतार्थ, कृतकृत्य और अकृत-कृत्य ऐसे तीन तीन प्रकारके आचार्य और वृषभ पुरुष होते हैं ॥
गीतार्थश्चेतरो भिक्षुः कृतकृत्येतरस्तयोः ।
आद्यः स्यादपरो द्विधाधिगतश्चेतरोऽपि च ॥

अर्थ—भिन्न दो तरहका होता है—गीतार्थ और अगीतार्थ । उनमेंसे पहला गीतार्थ दा तरहका है कृतकृत्य और अकृतकृत्य अगीतार्थ भी दो तरहका है—अधिगत आर अनधिगत । जो शास्त्रज्ञानसे तो भून्य है परन्तु स्वयं विचारक है उसे अधिगतार्थ कहते हैं और जो केवल गुरुके उपदेश पर ही निर्भर रहता है उसे अगीतार्थ कहते हैं ॥ २७६ ॥

द्विधानधिगताभिख्यः स्यात्स्थिरस्थिरभेदेतः ।
अत्राद्यास्वनधिगते वाञ्छैवाऽस्थिरनामनि ॥

अर्थ—स्थिर और अस्थिरके भेदसे अनधिगत परमार्थ दो तरहका है । जो धर्ममें निश्चल है वह स्थिर कहा जाता है और जो चारित्रमें चलायथान है वह अस्थिर कहा जाता है । सापेक्ष-के इन आठ भेदोंमें अस्थिर नामके अनधिगत परमार्थमें वाञ्छा ही

प्रायश्चित्त है—अर्थात् उस समय वह जो चाहे वही प्रायश्चित्त उसे देना चाहिए ॥ १७७ ॥

कल्प्याकल्प्यं न जानाति नानिषेवितसेवितं ।
अत्पानल्पं न बुध्येत तेनेच्छाऽवोधनेऽस्थिरे ॥

अर्थ—यह अनगत अस्थिर पुरुष योग्य और अयोग्यको सेव्य और असेव्यको तथा अत्प्य दोपाचरणको और बहुत दोपाचरणको नहीं जानता इसलिए उसके लिए इच्छा ही प्रायश्चित्त है ॥ १७८ ॥

कर्मोदयवशाहोषोऽधिगतेषु भवेद्यदि ।
तेषां स्याहशाधा शुद्धिरागमाभ्यनुरागतः ॥ १७९ ॥

अर्थ—यदि अधिगत परमार्थ पुरुपोंको कर्मके उदयवश कोई दोष लग जाय तो उनकी शुद्धि आगममें अनुराग होनेके कारण आलोचनाको आदि लेकर अद्वान पर्यंत दश तरहकी है ॥ १७९ ॥

इति श्रीनन्दिरुगुवरचिते प्रायश्चित्तसमुच्चये
पुरुषाधिकारः षष्ठः ॥ ६ ॥

छ्वेद-अधिकार ॥ ७ ॥

अब दश प्रकार का प्रायश्चित्त कहा जाता है। प्रथम प्रायश्चित्त का लक्षण और निःकृति कहते हैं—

**प्रायश्चित्तं तपः श्लाघ्यं येन पापं विशुद्धयति ।
प्रायश्चित्तं समाप्नोति तेनोक्तं दशधेह तत् ॥**

अध्र—प्रायश्चित्त नामका तपश्चरण अत्यंत ही श्लाघ्य तपश्चरण है जिसके कि अनुष्टान से इस जन्म में और पूर्वजन्म में उपर्जन किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं तथा प्रायः—लोक अर्थात् साधर्म्यवर्ग का चित्त-मन प्रसन्न होता है। इस कारण वह प्रायश्चित्त यहाँ दश प्रकार का कहा गया है। तदुक्त—

**प्राय इत्युच्यते लोकस्तस्य चित्तं मनो भवेत् ।
तच्चित्तग्राहकं कर्म प्रायश्चित्तमिति स्मृतं ॥**

प्रायोनाम लोक अर्थात् साधर्म्यवर्ग का है और चित्त नाम मन का है। साधर्म्यांक मन को ग्रहण करनेवाले अर्थात् उनके मन को प्रसन्न करनेवाले क्रिया-कर्म को प्रायश्चित्त कहते हैं।

**प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चयनं युतं ।
तपोनिश्चयसंयोगात् प्रायश्चित्तं निगद्यते ॥**

प्रायो नाम तप का है और चित्त नाम निश्चय युक्त का है।

निश्चययुक्त तपको प्रायश्चित्त कहते हैं । अथवा प्राय नाम साधुलोकका है उनका चित्त जिस कर्मके करनेमें है वह प्रायश्चित्त है । अथवा प्राय नाम अपराधका है और चित्त नाम विशुद्धिका है । अपराधकी विशुद्धिको प्रायश्चित्त कहते हैं ।

यह प्रायश्चित्त प्रमादजनित दोषोंको दूर करनेके लिए, भावोंकी अर्थात् संक्लिष्ट परिणामोंकी निर्पञ्चताके लिए, अन्तरंग परिणामोंको विचलित करनेवाले दोषोंको दूर करनेके लिए, अनवस्था अर्थात् अपराधोंकी परंपराका विनाश करनेके लिए, प्रतिज्ञात व्रतोंका उद्धरण न हो इसलिए और संयमकी वृद्धताके लिए किया जाता है ॥ १८० ॥

प्रायश्चित्त कौन द ? यह बताते हैं—

प्रायश्चित्तविधावत्र यथानिष्पन्नमादितः ।

दातव्यं बुद्धियुक्तेन तदेतदशधोच्यते ॥ १८१ ॥

अर्थ—प्रायश्चित्त देना साधारण मनुष्योंका कार्य नहीं है । उसको देनेमें बुद्धिमान पुरुष ही नियुक्त हैं अतः वे पूर्वोक्त विधिके अनुसार आगे कहा जानेवाला दश प्रकारका प्रायश्चित्त हैं ॥

आगे दशप्रकारके प्रायश्चित्तके नाम बताते हैं—

आलोचना प्रतिक्रान्तिर्द्वयं त्यगो विसर्जनं ।

तपः छेदोऽपि मूलं च परिहारोऽभिरोचनं ॥

अर्थ—आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, त्यग, व्यूत्सर,

तप, छेद, मूल, परिहार और श्रद्धान् ये दश प्रायश्चित्तके भेद हैं ।

१—गुरुके समक्ष दशदोष रहित अपने दोष निवेदन करना आलोचना है । वे दश दोष ये हैं—

आकंपित अणुमाणित जं दिट्ठं वादरं च सुहमं च ।
छन्नं सद्वातालियं ब्रह्मजणमव्वत्त तस्सेवी ॥

आकंपित, अनुपापित, यदृदृष्ट, वादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, ब्रह्मजन, अव्यक्त और तस्सेवी ये दश आलोचना दोष हैं ।

(१) महाप्रायश्चित्तके भयसे, अल्पप्रायश्चित्तके निपित्त, उपकरण आदि देकर आचार्यको अपने अनुकूल करना आकंपित नापका पहला आलोचना दोष है ।

(२) इस समय प्रार्थना की जायगी तो गुरुमहाराज मुक्त पर अनुग्रह कर ओड़ा प्रायश्चित्त देंगे ऐसा अनुमानसे भाँपकर, “वे धन्य हैं जो वीर पुरुषों द्वारा आचरण किये गये उत्कृष्ट तपको करते हैं” इस प्रकार महातपस्थियोंको स्तूति करते हुए तपमें अपनी कपजोरी प्रकाशित करना अनुपापित नापका दूसरा आलोचना दोष है ।

(३) जो दोष दूसरोंने न देखा हो उसे छिपाकर जो दूसरोंने देखा है उसे कहना तीसरा यदृदृष्ट नापका आलोचना दोष है ।

(४) आलस्य या प्रमादवश अपने सब दोषोंको न जानते हुए सिर्फ स्थूल दोष कहना, अथवा स्थूल दोष कहना और सूक्ष्म दोष छिपा लेना चौथा वाद नामका आलोचना दोष है।

(५) महादुश्शर प्रायश्चित्तके भयसे स्थूल दोषको छिपा-कर सूक्ष्म दोष कहना सूक्ष्म नामका पांचवां आलोचना दोष है।

(६) व्रतोंमें इस प्रकारका अतीचर लग जाय तो उसका प्रायश्चित्त क्या होना चाहिए इस ढंगसे गुरुसे पूछका उसके बताये हुए प्रायश्चित्तको करना छट्टा ऋषि नामका आलोचना दोष है।

(७) पात्क्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक अतीचारों-की शुद्धिके समय जब भारी मुनिसमुदाय एकत्रित हो और उस समय उनके द्वारा निवेदित आलोचनाओंके कथनका पञ्चुर कोलाहल हो रहा हो तब अपने पूर्वदोष कहना सातवां शब्दाकुल नामका आलोचना दोष है।

(८) गुरुने जो प्रायश्चित्त बताया है वह आगमानुकूल है या नहीं इस तरह सशंकित होकर अन्य साधुओंसे पूछना अथवा अपने गुरुने पहले किसीको प्रायश्चित्त दिया हो पश्चात् उन्होंने उस प्रायश्चित्तको किया हो उसीको अपन भी कर लेना बहुजन नामका अठवां आलोचना दोष है।

(९) कुछ भां प्रयोजन रखकर, अपनेसे ज्ञान अथवा संयम नीचे साधुको “बड़ेसे बड़ा भी लिया हुआ प्रायश्चित्त विशेष फल देनेवाला नहीं होता” इस प्रकार अपने दोष निवेदन कर

उससे प्रायश्चित्त लेना अव्वक्त नामका नौवां आलोचना दोष है ।

(१०) इसके अपराधके बराबर ही ऐरा अपराध है इसका प्रायश्चित्त तो यही जानता है अतः इसको जो प्रायश्चित्त दिया गया है वही ऐरे लिए भी युक्त है इस तरह उस अपनी बराबरी बालेसे ही प्रायश्चित्त ले लेना दशवां तत्सेवी नामका आलोचना दोष है ।

२—कर्मवश प्रमादके उदयसे जो अपराध मुक्तसे हुआ है वह ऐरा अपराध शान्त हो इस तरहके शब्दोच्चारणों द्वारा अपने अपराधका व्यक्त प्रतीकार करना प्रतिक्रमण नामका दूसरा प्रायश्चित्त है ।

३—कोई दोष आलोचनापात्रसे ही शुद्ध हो जाते हैं और कोई प्रतिक्रमणसे शुद्ध होते हैं परन्तु कोई दोष ऐसे हैं जो आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनोंके मिलने पर शुद्ध होते हैं इसीको तदुभय कहते हैं ।

४—संसक्त (मिले हुए) अभ, पान, उपकरण आदिको छोड़ देना विवेक प्रायश्चित्त है । अथवा शुद्ध आहारमें भी अशुद्धपनेका संदेह और विपर्यय हो जाय, अथवा अशुद्धमेंशुद्धका निश्चय हो जाय, अथवा त्याग को हुई वस्तु पात्र या मुखमें आजाय, अथवा जिस वस्तुके ग्रहण करनेमें कषाय आदि भाव उत्पन्न हों उन सबको त्याग देना विवेक प्रायश्चित्त है ।

५—अन्तसुर्हृतं, दिवस, पक्ष, पास आदि कालका नियम कर कायोत्सर्ग आदि करना व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त है ।

६—अनशन, अवमोर्दर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, आदि तप करना अथवा उपवास आचाम्ल, एकमुक्ति आदि तप करना तप प्रायश्चित्त है ।

७—चिर दीक्षत सापराध साधुकी दिवस, पत्र मास आदि के विभाग से दीक्षाछेद देना छेद प्रायश्चित्त है ।

८—अपरिमित अपराध वन जाने पर उस दिन से लेकर सम्पूर्ण दीक्षाको नष्ट कर फिर दीक्षा देना मूल प्रायश्चित्त है ।

९—पत्र, मास आदिको अवधि तक संघसे बाहर कर देना परिवार प्रायश्चित्त है ।

१०—सौगत आदि मिथ्यापत्रोंको प्राप्त होकर स्थित हुए साधुको पुनः नवीन तौर से दीक्षा देना अद्वान-उपस्थापना प्रायश्चित्त है ॥ १८२ ॥

करणीयेषु योगेषु छञ्चस्थत्वेन सन्मुनेः ।
उपयुक्तस्य दोषेषु शुद्धिरालोचना भवेत् ॥ १८३ ॥

अथ—अवश्य करने योग्य तपोविशेषमें अथवा मन, वचन और कायकी प्रवृत्तियोंके विषयमें सावधान होते हुए भी छञ्चस्थताके कारण दोष लगने पर आलोचना प्रायश्चित्त होता है ॥

संज्ञोदुभ्रान्तविंहारादावीर्यासमितिसंयतः ।
यो शुस्तिष्वप्रमत्तश्च निर्दोषोऽपि च संयमे ॥ १८४ ॥

आलोचना परीणामो यावदायाति नो गुरुं ।
तावदेव स नो शुद्धः समालोच्य विशुद्धयति ॥

अर्थ—संज्ञा—कायमलके त्यागनेमें, उद्भ्रान्त—दूसरे ग्राम-
को सिर्फ जानेमें, आदि शब्दसे और भी गमन—आगमन
(इधर-उधर जाने आने) आदि क्रियाओंके करनेमें ईर्यासमिति-
से युक्त होते हुए, तीनों गुस्तियोंके पालनमें कोई तरहका प्रयाद-
न करते हुए, प्राणिसंयम और इंद्रियसंयमके पालन करनेमें भी
दोष न लगाते हुए तथा दोषोंके निवेदन करनेमें भाव होते हुए
भी जब तक वह साधु संज्ञा, उद्भ्रान्त, विहार आदि क्रियाओं-
को करके गुरुके पास न आवं तब तक शुद्ध नहीं है—अशुद्ध है
सदोष है। बाद गुरुके पास आकर आलोचना करके शुद्ध-
निर्देष होता है ॥ १८४-१८५ ॥

ये विहर्तुं विनिष्क्रान्ता गणाच्चरणसंयताः ।
आगतानां पुनस्तेषां शुद्धिरालोचना भवेत् ॥

अर्थ—जो कोई मुनि किसी प्रयोजन वश अपने गणसे
निकलकर युक्ताचारपूर्वक विहार करनेके लिए चले जायं वे
जब लौटकर वापिस आवं तब उनके लिए उसका आलोचना
प्रायश्चित्त है ॥ १८६ ॥

अन्यसंघगतानां च विशुद्धाचारधारिणां ।
उपसंपत्समेतानां शुद्धिरालोचना भवेत् ॥ १८७ ॥

अर्थ—जो कोई मुनि अपने आचरणमें कोई तरहका दोष
न लगाते हुए दूसरे संघको जाकर अपने संघमें वापिस आवं तो
उनके लिए उसका आलोचना प्रायश्चित्त है ॥ १८७ ॥

आगे प्रतिक्रमण-प्रायश्चित्त कब देना चाहिए वह घताते हैं—
मनसावद्यमाप्नो वाचा ॥५॥ साद्य गुरुनंथ ।

उपमुक्तो वधे चापि द्वाषभवेत्तन्निवर्तनं ॥१८॥

अर्थ—जो मनके द्वारा दुश्चितवनरूप दोषको प्राप्त हुआ हो जिसने वचनोंसे आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गशधर आदिको अवज्ञा की हो और जो कायद्वारा लात थपड़ आदि गारनेमें प्रवृत्त हुआ हो उसके लिए इस अपराधका प्रायश्चित्त शीघ्र प्रतिक्रमण कर लेना है ॥ १८ ॥

तत्क्षणोद्भेदयुक्तस्य पश्चात्तापमुपेयुषः ।

स्वयमेवात्मसाक्षि स्यात्प्रायश्चित्तं विशोधनं ॥

अर्थ—जिस द्वारा दोषरूप परिणत हो उसके अनन्तर हो उद्भेद अर्थात् चतुर्गति संसाररूप अंधकूपमें पतनके भयसे युक्त होते हुए तथा पश्चात्ताप करते हुए उस साधुके लिए स्वयं ही आत्मसाक्षीपूर्वक प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है अर्थात् वह स्वयं इस प्रकार प्रतिक्रमण करे कि हा ! मुझे धिक्कार है, मैंने बड़ा तुरा किया, पेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥ १९ ॥

वैयाकृत्यक्रियाभ्रंशे छेदधोवातजंभणे ।

दुःस्वप्ने विस्मृते वापि प्रायश्चित्तं प्रतिक्रमः ॥

अर्थ—वैयाकृत्य करना भूलजाने पर, छींक, अधोवायु, (पाद) और जंभाई लेने पर, दुःस्वप्न होने पर तथा साधुओंको

प्रतिदिन औषध आदि देना भूल जाने पर भी प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है ॥ २६० ॥

**आभोगे वाप्यनाभोगे भिक्षाचर्यादिके क्वचित् ।
कथंचिदुत्थिते दंडे प्रायश्चित्तं प्रतिक्रमः ॥ १९१ ॥**

अर्थ—भिक्षार्थ जाना आदि कोई एक क्रियाविशेषके समवलोगोंने देखा हो या न देखा हो कदाचित् किसी कारणवश दंडोत्थान (लिंगके खडे) हो जाने पर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । तदुक्तं—

गोयरगयस्त्वं लिंगुट्टाणे अण्णस्स संकिलेत्य ।
णिदृणगरहणजुत्तो णियमौ विथ होदि पाडिक्यर्ण ॥

अर्थात् भिक्षाके लिए प्रवृत्त हुए साधुका लिंगोत्थान होजाने पर और अपने द्वारा अन्यको संबलेश होने पर अपनी निंदा और गहराई युक्त नियम नामका प्रतिक्रमण होता है ॥ २६१ ॥

**सूक्ष्मे दोषे न विज्ञाते छञ्चस्थत्वेन चागसां ।
अनाभोगकृतानां च विशुद्धिस्तदृद्धयं भवेत् ॥**

अर्थ—अत्यन्त सूक्ष्म दोष जो कि छञ्चस्थताके कारण जाननेमें न आया कि यह दोष है, ऐसे दोषकी तथा अनाभोग

१. गोवरगतस्य लिंगोत्थानेऽन्यस्य संबलेशे च ।

निन्दनगर्हणयुक्तो नियमोऽपि च भवति प्रतिक्रमः ॥

कृत अर्थात् दोष तो लगे परं जाने नहीं गये ऐसे दोषोंकी
विशुद्धि आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों हैं ॥ १८२ ॥

दिवसे निशि पक्षेऽब्दे चतुर्मासोत्तमार्थके ।
शैघ्यानाभोगकार्येषु पदं यो युक्तयोगिनः ॥

आलोचनोपयुक्तोपि विप्रमादो न वेत्यधं ।

अनिगूहितभावश्च विशुद्धिस्तस्य तद्दृढ़यं ॥ १९४ ॥

अर्थ—जो साधु अपना आचरण उचित रीतिसे पालन कर रहा है, आलोचना करनेमें तत्पर है, सम्पूर्ण क्रियाओंमें सावधान है किन्तु अपने दोषोंको नहीं जानता है तथा अपने भावोंको भी नहीं छिपाता है उसके—दैवसिक, रात्रिक, पात्रिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक और उत्तमार्थक प्रतिक्रमणोंको सहसा करनेका और दोष तो लगा पर उसका ज्ञान न हुआ ऐसे अदृष्ट दोष विशेषके करनेका आलोचना और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है ॥ १८३—१९४ ॥

शय्यामथोपधिं पिंडमादायैषणदूषणं ।

प्रागविज्ञाय विज्ञाते प्रायश्चित्तं विवेचनं ॥ १९५ ॥

अर्थ—वसतिका, उपकरण और आझार, पहले ग्रहण करते समय शंकित आदि एषणाके दश दोषोंसे दूषित न जान कर ग्रहण किये गये हों पश्चात् उनका ज्ञान होने पर उनको छोड़ देना ही प्रायश्चित्त है ॥ १९५ ॥

भक्तपानं विशुद्धं च समादायैषणाहतं ।
तन्मात्रं वाथ सर्वं वा विशुद्धः संपरित्यजन् ॥

अथ—एषणादोषोंसे दूषित प्रासुक भी आहार पानको ग्रहण कर, जितना दूषित है उतनेको या सबके सब सदोष और निर्दोष आहार—पानको छोड़ देने वाला विशुद्ध है—प्रायश्चित्तरहित है । **भावार्थ—**आहार तो प्रासुक—शुद्ध बना हुआ हो पर वह एषणा दोषोंसे दूषित हो गया हो ऐसे आहार पानके ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त उसको छोड़ देना ही है और कोई जुदा प्रायश्चित्त नहीं ॥ १८६ ॥

भक्तपानं विशुद्धं च कोटिजुष्टमशुद्धियुक् ।
तन्मात्रं वाथ सर्वं वा विशुद्धः संपरित्यजन् ॥

अर्थ—प्रासुक भी अन्न पान, क्या यह अन्न पान मेरे ग्रहण करने योग्य है या नहीं ? ऐसी आशंका से युक्त हो गया हो तो वह अशुद्ध है अतः उतने ही—जितनेमें कि आशंका उत्पन्न हुई है अथवा सबके सब सदोष और निर्दोष आहारको भी साग देनेवाला विशुद्ध है प्रायश्चित्तरहित है । **भावार्थ—**प्रासुक भी आहारमें यह योग्य है या अयोग्य ऐसी आशंका होने पर उस आहारको छोड़ देना ही उसका प्रायश्चित्त है अन्य नहीं ॥ १८७ ॥

**भक्तपानं विशुद्धं च भावदुष्टमशुद्धिमत् ।
सर्वमेवाथ तज्जुष्टं विशुद्धः संपरित्यजन् ॥**

अर्थ—शुद्ध भी अन्न-पान यदि परिणामोंसे दूषित हो जाय अर्थात् उसमें बुरे परिणाम हो जाय तो वह शुद्ध भी भोजन अशुद्ध हो जाता है। अतः उस सारे ही सदोष और अदोष भोजनको या जितना परिणामोंसे दूषित हुआ है उतनेको छोड़ देने वाला शुद्ध है—उस भोजनको छोड़ देना ही उसके लिए विवेक नामका प्रायश्चित्त है और कोई जुदा प्रायश्चित्त नहीं ॥ १८८ ॥

**भक्तपाने विशुद्धेऽपि क्षेत्रकालसमाश्रयात् ।
द्रव्यतः स्वीकृते रात्रौ विशुद्धस्तत्परित्यजन् ॥**

अर्थ—देश और कालके आश्रयसे कि इस देशमें दुर्भिक्ष है या यह समय दुर्भिक्षका है न जाने फिर आहार मिलेगा या नहीं इस प्रकार दुर्भिक्ष आदि किसी भी कारणका मनमें संकल्प करं अथवा शरीरमें कोई रोग नगैरह होनेके कारण निर्दोष रीतिसे तैयार किये गये शुद्ध भी अन्न-पानको रात्रिमें लेना स्वीकार करने पर विवेक (उस भोजनको साम देना ह) प्रायश्चित्त होता है ॥ १८९ ॥

**प्रत्याख्यातं निषिद्धं यद्भक्तपानादिकं भवेत् ।
तत्पाणिपात्रास्यसंस्थं विशुद्धः परिवर्जयेत् ॥**

अर्थ—जो अन्न, पान, स्वाद्य, लेह आदि भोजन त्याग

किया हुआ है अथवा पिंडशुद्धिमें देश कालको अपेक्षा; जिसका लेना निपिद्ध है वह भोजन यदि हाथमें रखा गया हो, या पात्रमें परोसा गया हो या मुखमें लिया गया हो तो उसका विवेक प्रायश्चित्त है ॥ २०० ॥

उत्पथेन प्रयातस्य सर्वत्राभावतः पथः ।

खिर्घेन च निशीथाद्वाववद्यस्वप्नदर्शने ॥ २०१ ॥

अर्थ—चारों दिशाओंमें मार्ग न मिलने पर उन्मार्ग होकर चलनेका, गोले अग्रामुक मार्ग होकर चलनेका या हरो धास बगैरह पर होकर गयन करनेका और आधीरात बीत जानेके बाद बुरे सपने देखनेका प्रायश्चित्त एक कायोत्सर्ग है ॥ २०१ ॥

सस्तरस्य वहिदेशोऽचक्षुषो विषये सृते ।

रात्रौ प्रसृटशश्यायां यत्नसुसोपवेशने ॥ २०२ ॥

अर्थ—उजेलेमें शयन स्थानका प्रतिलेखन कर रात्रिमें यत्नपूर्वक सोये और बैठ दो, पश्चात् सूर्योदय होने पर संथारेके इधर उधर जहाँ नजर नहीं पहुचती ऐसे पास ही के चलने, फिरनेके स्थानमें कोई जीव मरा हुआ देखनेमें आवे तो उसका प्रायश्चित्त कायोत्सर्ग है ॥ २०२ ॥

व्यापने च त्रेसे हृष्टे नद्याश्चागाढकारणात् ।

नावा निदोषयोत्तारे कायोत्सर्गो विशोधनं ॥

अर्थ—मरे हुये त्रेस जीवोंके देखनेका और दूसरोंके लिए

तथार की गई नाव आदि के द्वारा विना सूल्य नदी, समुद्र, तालाब आदि पार करनेका कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है ॥ २०३ ॥

ऋग्यादौ निर्गते देहादेहासक्तमृते त्रसे ।
महिकायां महावाते त्रसोत्थाने गतावपि ॥
लोचानध्यासने रात्रावद्युषे मलवर्जने ।
जीर्णोपधिपरित्यागे कायोत्सर्गे विशोधनं ॥

अर्थ—शरीरसे कुमि (लट) आदि के निकलने पर, अपने शरीरका स्पर्श पाकर अपने ही आप दो इंद्रिय आदि त्रय जीवोंके प्राण दे देने पर, जिनमें चींटी, डांस मच्छर आदि त्रय जीवोंका अधिक संचार हो ऐसी पृथिवी और प्रचंडवायुमें हो कर गमन करने पर, केशलोचको वाधा न सह सकने पर, रात्रिमें और दिनमें अशोधित स्थानमें मल-मूत्र करने पर, और पुराने तृण, चटाई आदि उपकरणोंके छोड़ने पर, कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त होता है ॥ २०४-२०५ ॥

श्रुतस्कंधपरीवर्तस्वाध्यायस्य विसर्जने ।
कालाद्युलंघनं स्याच्चेत्कायोत्सर्गे विशोधनं ॥

अर्थ—पूर्ण श्रुतस्कंधका या उसके किसी भागका पाठ और यंत्रपदका जाप अथवा द्वादशांगका व्याख्यान और स्वाध्यायके पूर्ण होने पर और वाचना, बंदना, स्वाध्याय आदि के समयका होने पर कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त होता है । **भावार्थ—**पूर्ण

द्वादशांग शास्त्रका या उसके किसी एक भागका पाठ करते समय, तथा मंत्रपदका जाप करते समय अथवा द्वादशांग शास्त्रका व्याख्यान और स्वाध्याय करते समय केवल अर्थमें केवल व्यंजनमें और अर्थ-व्यंजन दोनोंमें अत्यंत जल्दी २ बोलना, धीरे धीरे बोलना, अक्षर, पदाथे, हीन या अधिक बोलना इत्यादि दोष लगा करते हैं । अतः उन दोपोक्ती युद्धिके निमित्त उन सिद्धान्त शास्त्रोंका, व्याख्यान और स्वाध्याय पूरा होने पर कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त होता है । तथा इनका समय चूकने पर भी यही प्रायश्चित्त होता है ॥ २०६ ॥

दिवसे निशि पक्षेऽब्दे चतुर्मासोत्तमार्थके ।
मासे च द्रागनाभोगे कायोत्सर्गो विशेषधनं ॥

अर्थ—देवसिक, रात्रिक, पात्रिक, मासिक, चतुर्मासिक, सांवत्सरिक और उत्तमार्थक (अंत्य) प्रतिक्रमणक्रियाओंको जल्दी जल्दी करने पर, तथा अपरिज्ञात दोष विशेषके लगने पर कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त होता है ॥ २०७ ॥

एवमादितनूत्सर्गविधिमुलंधते यदा ।
अप्राप्तश्छेदभूमिं च तपोभूमिं तदा श्रेयेत् ॥

अर्थ—जिस समय जो मुनि ऊपर बताई हुई कायोत्सर्ग-विधिका उच्छ्वासन करता है वह उस समय छेद प्रायश्चित्तको प्राप्त न होता हुआ उपवासादि तप प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥

**नीरसः पुरुमंडश्चाप्याचाम्लं चैकसंस्थितिः ।
क्षमणं च तपो देयमेकैकं द्वयादिमिश्रकं ॥२०९॥**

अर्थ—निर्विकृति, पुरुमंडल, आचाम्ल, एकस्थान, और उपवास यह पांच प्रकारका तप एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार और पांच पांच भंगोंमें विभक्त कर आलोचना कायो-त्सग आदि और और प्रायश्चित्तोंके साथ साथ देना चाहिए ।
भावार्थ—निर्विकृति, पुरुमंडल, आचाम्ल, एकासन और उप-वास इनके प्रत्येक भंग, द्विसंयोगी भंग, त्रिसंयोगी भंग, चतुः-संयोगी भंग और पंचसंयोगी भंग पहले परिच्छेदमें कह आये हैं ये सब भंग तप प्रायश्चित्तके भेद हैं अतः कहीं एक एक, कहीं दो दो, कहीं तीन तीन, कहीं चार चार और कहीं पांच पांच भंगयुक्त तप प्रायश्चित्त आलोचना आदि प्रायश्चित्तोंके साथ साथ देना चाहिए ॥ २०९ ॥

**आषण्मासमिदं सर्वं सान्तरं च निरन्तरम् ।
अन्त्यतीर्थे न विद्येत तत ऊर्ध्वं तपोऽधिकम् ॥**

अर्थ—यह ऊपर कहा हुआ सर्व प्रकारका तप प्रायश्चित्त सान्तर और निरन्तर छह महीने तक करना चाहिये, अधिक नहीं । क्योंकि वर्धमान स्थायीके तीर्थमें छह माससे ऊपर अधिक तप नहीं है । भावार्थ—अंतिप तीर्थकर श्रीवर्धमान स्थायीके तीर्थमें मनुष्योंकी आयु, काल और शक्ति वहुत न्यूनताको लिए है अतः उनकी शक्तिके अनुसार ही तप प्रायश्चित्त होना

चाहिए । यद्यपि प्रायश्चित्त पापोंकी शुद्धि करनेवाला है पर तो भी शक्तिके अनुसार किया हुआ ही पापोंका नाश करता है । शक्तिके बाहर करनेसे आर्तध्यान आदि अशुभ परिणाम उत्पन्न हो आते हैं जिनका फल अशुभ ही बताया गया है । उपर्युक्त सान्तर तथा निरन्तर तप करनेका विधान इस प्रकार है । प्रथम प्रत्येक भंगकी अपेक्षासे बताते हैं । एक दिन छोड़ कर निर्विकृति आदिके करनेको सान्तर कहते हैं तथा एक दिन न छोड़कर दो दो दिन तीन तीन दिन आदि दिनों तक लगातार करनेको निरंतर कहते हैं । सो ही कहते हैं । एक दिन निर्विकृति दूसरे दिन सामान्य आहार, फिर निर्विकृति फिर दूसरे दिन सामान्य आहार इस तरह एकान्तरसे पूर्ण छह महीने तक निर्विकृति की जाती है । दो दो निर्विकृति एक सामान्य आहार फिर दो दो निर्विकृति एक सामान्य आहार इस तरह निरन्तर छह महीने तक निर्विकृति समझना चाहिए । इसी तरह तीन तीन निर्विकृति एक सामान्य आहार तथा चार चार निर्विकृति एक सामान्य आहार, तथा पांच पांच निर्विकृति एक सामान्य आहार इत्यादि विधिके अनुसार निरन्तर छह महीने तक निर्विकृतिका क्रम समझना चाहिए । जिस तरह सान्तर और निरन्तर निर्विकृतिके करनेका क्रम है उसी तरह पुरु 'डल, आचाम्ल, एक स्थान और उपवासका समझना चाहिए यह हुआ एक एक भंगकी अपेक्षा । द्विसंयोगी भंगोंकी अपेक्षा निर्विकृति और पुरु घंडल वे दोनोंकरके सामान्य आहार करना इस तरह छह महीने

तक करना । इसी तरह निर्विकृति और आचाम्ल, निर्विकृति और एकस्थान, निर्विकृति और उपवास आदि द्विसंयोगी शलाकाओंका सान्तर और निरन्तर क्रम समझना चाहिए । दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह आदि द्विसंयोगी शलाकाओंको करके सामान्य आहार करना निरन्तर द्विसंयोगी शलाकाओंके करनेका क्रम है । इसी तरह त्रिसंयोगी, चतुर्संयोगी, पंचसंयोगी शलाकाओंको सान्तर और निरन्तर छह महीने तक करना चाहिए । एवं पष्ठोपवास, (बैला) अष्टमोपवास (तेला) दशमोपवास (चौला) द्वादशोपवास (पचौला) पक्षोपवास, मासोपवास आदि तथा एककल्याण पंचकल्याणक आदि विशेष तपोंका संग्रह भी यहाँ पर समझना चाहिए । इस तरह यह कल्पव्यवहार प्रायश्चित्तका अभिप्राय है ॥ २१० ॥

अपमृष्टे परामर्शे कंडूत्याकुञ्चनादिषु ।

जलखेलादिकोत्सर्गे पंचकं परिकीर्तितम् ॥

अर्थ—विना प्रतिलेखन की हुई वस्तुओंको स्पर्श करनेका खण्ड खुजानेका हाथ पैर आदिके संकोचने, पसारने, आदि शब्दसे उद्भृत उद्भृत अर्थ परावर्तन आदि क्रियाविशेषके करनेका, तथा अप्रतिलेखित स्थानमें मल-मूत्र करने कफ डालने आदिका कल्याणक प्रायश्चित्त कहा गया है ॥ २११ ॥

दुङ्गस्य च करोद्धर्ते जंधासंपुटवेशने ।

६ २१२। तमंगादाने च पंचकं ॥ २१२ ॥

अर्थ—लिंगका हाथसे परिषद्दन करने पर, उसे दोनों जंघाओंके मध्यमें रखने पर तथा कांटे, ईंट, काष्ठ, खपरे, भस्म गोमय आदि विना दी हुई चीजोंको तोड़ने-फोड़ने और ग्रहण करने पर, कल्याणक प्रायश्चित्त होता है ॥ २१२ ॥

**तंतुच्छेदादिके स्तोके दन्ताङ्गुल्यादिभिस्तथा ।
इत्यादिकं दिवाऽणीयो गुरुः स्याद्रात्रिसेवने ॥**

अर्थ—सूक्ष्म तंतु, तुण, काष्ठ आदि वस्तुओंको दान्त, उंगली आदिसे तोड़ने-फोड़नेका पंचक प्रायश्चित्त है। इन तंतु-च्छेदन आदि कृत्योंको दिनमें करे तो लघुतर प्रायश्चित्त और रात्रिमें करे तो गुरुतर प्रायश्चित्त होता है ॥ २१३ ॥

**प्रायश्चित्तं चरन् ग्लानो रोगादातंकतो भवेत् ।
नीरोगस्य पुनस्तस्य दातव्यं पंचकं भवेत् ॥**

अर्थ—दिये हुए प्रायश्चित्तका आचरण करता हुआ मुनि यदि किसी रोगसे या जठरशूल शिरः शूल आदिके निमित्तसे पीड़ित हो जाय तो उसको नीरोग होने पर कल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २१४ ॥

**प्रायश्चित्तं वहन् सूरेः कार्यं संसाधयेत् सुधीः ।
परदेशो स्वदेशो वा दातव्यं तस्य पंचकं ॥२१५॥**

अर्थ—उपवास आदि प्रायश्चित्त करता हुआ बुद्धिमान मुनि देशान्तरोंको जाकर या स्वदेशमें ही जाकर आचार्य (गुरु)

का कोई कार्य साधन करे तो उसको कार्यसाधन कर बापिस आने पर कल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २१५ ॥

सालंबो यत्नतोऽध्वानं योऽभिप्रजति संयतः ।
निस्तीर्णस्य सतस्तस्य दातव्यं पञ्चकं भवेत् ॥

अर्थ—जो कोई संयत, किसी देव ऋषिके कार्यके निषिद्ध यत्नपूर्वक मार्ग गमन करे-कहीं जाय तो उसको लौटकर बापिस आने पर कल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २१६ ॥

नखच्छेदादिशस्त्रादि वास्याद्यैर्डुकादिके ।
लघुगुरुवेक्षत्वारः परश्वाद्यैश्च कर्त्तवे ॥ २१७ ॥

अथ—नखच्छेदादि नहर्नी, छुरा, केंची आदिसे लकड़ी वगैरह को छीलने पर लघुमास, शस्त्रादि छुरी खुरपा आदि से छीलने पर गुरुमास, वास्यादि बमूला आदिसे छीलने पर लघुचतुर्मास और परश्वादि कुलहाङ्गी आदिसे टुकड़े करने पर गुरुचतुर्मास प्रायश्चित्त होता है ॥ २१७ ॥

एकहस्तोपलाभ्यां च दोभ्यां मौद्ररमौसलात् ।
लघुगुरुवेक्षत्वारः प्रभेदादिष्टकादितः ॥ २१८ ॥

अर्थ—सिर्फ हाथसे इंट लकड़ी आदि चीजोंको तोड़ने-फोड़ने पर एक लघुमास, एक हाथ और पत्थर दोनोंसे अर्धात्र हाथमें पत्थर लेकर तोड़ने-फोड़ने पर एक गुरुमास, दोनों

हाथोंमें मुद्दर पकड़ कर तोड़ने-फोड़ने पर लघुचतुर्पास और दोनों हाथोंमें मूसल पकड़कर तोड़ने-फोड़ने पर गुरुचतुर्पास प्रायश्चित्त होता है ॥ २१८ ॥

लघुं गुरुं तनुत्सर्गाखीनूर्ध्वमासतोऽ श्नुते ।
आवश्यकमकुर्वणश्चतुर्मासांस्तथाविधान् ॥

अर्थ—रोग आदिसे पीड़ित हाकर एक माह तक वंदना, प्रतिक्रपण और कायोत्सर्ग इन तान आवश्यकोंको न करे तो इस अपराधका प्रायश्चित्त एक लघुमास है । और यदि दृप (अहंकार) से न करे तो उस अपराधका प्रायश्चित्त एक गुरुमास है । तथा यदि व्याधिवश सभी आवश्यकोंको न करे तो लघुचतुर्पास प्रायश्चित्त है और नारोग हाकर भी परवशताके कारण याद इन सभी आवश्यक क्रियाओंको न करे तो गुरुचतुर्पास प्रायश्चित्त है ॥ २१९ ॥

आधाकर्भणि राजान्धस्यार्याभ्युत्थानतस्तथा ।
असंयातभिवादेच मासस्याधश्चतुर्गुरुः ॥२२०॥

अर्थ—छहों जीवनिकायोंको वाधा पहुंचानेवाली निकृष्ट क्रियाओं द्वारा उत्पन्न हुआ आहार लेने पर, राजपिंड ग्रहण करने पर, आर्यिकाको आती देखकर उसका विनय करनेके नियम सन्मुख जाने पर और असंयतजनोंको वंदना कर लेने पर एक माह पूर्ण न होने तक चार ग्रूपास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २२० ॥

न पुंसकस्ये कुत्स्यस्य कीवाद्यस्य च दीक्षण ।
वर्णापरस्य दीक्षायां षण्मासा गुरवः स्मृताः ॥

अर्थ—नपुंसकको, कुष्ठ (कोह) ब्रह्महसा आदि दोषों से दूषित पुरुषको, कलीब—दीनको, आदि शब्दसे अत्यन्त बालक और अत्यन्त वृद्धको तथा वर्णापर—दासीपुत्रको दीक्षा देने पर दीक्षादाताको छह गुरुमास प्रायश्चित्त देने चाहिए सो ही छेदपिंडमें कहा है—

अइबालवुडदासेरगर्भिमणीसंढकारुगादीण ।
पञ्चज्ञा दिंतस्त हु छगुरुमासा हवदि छेदो ॥ १ ॥
अतिबालवृद्धदासेरगर्भिमणीषंढकारुकादीनां ।
प्रवज्यां ददतः हि षड्गुरुमासाः भवति छेदः ॥

अर्थात् अत्यन्त बालक, अत्यन्तवृद्ध, दासीपुत्र, गर्भिणी स्त्री, नपुंसक, शूद्र आदिको दीक्षा देनेवालेके लिए छह गुरुमास प्रायश्चित्त है ॥ २२१ ॥

तपोभूमिमतिक्रान्तो न प्राप्तो मूलभूमिकां ।
छेदाहाँ तपसो भूमिं संप्रपद्येत भावतः ॥ २२२ ॥

अर्थ—जो तपकी योग्यताको उल्लंघन कर चुका हो और मूलभूमिको प्राप्त न हुआ हो वह परमार्थसे छेद योग्य तपो भूमिको प्राप्त होता है । भावार्थ—जो तप प्रायश्चित्तकी योग्यता

से तो बाहर निकल गया हो और मून्नप्रायश्चित्तके योग्य न हो तो उसे छेद प्रायश्चित्ता देना चाहिए । तदुक्तं—

तंवभूमिमादिकंतो मूलङ्गाणं जो न संपत्तां ।

से परियायच्छेदो पायच्छत्तां समुद्दिष्टं ॥ १ ॥

योऽतिचारो न शोध्येत तपसा भूरिणापि च ।

पर्यायश्चछद्यते तेन क्षिन्तांवूलपत्रवत् ॥२२३॥

अर्थ—जो कोई मुनि प्रचुर उपवास आदिके द्वारा भी अपने दोषोंको दूर न कर सकता हो तो सहे हुए ताम्बूलपत्रके अंशच्छेदकी तरह उसको दीक्षाका अंश छेद देना चाहिए । भावार्थ—जैसे ताम्बूलपत्रका जितना भाग पानीसे रह गल जाता है उतना केंची वगैरहसे कतर कर फँक दिया जाता है और शेष भाग रख लिया जाता है उसी तरह वहूतसे उपवास आदि करने पर भी जिसके अपराधोंकी शुद्धि न हो सकती हो उसकी दीक्षामेंसे दिवस, पक्ष, यास आदिको अवधि तकका दीक्षा छेद देना चाहिए ॥ २२३ ॥

प्रब्रज्याकालतः कालच्छेदेन न्यूनतावहः ।

मानापहारकश्छेद एकरात्रादिकः स तु ॥२२४॥

अर्थ—जिस समयसे वह साधु दीक्षा लेता है उस समयसे

१ तपाभूमिमतिकान्तो मूलस्थानं च यः न संप्राप्तः ।

तस्य पर्यायच्छेदः प्रायश्चित्तं समुद्दिष्टं ॥

लेकर जितना समय दीक्षाका हो चुकता है उसमेंसे कालके विभागसे जितनी दीक्षा छेद दी जाती है उतनी कम हो जाती है अतः उस छेदसे उसका उतना दीक्षाभियान नष्ट हो जाता है वह छेद एक दिन दो दिन, तीन दिन, पक्ष, मास आदिकी अवधि पर्यंत होता है ॥ २२४ ॥

साधुसंघं समुत्सृज्य यो भ्रमत्येक एव हि ।
तावत्कालोऽस्य पर्यायिञ्छद्यते समुपेयुषः ॥

अर्थ—जा काई साधु मुनिसंघको छोड़कर अकेला परिभ्रमण करता रहे तो लौटकर वापिस आने पर उसकी उतनी दीक्षा—जितने काल तक कि वह अकेला धूमता रहा है छेद देना चाहिए ॥ २२५ ॥

सन् यथोक्तविधिः पूर्वमवसन्नः कुशीलवान् ।
पार्श्वस्थो वाथ संसक्तो भूत्वा यो विरहत्यभीः ॥
यावत्कालं भ्रमत्येष मुक्तमार्गो निरुत्सुकः ।
तावत्कालोऽस्य पर्यायिञ्छद्यते समुपेयुषः ॥

अर्थ—जो पहले शास्त्रोक्त आचरणको पालता हुआ बाद अवसन्न, कुशील, पार्श्वस्थ और संसक्त होकर यथेष्ट निर्भकिता-से पर्यटन करता रहे। पर्यटन करते करते जब वह लौटकर वापिस आवे तब जितने काल तक वह रत्नत्रयसे रहित और धर्ममें निरुत्सुक होता हुआ भ्रमण करता रहा है उतने कालतक की उसकी दीक्षा छेद दी जाती है ॥ २२६-२२७ ॥

पार्श्वस्थै विहरन् सार्धं सकुद्दोषनिषेवकः।
आषण्मासं तपस्तस्य भवेच्छेदस्ततः परं ॥

अर्थ—एक बार दोष सेवन करनेवाला जो कोई साधु छह महीने तक पार्श्वस्थ साधुओंके साथ पर्यटन करता हुआ जब लौट कर संघमें वापिस आवे तब उसे तप प्रायश्चित्त और छह महीने बाद आनेसे छेद प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २८ ॥

कृताधिकरणो गच्छऽनुपशान्तः प्रयाति यः ।
तस्य च्छेदो भवेदेष स्वगणेऽन्यगणेऽपि च ॥

अर्थ—जो कोई मुनि संघमें कलह करके क्षमा मांगे विना चला जाय याः संघहीमें निवास करता रहे तो उसके लिए स्वसंघमें और परसंघमें नीचे लिखा छेद प्रायश्चित्त है ॥ २९ ॥
प्रत्यहं छेदनं भिक्षोः पंचहानि स्वके गणे ।

वृषभस्य दशोक्तानि गणिनो दशपञ्च च ॥२३०॥

अर्थ—सामान्य साधुके लिए स्व.गणमें प्रतिदिन पांचदिन-का, प्रधानमुनिके लिए प्रतिदिन दश दिनका और आचार्यके लिए प्रतिदिन पंद्रह दिनका दीक्षाच्छेद है । भावार्थ—सामान्य मुनि या प्रधान मुनि या आचार्य कलह करके संघमें बने रहें और एक दिन क्षमा न मांगे तो सामान्य मुनिको पांचदिनकी, प्रधानमुनिकी दश दिनकी और आचार्यकी पंद्रह दिनकी दीक्षा छेद देनी चाहिए । इस हिसाबसे जितने दिनों तक वे क्षमा न

मांगे उतने दिनों तक प्रतिदिन पांच पांच, दश दश और पंद्रह पंद्रह गुणी दीक्षा छेद देनी चाहिए ॥ २३० ॥

प्रत्यहं छेदेनं भिक्षोर्दशाहानि परे गणे ।

दशपञ्च वृषस्यापि विंशतिर्गणिनः पुनः ॥

अर्थ—परगणमें सामान्य साधुके लिए प्रतिदिन दशदिनका, प्रधानमुनिके लिए पंद्रह दिनका और आचार्यके लिए बीस दिन का दीक्षा छेद प्रायश्चित्त है । भावार्थ—कोई सामान्य साधु कलह करके विना क्षमा कराये परगणमें चला जाय वह यदि एक दिन क्षमा न मांगे तो बीस दिन एवं प्रतिदिन दश दश दिनके हिसावसे उसकी दीक्षाका छेद कर देना चाहिए । तथा प्रधान मुनि कलह करके विना क्षमा कराये परगणमें चला जाय वह यदि एक दिन क्षमा न मांगे तो पंद्रह दिन, दो दिन न मांगे तो तीस दिन, एवं प्रतिदिन पंद्रह पंद्रह दिनके हिसावसे उसकी दीक्षाका छेद कर देना चाहिए और आचार्य कलह करके विना क्षमा मांगे परगणमें चला जाय वह यदि एक दिन क्षमा न मांगे तो बीस दिन, दो दिन क्षमा न मांगे तो चालीस दिन एवं प्रतिदिन तीस तीस दिनके हिसावसे उसकी दीक्षा छेद देनी चाहिए ॥ २३१ ॥

इत्यादिप्रतिसेवासु छेदः स्यादेवमादिकः ।

छेदेनापि च संछिद्याद्यावन्मूलं निरन्तरम् ॥

अर्थ—इसादि दोषोंके सेवन करने पर इस तरहका छेद

प्रायश्चित्त होत है छेद करके भी फिर छेद करे, फिर छेद करे, फिर छेद करे, सो निरन्तर छेदते छेदते तब तक छेद करे जब तक कि मूल प्रायश्चित्त प्राप्त न हो । भावार्थ—कौन कौनसे दोषोंके लगने पर कितने कितने दिनकी दीक्षा छेद देना चाहिए यह ऊपर वर्णन कर आये हैं । यह दीक्षा दोषोंके अनुसार एक दिनको आदि लेफर एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चारदिन, पांच दिन, दश दिन, पद्म, मास, चतुर्मास, छहमास, वर्ष, दीक्षाका आधा भाग, पोना भागको इस तरह छेदते छेदते तब तक छेदी जाय जब तक कि मूल प्रायश्चित्त प्राप्त नहीं होता ॥ २३२ ॥

छेदभूमिमातिक्रान्तः परिहारमनापिवान् ।

प्रायश्चित्तं तदा मूलं संप्रपद्येत भावतः ॥ २३३ ॥

अर्थ—जो छेद प्रायश्चित्तकी योग्यताको तो उल्लंघन कर चुका हो और परिहार प्रायश्चित्त दिये जाने की योग्यताको न पहुंचा हो उस समय वह परमार्थसे मूल-पुनः दीक्षा देना रूप प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । भावार्थ—ऐसा अपराध जो छेद प्रायश्चित्तसे शुद्ध न हो सकता हो और परिहार प्रायश्चित्तके योग्य न हो ऐसो दशामें मूल प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २३३ ॥

**श्रामण्यैकगुणा यस्माद्बोषान्नश्यन्ति कात्स्न्यतः ।
भ्रष्टव्रतस्य तत्स्य मूलं स्याद् व्रतरोपणं ॥२३४॥**

अर्थ—जिस दोषके सेवनसे यहांव्रत विलकुल नष्ट हो गये हों

ऐसी अवस्थामें महाव्रतोंसे भ्रष्ट उस मुनिको पुनः महाव्रतोंको दीक्षा देना यह मूल प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २३४ ॥

दृक्चारित्रव्रतभ्रष्टे त्यक्तावश्यककर्मणि ।

अन्तर्वल्नीभुकुंसोपदीक्षणे मूलमुच्यते ॥ २३५ ॥

अर्थ—दर्शन, चारित्र और महाव्रतोंसे भ्रष्ट हो जाने पर, छह आवश्यक क्रियाएं छोड़ देने पर तथा गर्भिणी और नपुंसकको दीक्षा देनेपर मूल प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २३५ ॥

उत्सूत्रं वर्णयेत् कामं जिनेन्द्रोक्तमिति ब्रुवन् ।

यथाच्छंदो भवत्येष तस्य मूलं वितीर्यते ॥ २३६ ॥

अर्थ—जो आगम विरुद्ध बोलता हो उसे मूल प्रायश्चित्त देना चाहिए । तथा जो सर्वज्ञ प्रणीत वचनोंको अपनी इच्छानुसार लोगोंको कहता फिरता हो वह स्वेच्छाचारी है अतः उस स्वेच्छाचारीको भी मूल प्रायश्चित्त देना चाहिए । भावार्थ—आगम विरुद्ध बोलनेवाले और सर्वज्ञ प्रणीत वचनोंका पन्याना अर्थ करनेवाले पुरुषोंके इन अपराधोंकी शुद्धि मूल प्रायश्चित्तसे होती है ॥ २३६ ॥

पार्वस्थादिचतुणां च तेषु प्रव्रजिताश्च ये ।

तेषां मूलं प्रदातव्यं यद्ब्रतादि न तिष्ठति ॥

अर्थ—पार्वस्थ, कुशील, अवसन्न और मृगचारी इन पार्वस्थादि चारोंको और जो इनके पास दीक्षित हुए हैं उनको मूल प्रायश्चित्त देना चाहिए क्योंकि ये सब महाव्रत आदिसे भ्रष्ट हैं ॥

अन्यतीर्थगृहस्थानां कांदपर्णलिंगकारिणः ।
मूलमेव प्रदातव्यमप्रमाणापराधिनः ॥ २३८ ॥

अर्थ—अन्यलिंगियोंको, गृहस्थोंको, उपहास पूर्वक लिंगधारण करनेवालोंको और अपरिमित अपराधियोंको मूल प्रायश्चित्त ही देना चाहिए। भावार्थ—जो अन्य लिंगी हो गये हों और गृहस्थ हो गये हों वे लौटकर पुनः संघमें आवें तो उन्हें मूल प्रायश्चित्त ही देना चाहिए। तथा जिन्होंने परमार्थसे मुनिवेष धारण न कर उपहाससे धारण किया हो और जिनका अपराध अपरिमित हो उनको भी मूल प्रायश्चित्त ही देना चाहिए ॥ २३८ ॥

इत्यादिप्रतिसेवासु मूलनिर्धातिनीष्वपि ।
हरिवंश्यादिदीक्षायां मूलं मूलाधिरोहणात् ॥

अर्थ—मूलगुणोंको घात करनेवाले उपर्युक्त दोषोंके सेवन करने पर तथा चांडाल आदिको दीक्षा देने पर मूल प्रायश्चित्तकी योग्यता आ उपस्थित होती है अतः मूल प्रायश्चित्त देना चाहिए। भावार्थ—महाव्रत आदि अष्टाइस मूलगुणोंके घातक दोषोंके सेवन करने पर मूल प्रायश्चित्त देना चाहिए और चांडालोंको मुनिदीक्षा देनेवाले आचार्यको भी मूलप्रायश्चित्त देना चाहिए और जिसको दीक्षा दी जाय उसको संघसे निकाल देना चाहिए ॥ २३९ ॥

मूलभूमिमतिक्रान्तः संप्राप्तः परिहारकं ।

परिहारविधिं प्राज्ञः संप्रपद्येत भावतः ॥ २४० ॥

अर्थ—मूलप्रायश्चित्तकी योग्यताको उद्घाटन कर उक्ता हो अर्थात् ऐसा अपराध जो मूल प्रायश्चित्तसे शुद्ध न हो सकता हो तो वह परिहार प्रायश्चित्तके योग्य होता है अतः वह बुद्धिमान् परमार्थसे परिहार प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ २४० ॥

परिहार्यः संघस्य स वा संघं परित्यजन् ।

परिहारो द्विधा सोऽपि पारच्यप्यनुपस्थितिः ॥

अर्थ—वह प्रायश्चित्तभागी पुरुष संघका परिहार्य होता है अथवा वह संघका परिहार करता है। परिहार प्रायश्चित्तके दो भेद हैं एक अनुपस्थान और दूसरा पारचिक। भावार्थ—किसी नियत अवधिको लिए हुए वह प्रायश्चित्तभागी पुरुष संघसे बाहर कर दिया जाता है अथवा वह संघसे बाहर रहता है इसीका नाम परिहार प्रायश्चित्त है। अनुपस्थान और पारचिक ये दो उसके भेद हैं ॥ २४१ ॥

शिक्षकैरपि नो यस्य सुश्रूषावंदनादिकम् ।

अभ्युत्थानं विधीयेत कुर्वतः सोऽनुपस्थितिः ॥

अर्थ—वह साधु जो अनुपस्थान-प्रायश्चित्तके योग्य होता है उन्हें पश्चात् दोक्षित हुए साधुओंकी सेवा-सुश्रूषा करता है, उन्हें वंदना करता है और उन्हें आते देखकर विनयके अर्थ

सन्मुख जाता है परन्तु वे पश्चात् दीक्षित् साधु उसकी सेवा सुश्रूपा नहीं करते, उसे नप्रस्कार नहीं करते और न उसे आते देखकर विनयके निमित्त सन्मुख ही जाते हैं । भावार्थ—जिस साधुको अनुपस्थान-प्रायश्चित्त दिया जाता है वह मुनि-परिषद् से बच्चीस धनुप-प्रमाण दूर बैठकर गुरुद्वारा दिये हुए प्रायश्चित्त-का अनुष्ठान करता है । पश्चात् दीक्षित् साधुओंको भी स्वयं बन्दना आदि करता है पर वे पश्चात् दीक्षित् साधु उसे बंदना आदि नहीं करते । इस अनुपस्थान-प्रायश्चित्तके दो भेद हैं । एक स्वगण-अनुपस्थान दूसरा परगण-अनुपस्थान । स्वगणानु-पस्थान प्रायश्चित्तमें वह सापराध साधु अपने दोषोंकी आलोचना अपने संघके आचार्यके समीप ही करता है । और परगणा-नुपस्थान-प्रायश्चित्तमें परसंघके आचार्योंके समीप जा जा कर करता है । वह इस तरह कि-जिस गणमें जिस साधुको इर्ष आदि हेतुओंसे दोष लगते हैं उस गणके आचार्य उस सापराध साधुको किसी दूसरे संघके आचार्यके समीप भेजते हैं । वहाँ जाकर वह उस संघके आचार्यके सपन्न अपने दोषोंकी आलोचना करता है । वे आचार्य भी उसके दोष सुनकर और प्रायश्चित्त न देकर किसी अन्य संघके आचार्यके समीप भेज देते हैं । वहाँ भी वह अपने दोषोंको आलोचना करता है । पश्चात् वहाँसे भी वह उसी तरह और और आचार्योंके पास भेज दिया जाता है । इस तरह तीन, चार, पांच, छह, सात संघके आचार्योंके पास तक अपराधके अनुसार भेजा जाता है । आस्तिर, अंतिम

गणके आचार्य उसकी आलोचना सुनकर और प्रायश्चित्त न देकर जिस आचार्यने उसे अपने पास भेजा है उन्हींके पास उसे वापिस भेज देते हैं । वे अपने पास भेजनेवालेके पास भेज देते हैं एवं जिस क्रमसे जाता है उसी क्रमसे लौटकर अपने संघके आचार्यके सपोष आता है । वहां आकर वह गुह द्वारा दिये गये प्रायश्चित्तको पालता है ॥ २४२ ॥

**अन्यतीर्थं गृहस्थं स्त्रीं सचितं वा सकर्मणः ।
चोरयन् बालकं भिक्षुं ताडयन्नुपस्थितिः ॥**

अर्थ—अन्य लिंगीको, गृहस्थीको, स्त्रीको और बालकको चुरानेवाला तथा अपने साधर्मी ऋषिके छात्रोंको भी चुराने वाला और साधुको दंड आदिसे मारनेवाला अनुपस्थान प्रायश्चित्तका भागी होता है । भावार्थ—इस तरहके कर्तव्य करने वालेको अनुपस्थान प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २४३ ॥

द्वादशोन जघन्येन षण्मास्या च प्रकर्षतः ।

चरेदु द्वादशा वर्षाणि गण एवानुपस्थितिः ॥

अर्थ—वह अनुपस्थान प्रायश्चित्तवाला मुनि अपने संघमें ही जघन्यसे पांच पांच उपवास और उत्कृष्टपनेसे छह छह महीने के उपवास वारह वर्षपर्यंत करे । भावार्थ—क्रमसे कम निरंतर पांच उपवास करके पारणा करे फिर पांच उपवास करके फिर पारणा करे एवं वारह वर्ष तक करे तथा अधिकसे अधिक छह महीनेके उपवास करके पारणा करे फिर छह महीनेके उपवास

करके पारणा करे एवं वारह वर्ष तक करे । और पध्नम छह छह उपवास कर पारणा करते हुए सात सात उपवास कर पारणा करते हुए वारह वर्ष तक करे ॥ २४४ ॥

**एवमाद्यनुपस्थानप्रतिसेवाविलंघितः ।
प्रायश्चित्तं तु पारंचं प्रतिपद्येत् भावतः ॥२४५॥**

अर्थ—इतादि अनुपस्थान परिहारके योग्य दोपाचरणोंका जो उल्लंघन कर चुका है वह परमार्थसे पारंचक प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । भावार्थ—ऐसा दोपाचरण जो अनुपस्थान-परिहार नामके प्रायश्चित्तसे दूर न हो सकता हो ऐसी दशामें इससे ऊंचा पारंचिक प्रायश्चित्त दिया जाता है ॥ २४५ ॥

**अपूज्यश्चाप्यसंभोगो दोपानुद्युष्य गच्छतः ।
वहिष्ठृतोऽपि तद्देशात् पारंचो तेन स स्मृतः ॥**

अर्थ—यह अपूज्य है और अबंदनीय है इस तरह दोपोंकी उद्घोपणा पूर्वक वह देशसे भी निकाल दिया जाता है इसलिए वह साधु पारंचिक कहलाता है । भावार्थ—ऋषि, यति, मुनि और अनगार इस चातुर्वर्ण संघको बुलाकर कि यह अपूज्य है अबंदनीय है, भापण करने योग्य नहीं है, महा पातकी है, इम लोगोंसे वहिष्ठृत है इस तरह उसके तथाप दोपोंको कहकर वह गणसे और उस देशसे भी निकाल दिया जाता है और जहां पर कि लोग धर्म-कर्मको नहीं पहचानते वहां जाकर प्राय-

श्वित्तका आचरण करता है इसलिए उसे पारंचिक कहते हैं। ‘पारंची’ शब्दकी व्युत्पत्ति भी ऐसी है कि “धर्मस्थ पारं तीरं अंचति गच्छतीति पारंची” अर्थात् जो धर्मकी पार—तोरको पहुँच गया है वह पारंची है। अथवा “पारं अंचति परदेशं एति गच्छतीति पारंची” अर्थात् जो गुरुद्वारा दिये गये प्रायश्चित्तका आचरण करनेके लिए परदेशको जाता है वह पारंची है ॥२४६॥

आसादनं वितन्वानस्तीर्थकृत्प्रभृतेरिह ।

सेवमानोऽपि दुष्टादीन् पारंचिकमुपांचति ॥

अर्थ—तीर्थकर आदकी आसादना करनेवाला तथा राजाके प्रतिकूल दुष्ट पुरुषोंका आश्रय लेनेवाला साधु पारंचिक प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है। भावार्थ—जो साधु तीर्थद्वारोंकी अवज्ञा करे और राजासे विरुद्ध उसके शङ्खओंका आश्रय लेकर रहे उसे पारंचिक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २४७ ॥

आचार्यांश्च महाद्विष्णु तीर्थकृदणनायकान् ।

श्रुतं जैनं मतं भूयः पारं व्यासादयन् भवेत् ॥

अर्थ—आचार्य, महाद्विष्णु-आचार्य, तीर्थद्वार, गणधरदेव, जैनागम और जैन-मत इन सबकी अवज्ञा करनेवाला साधु पारंचिक प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ २४८ ॥

द्वादशेन जघन्येन षण्मास्या च प्रकर्षतः ।

चरेद् द्वादशवर्षाणि पारंची गणवर्जितः ॥२४९॥

अर्थ—वह पारंचिक प्रायश्चित्तवाला मुनि संघसे वाहिर

रहकर कमसे कम पांच पांच उपवास और अधिकसे अधिक छह छह महीने के उपवास वारह वर्ष तक करे । भावार्थ-जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे तीन भेद पारंचिक प्रायश्चित्त के हैं । तीनों ही प्रकारका प्रायश्चित्त वारह वर्ष तक करना पड़ता है । कमसे कम पांच उपवास कर पारणा करे फिर पांच उपवास कर पारणा करे एवं वारह वर्ष तक करे और अधिकसे अधिक छह महीने उपवास कर पारणा करे फिर छह महीने उपवास कर पारणा करे एवं वारह वर्ष तक करे । तथा मध्यम भी छह छह सात सात आदि उपवास कर पारणा करते हुए वारह वर्ष तक करे ॥ २४६ ॥

राजापकारको राजामुपकारकदीक्षणः ।

राजाप्रमहिषी सेवी पारंची संप्रकीर्तिः ॥

अर्थ—राजाका भ्रष्टि चितवन करनेवाला, राजाके उपकारक मंत्री पुरोहित आदिको दीक्षा देनेवाला और पट्टरानीका सेवन करनेवाला साथु भी पारंचिक प्रायश्चित्त के योग्य कहा गया है ॥ २५० ॥

अनाभोगेन मिथ्यात्वं संक्रान्तः पुनरागतः ।

तदेवच्छेदनं तस्य यत्सम्यगभिरोचते ॥ २५१ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वरूप परिणामोंको प्राप्त होकर पुनः अपनी निन्दा और गर्हा करता हुआ सम्यक्त्व-परिणामोंको प्राप्त हो तथा उसके इन परिणामोंको कोई जान न सके तो उसके लिए

जो उसे रुचे वही प्रायश्चित्त है । भावार्थ—कारणवश सम्यक्त्व परिणामोंसे च्युत होकर मिथ्यात्व परिणामोंको प्राप्त हो जाय अनन्तर वह अपने इन परिणामोंकी निन्दा और गर्हा करता हुआ पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हो और उसकी इस परिणतिको कोई न जान सके तो उसके लिए वही प्रायश्चित्त है जो कि उसे रुचे, अन्य नहीं ॥ २५१ ॥

यः साभोगेन मिथ्यात्वं संक्रान्तः पुनरागतः ।
जिनाचार्याङ्गया तस्य मूलमेव विधीयते ॥ २५२ ॥

अर्थ— जो मिथ्यात्वको प्राप्त होकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हो तथा उसको इस परिणतिको कोई जान ले तो सर्वज्ञदेव और आचार्योंके उपदेशानुसार उसे मूल प्रायश्चित्त ही देना चाहिए ॥ २५२ ॥

प्रायश्चित्तं जिनेन्द्रोक्तं रत्नत्रयविशोधनं ।
प्रोक्तं सक्षेपतः किंचिच्छोधयन्तु विपरिचतः ॥

अर्थ— जिनेन्द्रदेव द्वारा कहा गया, रत्नत्रयकी शुद्धि करने वाला यह छोटासा प्रायश्चित्त-संग्रह नामका शास्त्र संक्षेपसे मैंने (गुरुदास-आचार्यने) बनाया है उसको प्रायश्चित्तादि नाना शास्त्रोंके द्वाता विद्वान् शुद्ध करें ॥ २५३ ॥

॥ इति प्रायश्चित्ताधिकारः सक्षमः ॥



प्रायश्चित्त-चूलिका ।

ग्रन्थके आरंभमें ग्रन्थकर्ता निर्विघ्न शास्त्र समाप्तिके लिए और शिष्टाचारके परिपालनके लिए प्रथम इष्ट देवताको नमस्कार करते हैं—

**योगिभिर्योगगम्याय केवलायाविनाशिने ।
ज्ञानदर्शनरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने ॥ १ ॥**

अर्थ—जो योगियों द्वारा ध्यानसे जाने जाते हैं, केवल— शुद्ध हैं, अविनाशी हैं, केवलज्ञान और केवलदर्शन तथा इनके अविनाभावी अनन्तनीर्य और अनन्तसुख-स्वरूप हैं ऐसे परमात्मा को नमस्कार हो ॥ १ ॥

इस्तरह अतीत अनागत और वर्तमानके विषय, सामान्यकी अपेक्षासे एक सिद्ध परमेष्ठीको प्रथम नमस्कार कर उसके अनन्तर प्रायश्चित्त चूलिकाका पारंभ किया जाता है—

**मूलोत्तरगुणेष्वीषद्विशेषव्यवहारतः ।
साधूपासकसंशुद्धिं वक्ष्ये संक्षिप्य तद्यथा ॥ २ ॥**

अर्थ—मूलगुण और उत्तरगुणोंके विषयमें विशेष प्रायश्चित्त शास्त्रके अनुसार यति और श्रावकोंकी शुद्धि संदेपसे कही जाती है, वह इस प्रकार है। भावार्थ—मूलगुण और उत्तर

गुण दो दो तरहके हैं—यतियोंके और श्रावकोंके । यतियोंके मूलगुण अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रहत्याग इत्यादि अठाईस हैं । श्रावकोंके मूलगुण यद्यत्याग, मांसत्याग, मधुत्याग पञ्च उदुंवरफलोंका त्याग ऐसे अनेक प्रकारके आठ हैं । तथा यतियोंके उत्तरगुण-आतापन, तोरण, स्थान, घौन आदि अनेक हैं और श्रावकोंके उत्तर गुण सामायिक, प्रोषधोपवास आदि हैं । इनमें लगे हुए दोषोंकी शुद्धि संक्षेपसे कही जाती है ॥

एकेन्द्रियादिजन्तूनां हृषीकणनाद्वधे ।

चतुरिन्द्रियकुद्धानां प्रत्येकं तनुसर्जनं ॥ ३ ॥

अर्थ—एकेन्द्रिय जीव पांचप्रकारके हैं, पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक और वनस्पति कायिक । वनस्पति कायिकके दो भेद हैं—प्रत्येक वनस्पति और अनन्त-काय वनस्पति । एक जीवके एक शरीर हो वह प्रत्येककायिक जीव हैं जैसे सुपारी नारियल आदि । अनन्त जीवोंके एक शरीर हो वे अनन्तकायिक जीव हैं जैसे गृहची, सूरण आदि । आदि शब्दसे द्वीन्द्रियादि जीवोंका ग्रहण है । शंख, सीप आदि दो इंद्रिय जीव, कुंशु, चींटी आदि तेहंद्रिय जीव, भौंरा भक्खी आदि चौइंद्रिय जीव, और मनुष्य, मत्स्य, मकर आदि पंचेंद्रियजीव होते हैं । इनमेंसे एकेन्द्रिय जीवोंको आदि लेकर चौईन्द्रिय पर्यंतके जीवोंका वध हो जाने पर उन प्रत्येककी इन्द्रियसंख्याके अनुसार कायोत्तर्गं प्रायश्चित्त होता है ।

भावार्थ—ओदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कामण
इन पांच शरीरोंमें यथत्-भावके सागको कायोत्सर्ग कहते हैं।
एकेन्द्रियके घातका एक कायोत्सर्ग, दो इन्द्रियके घातका दो
कायोत्सर्ग, तेहन्द्रियके घातका तीन कायोत्सर्ग और चौहन्द्रियके
घातका चार कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त हैं। पंचेन्द्रियजीवके घातका
प्रायश्चित्त आगे कहेंगे ॥ ३ ॥

उत्तरमूलसंख्येष्वप्रमादाहर्पतश्छिदा ।
कायोत्सर्गोपवासाः स्युरिंद्रियप्राणसंख्या ॥४॥

अर्थ—उत्तरगुणधारो और मूलगुणधारो साथुक अभ्याद-
वत् और प्रपादवश जाववय हो जाने पर इंद्रियसंख्या और
प्राण संख्याके अनुसार कायोत्सर्ग और उपवास प्रायश्चित्त
होते हैं। **भावार्थ—**पूर्वोक्त पांचों प्रजातके प्रत्येक एकेन्द्रिय-
जीवोंके एक स्पर्शन इंद्रिय होता है। दो इंद्रिय
जीवोंके स्पर्शन और रसना ये दो, तेहन्द्रिय जीवोंके
स्पर्शन, रसना और ग्राण ये तीन, चौहन्द्रिय जीवोंके
स्पर्शन, रसना, ग्राण और चक्षु ये चार, और पंचेन्द्रिय जीवोंके
स्पर्शन, रसना, ग्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांचइंद्रियां होती
हैं। स्पर्शन, रसना, ग्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच तो
इंद्रियां, प्रनोयन, वचनवल और कायवल ये तीनवल, उच्छ्वास
निध्वास और आयु ये दश प्राण हैं। तदुक्त—

पंचेन्द्रियाणि त्रिविधं बलं च
सौच्छ्रवासनिश्वासयुतास्तथायुः ।
प्राणा दशैते भगवद्विरक्ता-
स्तेषां वियोगकिरणं तु हिंसा ॥ १ ॥

इन दश प्राणोंमें से एकेन्द्रिय जीवके स्पर्शन इंद्रिय, कायबल, उछ्वास निश्वास और आयु ये चार प्राण होते हैं। दो इंद्रिय जीवके स्पर्शन और रसना ये दो तो इंद्रियां कायबल और वचनबल ये दो बल, उछ्वासनिश्वास और आयु ये छह प्राण होते हैं। तेह इंद्रियजीवके स्पर्शन, रसना और प्राण ये तीन तो इंद्रियां, कायबल और वचनबल ये दो बल, उच्छ्रवासनिश्वास और आयु ये सात प्राण होते हैं। चौंडियजीवके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, कायबल, वचनबल, उछ्वासनिश्वास और आयु ये आठ प्राण होते हैं। असंज्ञिपंचेन्द्रियके पांचों इंद्रियां, कायबल, वचनबल, उछ्वास निश्वास और आयु ये ना प्राण होते हैं। तथा संज्ञिपंचेन्द्रियके पूर्वोक्त दशों प्राण होते हैं। इन इंद्रिय और प्राणोंकी गणनाके अनुसार उत्तर गुणधारी प्रयत्नवान् स्थिर अस्थिर, उत्तर गुणधारी अप्रयत्नवान् स्थिर अस्थिर, मूलगुणधारी प्रयत्नवान् स्थिर अस्थिर और मूलगुणधारी अप्रयत्नवान् स्थिर अस्थिर साधुके कायोत्सर्ग और उपवास प्रार्थश्चत्तोंकी योजना कर लेना चाहिए। सो ही कहते हैं। उत्तरगुणधारी प्रयत्नवान् स्थिरके इंद्रिय

गणनाके अनुसार कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त होते हैं—एक इंद्रियका वध होने पर एक कायोत्सर्ग, दो इंद्रियका वध होने पर दो कायोत्सर्ग, तीन इंद्रियका वध होने पर तीन कायोत्सर्ग, चौं इंद्रियका वध होने पर चार कायोत्सर्ग और पञ्चेन्द्रियका वध होने पर पांच कायोत्सर्ग होते हैं। उत्तर गुणधारी प्रयत्नवान् अस्थिरके प्राण गणनाके अनुसार कायोत्सर्ग होते हैं। एकेन्द्रियका वध होने पर चार कायोत्सर्ग, दोइंद्रियका वध होने पर छह कायोत्सर्ग, तेइंद्रियका वध होने पर सात कायोत्सर्ग, चौंइंद्रियका वध होने पर आठ कायोत्सर्ग, असंज्ञि पञ्चेन्द्रियका वध होने पर नौ कायोत्सर्ग और संज्ञिपञ्चेन्द्रियका वध होने पर दश कायोत्सर्ग होते हैं। उत्तरगुणधारी अप्रयत्नवान् स्थिरके इंद्रियगणनाके अनुसार कायोत्सर्ग और उपवास होते हैं और उत्तरगुणधारी अप्रयत्नवान् अस्थिरके प्राण गणनाके अनुसार कायोत्सर्ग शोर उपवास होते हैं। ये हुए प्रयत्नवान् स्थिर, अस्थिर और अप्रयत्नवान् स्थिर अस्थिर एवं चार प्रकारके उत्तरगुणधारीके। अब चार प्रकारके मूल-गुणधारीके बताते हैं—मूलगुणधारी प्रयत्नचारी स्थिरके इंद्रिय गणनाके अनुसार कायोत्सर्ग होते हैं। मूलगुणधारी प्रयत्नचारी अस्थिरके प्राणगणनाके अनुसार कायोत्सर्ग होते हैं। मूलगुणधारी अप्रयत्नचारी स्थिरके इंद्रियगणनाके अनुसार कायोत्सर्ग और उपवास होते हैं। तथा मूलगुणधारी अप्रयत्नचारी अस्थिर के प्राणगणनाके अनुसार कायोत्सर्ग और उपवास होते हैं॥४॥

अथवा यत्न्ययत्नेषु हृषीकप्राणसंख्यया ।

कायोत्सर्गा भवन्तीह क्षमणं द्वादशादिभिः ॥५॥

अर्थ—अथवा इस शास्त्रमें यत्नचारी और अयत्नचारी इन दोनों पुरुषोंके इन्द्रियसंख्या और प्राणसंख्याके अनुसार कायोत्सर्ग होते हैं और वारह आदि एकेन्द्रियादि जीवोंके घातसे उपवास प्रायश्चित्त होता है । भावार्थ—प्रयत्नचारीके इन्द्रिय गणनाके अनुसार अंत अप्रयत्नचारीके प्राणगणनाके अनुसार कायोत्सर्ग होते हैं । और वारह एकेन्द्रिय, छह दो इन्द्रिय, चार तेहेंद्रिय और तीन चौहेंद्रियके घात करनेका प्रायश्चित्त एक एक उपवास होता है ॥ ५ ॥

षड्ग्रन्तिशन्मिश्रभावार्कग्रहैकेषु प्रतिक्रमः ।

एकद्वित्रिचतुःपञ्चहृषीकेषु सषष्ठभुक् ॥ ६ ॥

अर्थ—छत्तीस एकेन्द्रियजीव, अठारह दोहेंद्रिय जीव, वारह तेहेंद्रियजीव, नौ चौहेंद्रिय जीव, और एक पञ्चेन्द्रियजीवके यारनेका प्रायश्चित्त दो निरन्तर उपवास और प्रतिक्रमण है । भावार्थ—छत्तीस एकेन्द्रिय जीवोंके मारनेका प्रायश्चित्त दो उपवास और एक प्रतिक्रमण है । इसी तरह अठारह दोहेंद्रिय, वारह तेहेंद्रिय, नौ चौहेंद्रिय और एक पञ्चेन्द्रियके मारनेका प्रायश्चित्त समझना चाहिए । यहाँ मिश्रभाव शब्दसे अठारह संख्याका ग्रहण है क्योंकि मिश्रभाव ज्ञान दर्शन आदि अठारह

हैं । तथा अर्कशब्दसे वारह और ग्रह शब्दसे नौ संख्याका अहण है क्योंकि सूर्य वारह और ग्रह नौ होते हैं ॥ ६ ॥

**निष्प्रमादः प्रमादी च प्रत्येकं सस्थिरोऽस्थिरः ।
मूलधार्युत्तराधारस्तस्यासंज्ञिविधातिनः ॥ ७ ॥**

अर्थ—संज्ञलनकपायके तीव्रोदयको प्रमाद कहते हैं इस प्रमादसे रहितका नाम निष्प्रमाद है । और जिसके प्रमाद विद्यपान है वह प्रमादी है । निष्प्रपाद और प्रमादी दोनोंके स्थिर और अस्थिर ऐसे दो दो भेद हैं । इसप्रकार मूलगुणधारीके निष्प्रमाद प्रमादी, स्थिर, और अस्थिर ऐसे चार भेद हैं । उत्तरगुणधारीके भी इसी तरह चार भेद हैं । इन चार चार भेदोंसे युक्त मूलगुणधारी और उत्तरगुणधारीके असंज्ञी नीवके वधका प्रायश्चित्त नीचेके श्लोक द्वारा बताते हैं ॥ ७ ॥

उपवासास्त्रयः पष्टं पष्टं मासो लघुः सकृत् ।

कल्याणं त्रिचतुर्थानि कल्याणं पष्टकं क्रमात् ॥

अर्थ—उपर्युक्त आठ पुरुषोंके एकत्र असंज्ञ घातका प्रायश्चित्त क्रमसे तीन उपवास, दो उपवास, पुनः दो उपवास, लघुपास, कल्याण, तीन उपवास, कल्याण और पष्ट है । भावार्थ—मूलगुणधारी स्थिर प्रथत्नचारीको एकत्र असंज्ञीके घातका तीन उपवास, स्थिर अप्रथत्नचारीको दो उपवास, अस्थिर प्रथत्नचारीको दो उपवास, अस्थिर अप्रथत्नचारीको लघुपास—कल्याण प्रायश्चित्त और उत्तरगुणधारी स्थिर

प्रयत्नचारीको कल्याण, स्थिर अप्रयत्नचारीको तीन उपवास, अस्थिर प्रयत्नचारीको कल्याण और अस्थिर अप्रयत्नचारीको दो उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ८ ॥

षष्ठं मासो लघुर्मूलं मूलच्छेदोऽसकृत्पुनः ।
उपवासास्त्रयः षष्ठं लघुमासोऽथ मासिकं ॥ ९ ॥

अर्थ—इन्हीं उपर्युक्त आठ पुरुषोंके वारवार असंज्ञी जीवके वातका प्रायश्चित्त दो उपवास, लघुमास, मासिक, मूलच्छेद, तीन उपवास, दो उपवास, लघुमास और मासिक है । भावार्थ—मूलगुणधारी प्रयत्नचारी स्थिरको वारवार असंज्ञीजीवके मारने का प्रायश्चित्त दो उपवास, अप्रयत्नचारी स्थिरको कल्याण, प्रयत्नचारी अस्थिरको पंचकल्याण, अप्रयत्नचारी अस्थिरको मूलच्छेद देना चाहिए । तथा उत्तरगुणधारी प्रयत्नचारी स्थिरको तीन उपवास, अप्रयत्नचारी स्थिरको पष्ट-दो उपवास, प्रयत्नचारी अस्थिरको कल्याण, और अप्रयत्नचारी अस्थिरको मासिक—पंचकल्याण प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ९ ॥

एतत्सान्तरमान्नातं संज्ञिनि स्यान्निरंतरं ।
तीव्रमंदादिकात् भावानवगम्य प्रयोजयेत् ॥ १० ॥

अर्थ—यह ऊपर कहा हुआ प्रायश्चित्त एकवार और वारवार असंज्ञीजीवको मारनेवाले साधुके लिए सांतर माना गया है । अधि आदि कारणोंका समागम मिल जाने पर जो आचार्यको

प्रयत्नचारीको कल्याण, स्थिर अप्रयत्नचारीको तीन उपवास, अस्थिर प्रयत्नचारीको कल्याण और अस्थिर अप्रयत्नचारीको दो उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ८ ॥

मासो लघुर्मूलं मूलच्छेदोऽसकृत्पुनः ।

साख्यः पष्टं लघुमासोऽथ मासिकं ॥ ९ ॥

—हीं उपर्युक्त आठ पुरुषोंके वारवार असंज्ञी जीवके दो उपवास, लघुमास, मासिक, मूलच्छेद, उपवास, लघुमास और मासिक हैं । भावार्थ—

धारो प्रयत्नचारी स्थिरको वारवार असंज्ञीजीवके मारने का प्रायश्चित्त दो उपवास, अप्रयत्नचारी स्थिरको कल्याण, प्रयत्नचारी अस्थिरको पंचकल्याण, अप्रयत्नचारी अस्थिरको मूलच्छेद देना चाहिए । तथा उत्तरगुणवारी प्रयत्नचारी स्थिर-उपवास, अप्रयत्नचारी स्थिरको पष्ट-दो उपवास, अस्थिरको कल्याण, और अयत्नचारी अस्थिरको —पंचकल्याण प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ९ ॥

एतत्सान्तरमाम्नातं संज्ञिनि स्यान्निरंतरं ।

तीव्रमंदादिकात् भावानवगम्य प्रयोजयेत् ॥ १० ॥

अर्थ—यह ऊपर कहा हुआ प्रायश्चित्त एकवार और वारवार असंज्ञीजीवको मारनेवाले साधुके लिए सांतर पाना गया है । व्याधि आदि कारणोंका समागम मिल जाने पर जो आचार्यको

असंख्यात प्रदेशी असंख्यात लोक हैं इन सब भावोंको जानकर प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १० ॥

**साधूपासकबालस्त्रीधेनूनां घातने क्रमात् ।
यावदुद्धादशमासाः स्यात् षष्ठमधार्धहानियुक् ॥**

अर्थ—साधु, उपासक, बालक, स्त्री और गौ इनके वधका प्रायश्चित्त क्रमसे आधी आधी हानिकर सहित वारह मास तकके षष्ठोपवास (वेशा) हैं । भावार्थ—रत्नत्रयधारी साधुकी हत्या करने पर एक बेला कर पारणा करे फिर बेला कर पारणा करे एवं वारह मास तक षष्ठोपवास करे । श्रावककी हसा करने पर छह मास पर्यंत, बालककी हत्या करने पर तीन मास पर्यंत, स्त्रीकी हत्या करने पर डेढ़ मास पर्यंत और गायकी हत्या करने पर तेहस दिन पर्यंत षष्ठोपवास करे ॥ ११ ॥

**पाखंडिनां च तद्दक्ततद्योनीनां विधातने ।
आषण्मासं भवेत् षष्ठं तदधार्धं ततः परं ॥ १२ ॥**

अर्थ—पाखंडो, उनके भक्त और भक्तोंके कुदुम्बीर्वर्गकी हत्या करने पर क्रमसे छह महोने पर्यंत, उससे आधे, उससे आधे षष्ठोपवास प्रायश्चित्त हैं । भावार्थ—भौतिक, भिल्ल, पारिवाजक, कापालिक आदि अन्यलिंगियोंको पाखंडी कहते हैं उनके पारने का प्रायश्चित्त छह मास पर्यंत पूर्वोक्त तरह षष्ठोपवास करना है माझे अधिकार आदि उन पाखंडियोंके भक्त हैं उनके विधातका प्राय-

श्रीन्न पहलेसे आधा अर्थात् तीनमास पर्यंत पष्टोपवास कर करके पारणा करना है । तथा उन पाहेश्वरादिकके आठमास वंधुओंके विघातका प्रायश्चित्त उससे आधा अर्थात् डेढ़ मास तकके पष्टोपवास हैं ॥ १२ ॥

**ब्राह्मणक्षत्रविद्यूद्छूद्वतुष्पदविधातिनः ।
एकान्तरष्टमासाः स्युः पष्टाद्यन्ताश्च पूर्ववत् ॥**

अर्थ—लौकिक ब्राह्मण, द्वात्रिय, वैश्य, शूद्र और चौपाये इनका घात करनेवाले साधुके लिए पहलेकी तरह आये आये इन आदि और अन्तमें पष्टोपवासपूर्वक आठमास पर्यन्त के एकान्तरोपवास हैं । भावार्थ—लौकिक ब्राह्मणके घातका प्रायश्चित्त आठ मास पर्यन्त एकान्तरोपवास करना है । प्रथम वेला कर पारणा करे उसके बाद उपवास कर फिर पारणा कर उपवास करे एवं आठ महीने तक करे और अन्तमें भी वेला करे । सारांश आदि और अन्तमें वेला करे और मध्यमें एक एक दिन छोड़कर उपवास करे । इसी तरह द्वात्रियके घातका प्रायश्चित्त चार महीने तकके एकान्तरोपवास वैश्यके घातका दो मासपर्यन्तके एकान्तरोपवास, सुतार (साती) आभीर (गोपाल) कुम्हार आदि शूद्रोंके विघातका एक माह तकके एकान्तरोपवास, और चौपायोंके घातका प्रायश्चित्त पंद्रह दिन तकके एकान्तरोपवास हैं । तथा आदि और अन्तमें सर्वत्र वेला करना भी है ॥ १३ ॥

तृणमांसात्पत्त्सर्पपरिसर्पजलौकसां ।
चतुर्दशनवाद्यन्तक्षमणानि वधे छिदा ॥ १४ ॥

अर्थ—मृग, खरगोश, राख आदि तृणचर जीवोंके विवातका प्रायश्चित्त चौदह उपवास है। सिंह, व्याघ्र, चीता आदि मांसभक्षी जीवोंके मारनेका तेरह उपवास, तीतर, मयूर, मुर्गा, कबूतर आदि पक्षियोंके वधका बारह उपवास, सर्प गोनस आदि सर्प जातिके मारनेका द्यारह उपवास, गौआ, सरट आदि परिसर्पोंके विनाशका इश उपवास और मकर, शिथुमार, मत्स्य, कच्छप आदि जलचर जीवोंके मारनेका प्रायश्चित्त नां उपवास है ॥ १४ ॥

इस तरह प्रथम अहिंसाव्रतसंवन्धी प्रायश्चित्त कथन किया आगे सत्यव्रतसंवन्धी प्रायश्चित्त बताते हैं—

प्रत्यक्षे च परोक्षे च द्वयेऽपि च त्रिधानृते ।
कायोत्सर्गोपवासाः स्युः सकृदैकवर्धनात् ॥

अर्थ—प्रत्यक्ष, परोक्ष और उभय (प्रत्यक्ष-परोक्ष दोनों अवस्थाओंमें) एक बार झूठ बोलने तथा मनसे, वचनसे और कायसे झूठ बोलने पर एक एक बढ़ते हुए कायोत्सर्ग, उपवास और चकारसे प्रतिक्रपण प्रायश्चित्त हैं। भावार्थ—प्रत्यक्ष झूठ बोलनेका एक कायोत्सर्ग, एक उपवास और एक प्रतिक्रपण ५ रा है। परोक्ष झूठ बोलनेका दो कायोत्सर्ग, दो उप-

वास और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है। प्रत्यक्ष-परोक्ष दोनों हालतोंमें भूठ बोलनेका तीन कायोत्सर्ग तीन उपवास और प्रतिक्रमण है शौर मन, वचन, कायसे भूठ बोलनेका चार कायोत्सर्ग, चार उपवास और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है ॥१५॥

**अस्कृन्मासिकं साधोरसहोषाभिलाषिणः ।
कषायादभियुक्तस्य परैर्वा द्विगुणादि तत् ॥१६॥**

अर्थ—कपापवश बार बार भूठ बोलनेवाले साधुको पंच-कल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए। तथा दूसरेसे प्रेरित होकर भूठ बोलनेवालेको पूर्वोक्त कायोत्सर्गको आदि लेकर मासिक पर्यन्त जो प्रायश्चित्त कहा गया है वह दूना तिगुना चागुना अथवा इससे भी अधिक गुना देना चाहिए ॥ १६ ॥

**नीचः पैशून्यपुष्टस्य गच्छादेशाद्विष्कृतिः ।
तच्छुत्वा मन्यमानोऽपि दोषपादांशमश्नुते ॥**

अर्थ—पैशून्य भावयुक्त निकृष्ट साधुको तो गच्छसे और देशसे बाहर निकाल देना चाहिए। जो साधु इस निकृष्ट साधुके उन वचनोंको मान देता है वह भी उसके उस दोषके चतुर्थांशका भागी होता है ॥ १७ ॥

इस तरह सत्यव्रतके प्रायश्चित्तोंका कथन किया अब अचौर्यव्रतके प्रायश्चित्तोंका कथन करते हैं—

**सकृच्छून्ये समक्षं चानाभोगेऽदत्तसंग्रहे ।
कायोत्सर्गोपवासाः स्युः प्राग्वन्मूलगुणोऽसकृत् ॥**

अर्थ— शून्य स्थानमें और प्रत्यक्षमें विना दिये हुए पदार्थके एकबार ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त पूर्ववद् एक बहुते हुए कायोत्सर्ग और उपवास है। चकारसे प्रतिक्रमण भी है। बार बार विना दिये हुए पदार्थके ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त पंचकल्याणक है। **भावार्थ—** निर्जन स्थानमें विना दिये हुए पदार्थके एकबार ग्रहण करनेका प्रतिक्रमण सहित एक कायोत्सर्ग और एक उपवास है। मिथ्यादृष्टियोंके न देखते हुए अपने साथियोंके सामने एकबार अदत्त ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त प्रतिक्रमण पूर्वक दो कायोत्सर्ग और दो उपवास है। अगर मिथ्यादृष्टियोंके देखते हुए एकबार अदत्त ग्रहण करे तो प्रतिक्रमण सहित तीन कायोत्सर्ग और तीन उपवास प्रायश्चित्त हैं तथा सोना चांदी आदि अदत्तपदार्थोंके ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त पंचकल्याणक है इतना विशेष समर्भना चाहिए। बारबार अदत्त ग्रहण करनेका पंचकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ १८ ॥

आचार्यस्योपधेर्हा विनेयास्तान् विना पुनः ।
सधर्माणोऽथ गच्छश्च शेषसंघोऽपि च क्रमात् ॥

अर्थ— आचार्यके पुस्तक आदि उपकरणोंको ग्रहण करनेके योग्य उनके शिष्य हैं। शिष्य न हों तो उनके गुरुभाई हैं। गुरुभाई भी न हों तो गच्छ है। तीन पुरुषोंके अन्वयको गच्छ कहते हैं। गच्छ भी न हो तो शेष संघ योग्य है। सत् पुरुषोंके अन्वयको संघ कहते हैं ॥ १९ ॥

सर्वे स्वामिवितीर्णस्य योग्यो ज्ञानोपधेरपि ।
स्वामिना वा वितीर्णते यस्मै सोऽपि तमर्हति ॥

अर्थ—जिस उपकरणका जो स्वामी है उसके द्वारा वितीर्ण किये गये उस उपकरणको ग्रहण करनेको सभी साधु योग्य हैं वाहे वे अन्य आचार्यके भी शिष्य क्यों न हों । परन्तु ज्ञानोपधि—पुस्तकके योग्य तो वही है जो ज्ञानो है । अथवा पुस्तकका स्वामी साधु जिस साधुको वह अपनो पुस्तक दे वही उसके योग्य है ॥ २० ॥

एवं विधिं समुलंघ्य यः प्रवर्तते मूढधीः ।
बलवन्तं समासृत्य यो बादते प्रदोषतः ॥ २१ ॥
सर्वस्वहरणं तस्य षण्मासः क्षमणं भवेत् ।
योऽन्यथापि तमादत्ते तस्य तन्मौनसंयुतं ॥२२॥

अर्थ—इस उपर्युक्त व्यवस्थाका उल्लंघनकर जो सूर्ख-बुद्धि साधु यनमानी प्रदृश्ति करता है अथवा जो बलवान् राजा आदिके पास जाकर द्वैष वश उपकरणको ग्रहण करता है उसके लिए उसका सर्वस्वहरण—सम्पूर्ण पुस्तक आदि छीन लेना और छह मास पर्यन्त एकान्तरोपवास करना प्रायश्चित्त है । तथा जो कोई साधु और भी किन्हीं उपायोंसे उस उपकरणको ग्रहण करता है उसके लिए भी वही—मौनयुक्त छह मास तक एकान्तरोपवास दर्ढ है ॥ २१-२२ ॥

अब चतुर्थं ब्रह्मचर्यं व्रतके विषयमें कहते हैं—
क्रियात्रये कृते हृष्टे दुःखप्ने रजनीमुखे ।
सोपस्थानं चतुर्थं नियमाभुक्तिः प्रतिक्रमः ॥

अर्थ—स्वाध्याय, नियम और वंदना इन तीन क्रियाएँ करनेके अनन्तर रात्रिके प्रथम पहरमें दुःखप्न देखने पर क्रमसे सप्रतिक्रमण उपवास, नियमोपवास और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है। भावार्थ—जो कोई साधु रात्रिके प्रथम पहरमें स्वाध्याय, नियम प्रतिक्रमण, देववंदना इन तीनोंमेंसे कोई सी एक क्रिया कर सो जाय पश्चात् दुःखप्न देखे अर्थात् वीर्यपात हो जाय तो उसके लिए सप्रतिक्रमण उपवास प्रायश्चित्त है। उक्त तीनों क्रियाओंमें कोई सी दो क्रियाएं करके सोने पर दुःखप्न देखे तो लघु प्रतिक्रमण और उपवास प्रायश्चित्त है। यदि तीनों क्रियाएं करके सोनेपर दुःखप्न देखे तो केवल प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है ॥ २३ ॥

नियमक्षमणे स्यातामुपवासप्रतिक्रमौ ।
रजन्या विरहे तु स्तः क्रमात् षष्ठप्रतिक्रमौ ॥

अर्थ—रात्रिके पश्चिम पहरमें एक क्रिया करके सोनेवाले साधुको दुःखप्न देखने पर नियम और उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए। दो क्रियाएं करके सोये हुएको दुःखप्न देखने पर उपवास और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त देना चाहिए। तथा तीनों क्रियाएं करके सोये हुएको दुःखप्न देखने पर प्रतिक्रमण और षष्ठोपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २४ ॥

मद्यमांसमधु स्वप्ने मैथुनं वा निषेवते ।

उपवासोऽस्य दातव्यः सोपस्थानश्च चेद्भु ॥

अर्थ—यदि स्वप्नेर्में मद्य, मांस, पधु और मैथुन सेवन करे तो उसको उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए । यदि बार बार सेवन करे तो प्रतिक्रमण और उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥
तरुण्या तरुणः कुर्यात् कथालापं सकृद्यदि ।

उपवासोऽस्य दातव्योऽसकृत् पण्मासपरिचमः ॥

अर्थ—तरुण मुनि तरुण स्त्रीके साथ यदि एकबार वार्तालाप करे तो उसको उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए । तथा बारबार वार्तालाप करे तो छह महीने तकका एकान्तरोपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २६ ॥

स्त्रीजनेन कथालापं गुरुनुलंघ्य कुर्वतः ।

स्यादेकादि प्रदातव्यं पष्ठं पण्मासपरिचमं ॥२७॥

अर्थ—आचार्य, उपाध्याय आदि गुरुओंके मना करनेपर भी यदि स्त्रीसमूहके साथ गुप्त वातं करे तो उसको एक पष्ठोपवासको आदि लेकर छह मास तकके पष्ठोपवास देने चाहिए ॥ २७ ॥

स्त्रीजनेन कथालापं गुरुनुलंघ्य कुर्वतः ।

त्याग एवास्य कर्तव्यो जिनशासनदूषिणः ॥

अर्थ—(अथवा) गुरुओंकी आङ्गा न पान कर स्त्रीसमूहके

साथ गुप्त वाले करने वाले साधुको [संघसे निकाल हो देना चाहिए] क्योंकि वह सर्वेज्ञ देवकी आज्ञाको कलंकित करने वाला है ॥ २८ ॥

**स्थातुकाम सः चेद्युस्तिष्ठेत् क्षमणमौनतः ।
आषण्मासमयः कालो गुरुहिष्टावधिर्भवेत् ॥**

अर्थ—यदि वह साधु संघमें रहनेका इच्छुक हो तो छह महीने तक अथवा गुरु जितना काल चाहे उतने काल तक प्रतिक्रमण करता हुआ मौनपूर्वक रहे ॥ २९ ॥

**हृष्टा योषामुखाद्यंगं यस्यः कामः प्रकुप्यति ।
आलोचना तनूत्सर्गस्तस्य च्छेदो भवेदयम् ॥**

अर्थ—स्त्रियोंके मुख आदि अंगोंको देखकर जिस मंद-भाग्य साधुकी कामाग्रि प्रचंड हो जाय उसके लिए आलोचना और कायोत्सर्ग यह प्रायश्चित्त है ॥ ३० ॥

**स्त्रीगुह्यालोकिनो वृष्यरससंसेविनो भवेत् ।
रसानां हि परित्यागः स्वाध्यायोऽचित्तरोधिनः ॥**

अर्थ—जिसका स्वभाव स्त्रियोंके योनि आदि गुप्त अंगोंके देखनेका और कामवर्धक पौष्टिक रसोंके सेवन करनेका है उसको दही, दूध, शाल्योदन, अपूरा आदि वलवर्धक रसोंका साग रूप प्रायश्चित्त देना चाहिए। तथा जिसका मन कावूमें

नहीं रहता उसको स्वाध्याय अर्थात् अपराजित परम मंत्रका जाप और परमात्माका अव्ययसंरूप प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥

अब पंचम परिग्रह साग व्रतके विषयमें कहते हैं—

उपधेः स्थापनाल्योभादैन्यादानप्ररूढितः ।

संग्रहात् क्षमणं पष्टमष्टमं मासमूलके ॥ ३२ ॥

अर्थ—जो मुनि गृहस्थोके उपकरण अपने पास रखते तो उपवास प्रायश्चित्त है। सोना, चांदी आदि परिग्रहमें लोभ करे तो पष्टोपवास प्रायश्चित्त है। पांग कर सोना, चांदी आदि परिग्रह ग्रहण करे तो अष्टम-तीन उपवास प्रायश्चित्त है। प्रसिद्ध ग्रहण संक्रान्ति आदिमें सोना, चांदी आदिका संग्रह करे तो मासिक प्रायश्चित्त है और अपनी इच्छानुकूल सोना चांदी, मणि, मुक्ताफल आदि परिग्रहका संचय करे तो मूल—पुनर्दीक्षा प्रायश्चित्त है ॥ ३२ ॥

अब रात्रिमुक्तिविरति नामके अणुवत्तके विषयमें कहा जाता है—

रात्रौ ग्लानेन भुक्ते स्यादेकसिंश्च चतुर्विंथे ।

उपवासः प्रदातव्यः पष्टमेव यथाक्रमं ॥ ३३ ॥

अर्थ—व्याधि विशेष, परिश्रम, नानाप्रकारके महोपवास आदिसे पोडित हुआ साधु कर्मोदय-वश प्राण बचना कठिन मालूम पड़ने पर रात्रिमें कोईसा एक आहार और चारों प्रकार-

के आहार ग्रहण करे तो क्रमसे उपवास और पष्ट प्रायश्चित्त है । भावार्थ—रात्रिमें उक्त कारण वश एक प्रकारका आहार ग्रहण करे तो उपवास और चारों प्रकारका आहार ग्रहण करे तो पष्ट प्रायश्चित्त है ॥ ३३ ॥

व्यायामगमनेऽमार्गे प्रासुकेऽप्रासुके मतेः ।
कायोत्सर्गोपवासौ स्तोऽपूर्णक्रोशे यथाक्रमम् ॥

अर्थ—व्यायामनिमित्त जन्तुरहित-प्रासुक उन्मार्ग (पगड़ंडी) होकर और जन्तुसहित अप्रासुक उन्मार्ग हो कर जो यति अधूरे कोशतक गमन करे तो उसके लिए क्रमसे कायोत्सर्ग और उपवास प्रायश्चित्त है । भावार्थ—प्रासुक उन्मार्ग हो कर गमन करनेका कायोत्सर्ग और अ प्रासुक उन्मार्ग होकर गमन करनेका उपवास प्रायश्चित्त है ॥ ३४ ॥

घननीहारतापेषु क्रोशैर्वन्हि स्वरग्रहैः ।
क्षमणं प्रासुके मार्गे द्विचतुःषड्भिरन्यथा ॥३५॥

अर्थ—दर्षकाल, शीतकाल, और उष्णकालमें प्रासुक मार्ग होकर क्रमसे तीन कोश, छह कोश और नौ कोश गमन करे और अप्रासुक मार्ग होकर क्रमसे दो, चार, छह कोश गमन करे तो एक उपवास प्रायश्चित्त है । भावार्थ—वरसातमें प्रासुक मार्ग होकर तीन कोश, और अप्रासुक मार्ग होकर दो कोश, शर्दीमें प्रासुक मार्ग होकर छह कोश और अप्रासुक मार्ग

हो कर चारकोश, गमीमें प्रासुक मार्ग हो कर नो कोश और अप्रासुक मार्ग होकर छह कोश गमन करे तो सबका प्रायश्चित्त एक एक उपवास है । यह प्रायश्चित्त दिनमें गपन करनेका है रातमें गपन करनेका आगेके श्लोकोंसे बताते हैं । यहां वन्दि से तीन, स्वरसे छह और ग्रहसे नौ संख्याका ग्रहण है ॥ ३५ ॥

दशमादष्टमाच्छुद्धो रात्रिगामी सजन्तुके ।

विजंतौ च त्रिभिः क्रोशैर्मार्गे प्राचृषि संयतः ॥

अर्थ—वरसातमें अप्रासुक और प्रासुक पार्ग होकर तीन कोश रात्रिमें गमन करनेवाला संयत क्रमसे दशम—जगातार चार उपवास और अष्टम-जगातार तीन उपवास करनेसे शुद्ध होता है । भावार्थ—वरसातके दिनोंमें अप्रासुक मार्ग होकर तीन कोश रातमें गमन करनेका चार निरंतर उपवास और प्रासुक मार्ग होकर गमन करनेका तीन निरन्तर उपवास प्रायश्चित्त है ॥ ३६ ॥

हिमे क्रोशचतुष्केणाप्यष्टमं षष्ठमार्येते ।

ग्रीष्मे क्रोशेषु षट्कु स्यात् षष्ठमन्यत्र च क्षमा ॥

अर्थ—शोतकालमें अप्रासुक मार्ग होकर और प्रासुक मार्ग हो कर रातमें चार कोश गमन करनेका प्रायश्चित्त क्रमसे निरन्तर तीन उपवास और निरन्तर दो उपवास है । तथा गमीकी पौसिममें अप्रासुक मार्ग होकर और प्रासुक मार्ग होकर छह,

कोश रातमें गमन करनेका प्रायश्चित्त क्रमसे षष्ठु और उपवास प्रायश्चित्त है ॥ ३७ ॥

**सप्रतिक्रमणं मूलं तावंति क्षमणानि च ।
स्यालघुः प्रथमे पक्षे मध्येऽन्त्ये योगभंजने ॥३८॥**

अर्थ—देशभंग, महामारी आदि कारणों वश पक्षके शुरुमें योगभंग हो तो प्रतिक्रमणसहित पञ्चकल्याण प्रायश्चित्त है । पक्षके मध्य भागमें योगभंग हो तो पक्षके जितने दिन वाकी रहें उतने उपवास प्रायश्चित्त है और पक्षके अन्तमें योगभंग हो तो लघुमास प्रायश्चित्त है ॥ ३८ ॥

जानुदम्भे तनूत्सर्गः क्षमणं चतुरंगुले ।

द्विगुणा द्विगुणास्तस्मादुपवासाः स्युरंभसि ॥

अर्थ—बुटनेपर्यंत पानीमें होकर जावे तो एक कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है । बुटनेसे चार अंगुल ऊपर पानीमें होकर जानेका का एक उपवास प्रायश्चित्त है । इससे चार चार अंगुल ऊपर पानीमें होकर जानेका दूने दूने उपवास प्रायश्चित्त हैं ॥ ३९ ॥

दंडैः षोडशभिर्मये भवन्त्येते जलेऽजसा ।

कायोत्सर्गोपवासास्तु जन्तुकीर्णे ततोऽधिकाः ॥

अर्थ—ये जो कायोत्सर्ग और उपवास कहे गये हैं वे सोलह घनुष (चौसठ हाथ) पर्यंत लंबे फैले हुए जल-जन्तुओंसे रहित जलमें होकर जानेके हैं । न्यूनके नहीं । तथा जलजन्तुसे भरे

हुए पानीमें होकर जानेका प्रायश्चित्त पहले कहे हुए कायोत्सर्ग और उपवाससे अधिक कायोत्सर्ग और उपवास हैं ॥ ४० ॥

स्वपरार्थप्रयुक्तैश्च नावाद्यैस्तरणे सति ।

स्वल्पं वा वहु वा दद्याज्ञातकालांदिको गणी ॥

अर्थ—अपने निमित्त या परके निमित्त प्रयुक्त नाव आदि-
के द्वारा नदी आदि पार करने पर काल आदिको जाननेवाला
आचार्य थोड़ा या बहुत (कालको जानकर) प्रायश्चित्त दे ।

इस विषयमें छेदपिंडमें यह लिखा है;—

काउस्सग्गो आलोयणा य णावादिणा णदीतरणे ।

णावाए जलहितरणे मौही खबणादिपणयंता ॥ २ ॥

सपरणिमित्तपउंजिद् दोणीणावादिणा णदीतरणे ।

अण्णे भण्णति एग्गो उपवासो तह विउस्सग्गो ॥ २ ॥

अर्थात्—नाव आदिके द्वारा नदी पार करनेका प्रायश्चित्त
कायोत्सर्ग और आलोचना है । और समुद्र पार करनेका उप-
वासको आदि लेकर कल्याणपर्यंत है । तथा कोई कोई आचार्य
कहते हैं कि अपने निमित्त या परके निमित्त प्रयुक्त द्रोणो
(डोंगी) नाव आदिके द्वारा नदी पार करे तो एक उपवास
और कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है ॥ ४१ ॥

दक्षेण गणिना देयं जलयाने विशोधनं ।

साधूनामपि चार्याणां जलकेलिमहासृणिः ॥

अर्थ—प्रायश्चित्त देनेमें कुशल आचार्य, साधुओंको और आर्यिकाओंको जलमें हो कर गमन करनेका जलकेलि महासृणि* नापका प्रायश्चित्त दे ॥ ४२ ॥

युग्यादिगमने शुद्धिं द्विगुणं पथि शुद्धितः ।
ज्ञात्वा नृजातं वाचार्यो दद्यात्तदोषघातिनीं ॥

अर्थ—आचार्य ढोली आदिमें बैठकर गमन करने पर मंद, रोगी आदि पुरुषको जानकर उसके दोषका दूर करनेवाली, मार्गेशुद्धिसे दूनी शुद्धि दे । भावार्थ—पहले जो मार्ग गमनका प्रायश्चित्त कह आये हैं उससे दूना प्रायश्चित्त ढोली आदिमें बैठकर गमन करनेवाले साधुको देवं ॥ ४३ ॥

सप्तपादेषु निष्पिणः कायोत्सर्गाद्विशुद्धयाति ।
गव्यूतिगमने शुद्धिमुपवासं समश्नुते ॥ ४४ ॥

अर्थ—कोई साधु विना पिच्छीके सात पंड गमन करे तो वह एक कायोत्सर्गसे शुद्ध होता है । और एक कोश विना पिच्छीके गमन करे तो एक उपवासको प्राप्त होता है । भावार्थ—पिच्छो हाथमें लिये विना सात पंड गमन करनेका एक कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है और एक कोश गमन करे तो एक उपवास प्रायश्चित्त है । ऊपरके सूत्रमें द्विगुण पद है उसका अधिकार इस श्लोकमें भी है अतः ऐसा समझना कि कोशसे ऊपर प्रति-कोश दूना दूना उपवास प्रायश्चित्त है ॥ ४४ ॥

* महासृणिका अर्थ समझमें नहीं आया ।

भाषासमितिमुन्मुच्य मौनं कलहकारिणः ।

क्षमणं च गुरुद्विष्टमपि षट्कर्मदेशिनः ॥ ४५ ॥

अर्थ—जो मुनि भाषा समितिको छोड़कर कलह-लड़ाई करे उसको मौन प्रायश्चित्त देना चाहिए और शृहस्थोंके जिससे छह निकायके जीवोंको वाधा पहुँचे ऐसे वाणिज्य आदि छह कर्मोंका उपदेश करनेवालेके लिए उपवास प्रायश्चित्त है वा जो कुछ गुरु वतावं वह प्रायश्चित्त भी उसके लिए है ॥४५॥
असंयमजनज्ञातं कलहं विदधाति यः ।

बहूपवाससंयुक्तं मौनं तस्य वितीर्यते ॥ ४६ ॥

अर्थ—जो साधु, जिसे मिथ्याद्विष्ट लोग जान जांय-ऐसी कलह करे तो उसको बहुतसे उपवास और मौन प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ४६ ॥

कलहेन परीतापकारिणः मौनसंयुताः ।

उपवासा मुनेः पञ्च भवन्ति नृविशेषतः ॥ ४७ ॥

अर्थ—जो लड़ाई-झगड़ा करके संताप उत्पन्न करता हो उस मुनिको यंदग्जान (रोगी) आदि जानकर मौन संयुक्त पांच उपवास देने चाहिए ॥ ४७ ॥

जनज्ञातस्य लोचश्च बहुभिः क्षमणैः सह ।

आषण्मासं जघन्येन गुरुद्विष्टं प्रकर्षतः ॥ ४८ ॥

अर्थ—जिस कलहको सब लोग जाने उसका प्रायश्चित्त

लोच है और कई उपवासोंके साथ साथ कमसे कम एकोपवास-
को आदि लेकर छह मास पर्यंतके उपवास और अधिकसे
अधिक आचार्योंपदिष्ट प्रायश्चित्त है ॥ ४८ ॥

हस्तेन हंति पादेन दंडेनाथ प्रताडयेत् ।

एकाघनेकधा देयं क्षमणं नृविशेषतः ॥ ४९ ॥

अर्थ—जो साधु हाथसे, पैरसे अथवा दंडेसे मारता-पीटता
है उसको मनुष्य विशेषके अनुसार एकको आदि लेकर अनेक
प्रकारके उपवास देने चाहिए ॥ ४८ ॥

यश्च प्रोत्साह्यहस्तेन कलहयेत् परस्परं ।

असंभाष्योऽस्य षष्ठं स्थादाषणमासं सुपायिनः ॥

अर्थ—जो मुनि हाथोंके इसारेसे उत्साह दिलाकर परस्पर
में कलह कराता है वह भाषण करने योग्य नहीं है और उस
पापीको छह यहीने तकका षष्ठ प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ५० ॥

छिन्नापराधभाषायायाप्यंसयत्बोधने ।

नृत्यगायेति चालापेऽप्यष्टमं दंडनं मतं ॥ ५१ ॥

अर्थ—जिस दोषका पहले प्रायश्चित्त किया गया है उसीको
फिर करने पर, सोये हुए अविरतको जगाने पर और नाचों
गाओ इत्यादि कहने पर तीन निरंतर उपवास प्रायश्चित्त माने
गये हैं ॥ ५१ ॥

चतुर्वर्णपराधाभिभाषिणः स्यादबन्दनः ।
असंभाष्यश्च कर्तव्यः स गाणं गणिकोऽपि च ॥

अर्थ—ऋषि, मुनि, यति, अनगर अथवा साधु, आर्या, आवक, श्राविका इनको चतुर्वर्ण कहते हैं। इस चतुर्वर्णके अपराधको कहनेवाला साधु अवंदनीय और असंभाष्य है अर्थात् उसको न तो बन्दना करना चाहिए और न उसके साथ भाषण करना चाहिए। तथा गणसे निकाल देना चाहिए। फिर यदि वह खेदखिन्न होकर इस तरह कहे कि हे भगवन्! मुझे उचित प्रायश्चित्त दीजिये तब चतुर्वर्ण श्रमण घके बीच उसकी शुद्धि करना चाहिए ॥ ४२ ॥

अब एषणासमितिके दोषोंका शुद्धि बताते हैं—

अज्ञानाद्व्याधितो दर्पात् सकृत्कंदाशनेऽसकृत् ।
कायोत्सर्गः क्षमा क्षान्तिः पंचकं मासमूलके ॥

अर्थ—अज्ञानवश, व्याधिवश और अहंकारवश एक बार और अनेक बार कंदादिके खानेका क्रमसे, कायोत्सर्ग, उपवास, उपवास, कल्याणक, पंचकल्याण और मूल प्रायश्चित्त है। भावार्थ—यहां पर कंद शब्द उपलक्षणार्थ है अथवा आदि शब्द लुप्त है इस लिए कन्द, फल, बीज, मूल आदि अप्राप्यक चीजोंका संग्रह है। सूरण, पिंडालु, रत्तालु आदि चीजें कंद कहलाती हैं। आम, बिजौरा आदि चीजोंको फल कहते हैं। गेहूँ,

मूँग, उड़द, राजमाष आदि चोरें बीज कही जाती हैं सर्वभोजन () , कैरंड (), मूला आदिको मूल कहते हैं। अज्ञानवश अर्थात् आगमको न जानता हुआ अथवा ये चोरें अप्राप्यक हैं ऐसा न जानता हुआ यदि इन कन्द मूल, फल बीज, आदिको एक बार खाय तो कायोत्सर्ग और बार बार खाय तो उपवास प्रायश्चित्त है। आगम अथवा अप्राप्यक जानता हुआ भी व्याधिविशेष पीड़ित होकर एक बार खाय तो उपवास और बार बार खाय तो कल्पाण प्रायश्चित्त है। और अहंकार-वश—निःशंक होकर छोलकर रसायन आदिके निमित्त एक बार खाय तो पंचकल्पाण और बार बार खाय तो मूल-पुनर्दीक्षा प्रायश्चित्त है ॥ ५३ ॥

**कुञ्ज्याद्यालंब्य निष्ठूय चतुरंगुलसंस्थितिम् ।
त्यक्त्वोक्त्वा क्षमणं ग्लाने भुक्ते षष्ठं तथा परे ॥**

अर्थ—दोबाल, स्तंभ आदिका सहारा लेकर, खकार धूक कर, चार अंगुल प्रमाण पैरोंके अंतरको सागकर और कुछ कह कर यदि उपवास आदिसे पीड़ित हुआ कोई मुनि भोजन करे तो उपवास प्रायश्चित्त है। और यदि उपवासादिसे पीड़ित न होकर साधारण ध्रवस्थामें उक्त प्रकारसे भोजन करे तो पष्ठ प्रायश्चित्त है ॥ ५४ ॥

**काकादिकान्तरायेऽपि भग्ने क्षमणमुच्यते ।
गृहीतावग्रहे त्यागः सर्वं भुक्तवतः क्षमा ॥५५॥**

अर्थ—काक, अमेध्य, वमन, रोध, सूधिर देखना, अश्रुपात आदि जो जो मुनि भोजनके अंतराय हैं उनको न टालकर अधवा इन अंतरायोंके आजाने पर भी भोजन करे तो उपवास प्रायश्चित्त है। साग की हुई वस्तुको भक्षण करते हुए फिर उसका स्मरण हो जाय तो स्मरण आतेही उसकी साग देना फिर न खाना ही प्रायश्चित्त है और यदि वह सागकी हुई वस्तु सबकी सब खानी गई हो तो उपवास प्रायश्चित्त है ॥ ५५ ॥

महान्तरायसंभूतौ क्षमणेन प्रतिक्रमः ।

भुज्यमाने क्षते शल्ये षष्ठेनाष्टमतो मुखे ॥ ५६ ॥

अर्थ—भारी अंतरायका संभव होने पर उपवास और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है। भोजन करते हुए हड्डी बगैरह दीख पड़े तो पष्टु और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है और मुखमें हड्डी बगैरह मालूम पड़े तो तीन उपवास और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है। भावार्थ—भोजन करते समय हड्डी आदिसे मिला हुआ भोजन रूप भारी अंतराय आगया हो और भोजन करलेनेके अनन्तर सुननेमें आया हो तो उस अपराधका उपवास और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है। भोजन करते हुए खुद अपने हाथमें हड्डी बगैरह देख ले तो पष्टु और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है तथा भोजन करते करते अपने मुखमें हड्डी बगैरह समुपलब्ध हो तो निरंतर तीन उपवास और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है। यहां पर शल्य ग्रहण उपलक्षणार्थ है इसलिए गोला चर्म, सूधिर आदि-
ग्रहणका भी यही प्रायश्चित्त है ॥ ५६ ॥

आधाकर्मणि सव्याधेनिव्याधेः सकृदन्यतः ।
उपवासोऽथ षष्ठं च मासिकं मूलमेव च ॥ ५७ ॥

अर्थ— कोई रोगी मुनि, आधाकर्मद्वारा उत्पन्न हुआ भोजन एक बार खाय तो उपवास और बार बार खाय तो पृष्ठ प्रायश्चित्त है। तथा नीरोग मुनि आधाकर्म द्वारा उत्पन्न भोजनको एकबार खाय तो पंचकल्याण और बारबार खाय तो मूल प्रायश्चित्त है। जो भोजन छह निकायके जीवोंकी वाधानहिसासे उत्पन्न हुआ हो वह आधाकर्म द्वारा उत्पन्न हुआ भोजन कहलाता है ॥ ५७ ॥

स्वाध्यायसिद्ध्ये साधुर्यद्युहेशादि सेवते ।
प्रायश्चित्तं तदा तस्य सर्वदैव प्रतिक्रमः ॥ ५८ ॥

अर्थ— स्वाध्यायसिद्ध्यके निमित्त यदि साधु उद्देशक आदि दोषोंसे उत्पन्न हुआ भोजन सेवन करे तो उसके लिए सर्व काल प्रतिक्रम प्रायश्चित्त है। यहां पर भी प्रतिक्रम शब्दका अर्थ नियम है ॥ ५८ ॥

एकं ग्रामं चरेद्दिक्षुर्गन्तुमन्यो न कल्पते ।
द्वितीयं चरतो ग्रामं सोपस्थानं भवेत्क्षमा ॥ ५९ ॥

अर्थ— एक ग्राममें चर्यके लिए पर्यटन कर उसी दिन भित्ताके लिए दूसरे ग्रामको जाना उचित नहीं है। यदि कोई मुनि एक गांवमें भोजनके लिए पर्यटन कर उसी दिन दूसरे

ग्राममें जाकर भिन्नाके लिये पर्यटन करें तो उसके लिए प्रतिक्रमण सहित उपवास प्रायश्चित्त है ॥ ५६ ॥

**स्वाध्यायरहिते काले ग्रामगोचरगामिनः ।
कायोत्सर्गोपवासौ हि यथाक्रममनुदितौ ॥ ६० ॥**

अर्थ—जो साधु स्वाध्यायके समयमें स्वाध्याय क्रिया अथवा आगमाध्ययन न कर ग्रामान्तरको चला जाय या भिन्नाके लिए चला जाय तो उसको क्रमसं अर्थात् ग्रामान्तर गये हुएको कायोत्सर्ग और भिन्नाके लिए गये हुएको उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ६० ॥

**आगे आदाननिदेपण समितिके विषयमें कहा जाता है;—
काष्ठादि चलयेत् स्थानात् क्षिपेद्वापि ततोऽन्यतः ।
कायोत्सर्गमवाप्नोति विचक्षुविषये क्षमा ॥ ६१ ॥**

अर्थ—जो मुनि काष्ठ, पत्थर, तृण, खपरे आदि वस्तुओं को उनके स्थानसे हटावे—हिलावे अथवा एक स्थानसे उठाकर दूसरे स्थानमें ले जाय तो वह एक कायोत्सर्गको प्राप्त होता है । और यदि अंधेरेमें ऐसा करे तो उपवास प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥

**अब चंचप प्रतिष्ठापना समिति संबंधी प्रायाश्चित्त कहते हैं;—
ऊर्ध्वं हरिततृणादीनामुच्चारादिविसर्जने ।
कायोत्सर्गो भवेत्स्तोके क्षमणं बहुशोऽपि च ॥**

अर्थ—सचित्त घास आदि शब्दसे बीज, अंकुर, शिला-

विशेष, पृथ्वीविशेषके ऊपर एकवार मलमूत्र विसर्जन करे तो कायोत्सर्ग और द्वार वार करे तो उपवास प्रायश्चित्त है ॥६२॥

आगे पंचेन्द्रियनिरोधके दोषोंका प्रायश्चित्त बताते हैं—

स्पर्शादीनामतीचारे निःप्रभादप्रभादिनाम् ।
कायोत्सर्गोपवासाः स्युरैकपारिवार्धिताः ॥६३॥

अर्थ—स्पर्शन आदि पांचों इंद्रियोंको अपने अपने विषयों से न रोकनेका अप्रमत्त और प्रमत्त पुरुषके लिए एक एक वट्ठते हुए कायोत्सर्ग और उपवास प्रायश्चित्त हैं। भावार्थ—कठोर, नर्म, भारी, हल्का, ठंडा, गर्म, चिकना और ख़बाके भेदसे आठ प्रकारका स्पर्श है जो स्पर्शन इन्द्रियका विषय है। चिर्परा, कहुआ, कषायला, खट्टा, मीठा और खारा ये छह रस हैं जो रसना इन्द्रियके विषय हैं। गन्ध दो प्रकारका है सुगन्ध और दुर्गन्ध, जो ग्राणइन्द्रियका विषय है। काला, नीला, पीला, सफेद और लाल इस तरह छह प्रकारका रूप है जो नेत्र इन्द्रियका विषय है। तथा घड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद यह छह प्रकारका शब्द है जो श्रोत्रेन्द्रियका विषय है। इन विषयोंसे पांचों इंद्रियोंको न रोकनेका इस प्रकार प्रायश्चित्त है। अप्रमत्तके लिए तो एक एक वट्ठते हुए कायोत्सर्ग है जैसे—स्पर्शन इंद्रियका एक कायोत्सर्ग, रसनाके दो, ग्राणके तीन, चलुके चार और श्रोत्रके पांच कायोत्सर्ग। प्रमत्तके लिए एक एक वट्ठते हुए उपवास हैं जैसे—स्पर्शन इंद्रियको

अपने विषयसे न रोकनेका एक उपवास, रसनाके दो उपवास, प्राणके तीन उपवास, चतुर्थके चार उपवास और श्रोत्रके पांच उपवास हैं ॥ ६३ ॥

आगे घडावश्यकके संबंधमें कहा जाता है;—
वंदनानियमध्वंसे कालच्छेदे विशोषणं ।

स्वाध्यायस्य चतुष्केऽपि कायोत्सर्गो विकालतः ।

अथ—वंदना आवश्यक और नियम आवश्यकको न करने और उनके कालको अतिक्रमण करनेका उपवाप प्रायश्चित्त है तथा चार प्रकारके स्वाध्यायको न करने और उनके कालको अतिक्रमण करनेका कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है । भावार्थ—अहंत प्रतिमा, सिद्धप्रतिमा, तपोगुरु, श्रुतगुरु और दीक्षागुरुकी सृति प्रणाप करना वंदना क्रिया है और दैवसिक रात्रिक आदिमें त्रतोंमें लगे हुए दोषोंका निराकरण करना नियम क्रिया है । तथा वंदनाका काल संध्याकाल है और सूर्यविंशके आधे छिप जानेसे पूर्व दैवसिक नियमका प्रारम्भ है तथा प्रभासफोट-भाग-फाटनेसे पहले रात्रि नियमकी समाप्ति है । उक्त वंदना क्रिया और नियमक्रियाके न करनेका तथा उनके उक्त कालके उत्तरधन करनेका उपवास प्रायश्चित्त है । तथा स्वाध्यायका काल भी दिनके समय पूर्वाह्नमें तीन घड़ी दिन चढ़ जाने पर है । अप-राह्नमें तीन घड़ी दिन अवशिष्ट रह जानेसे पूर्व है । रात्रिके समय प्रथमभागमें है जो तीन घड़ी रात बीत जाने पर है और

दूसरी रात्रिके चरमभागमें है जो तोन घड़ी रात वाकी रह जाने से पहले पहले है। इस प्रकार स्वाध्यायका काल है इस कालके मेदसे स्वाध्याय भी चार प्रकारका हैं। इस चार प्रकारके स्वाध्यायको न करने और उसके कालका अतिक्रमण करनेका प्रायश्चित्त कायोत्सर्ग है॥ ६४॥

**प्रतिमासमुपोषः स्याच्चतुर्मास्यां पयोधयः ।
अष्टमासेष्वथाष्टौ च द्वादशाष्टै प्रकीर्तिताः ॥६५॥**

अर्थ—प्रतिमास—महीने महीनेमें एक उपवास, चार महीने बीतने पर चार उपवास, आठ महीने बीतने पर आठ उपवास वारह यहीने बीतने पर वारह उपवास अवश्य करने चाहिए॥

**पक्षे मासे कृतेः षष्ठं लंघने सप्रतिक्रमः ।
अन्यस्या द्विगुणं देयं प्राणुकं निर्जरार्थिनः ॥६६॥**

अर्थ—पात्रिक क्रिया और मासिक क्रियाके उल्लंघन करने पर कर्मोक्ती निर्जराके अभिलाषी साधुको प्रतिक्रमण सहित दो उपवास देने चाहिए। और चातुर्मासिक क्रिया तथा सांवत्सरिक क्रियाके अतिक्रमणका प्रायश्चित्त पूर्वोक्तसे दुना देना चाहिए अर्थात् चातुर्मासिक क्रियाके उल्लंघनका आठ उपवास और सांवत्सरिक क्रियाके उल्लंघनका चौबोस उपवास प्रतिक्रमण सहित प्रायश्चित्त देना चाहिए॥ ६६॥

आगे केशलोचके विषयमें कहते हैं—

चतुर्मासानथो वर्षं युगं लोचं विलंघयेत् ।

क्षमा षष्ठं च मासोऽपि ग्लानेऽन्यत्र निरंतरः ॥

अर्थ—लोच किये चार माहसे ऊपर विता दे तो उपवास प्रायश्चित्त, वर्ष विता दे तो षष्ठोपवास प्रायश्चित्त और युग—पांच वर्ष विता दे तो पंचकल्याण प्रायश्चित्त है। यह विधान रोग-ग्रसित मुनिके लिए है और जो नीरोग है उसके लिए निरन्तर पंचकल्याण प्रायश्चित्त है ॥ ६७ ॥

आगे अचेलव्रतमें लगे हुए अपराधोंका प्रायश्चित्त बताते हैं—
उपसर्गाङ्गुजो हेतोर्दर्पणाचेलभंजने ।
क्षमणं षष्ठमासौ स्तो मूलमेव ततः परं ॥ ६८ ॥

अर्थ—उपसर्गवश, व्याधिवश और अहंकारवश यदि अचेलव्रतका भंग करे तो क्रमसे उपवास, षष्ठोपवास, और पंचकल्याण प्रायश्चित्त है। इससे ऊपर मूल प्रायश्चित्त है। भावार्थ—खजन, राजा आदि द्वारा सताये जाने पर अत्यंत संकटावस्थाको प्राप्त होकर यदि कोई मुनि अचेलव्रतका भंग करे—वस्त्र पहन ले तो एक उपवास, व्याधिविशेषके कारण पहन ले तो दो उपवास, अहंकारवश पहन ले तो पंचकल्याण प्रायश्चित्त है। इसके अनन्तर मूल-मुनदीदा नामका प्रायश्चित्त है और प्रायश्चित्त नहीं ॥ ६८ ॥

अब, अस्त्रान, क्षितिशयन और अदंतधावन मूलगुणोंमें
लगे अपराधोंका प्रायशिच्छा कहते हैं;

दंतकाष्टे गृहस्थार्हशयासंस्नानसेवने ।

कल्याणं सकृदाख्यातं पञ्चकल्याणमन्यथा ॥६९॥

अर्थ—एक बार, दंतधावन करने, गृहस्थोंके योग्य श्राव्या-
पर सोने और स्नान करनेका कल्याण प्रायशिच्छा है और बार
बार इन्हीं कामोंके करनेका पञ्च कल्याण प्रायशिच्छा है ॥ ६९ ॥

अब स्थिति भोजन और एक भक्त के विषयमें कहा जाता है—
अस्थित्यनेव संभूते ऽदपें दर्पे सकृन्मुहुः ।

कल्याणं मासिकं छेदः क्रमान्मूलं प्रकाशतः ॥

अर्थ—व्याधिवश, एक बार दैठकर भोजन करने और
अनेक बार भोजन करनेका कल्याण प्रायशिच्छा और बार बार
दैठकर भोजन करने, अनेक बार भोजन करनेका पञ्चकल्याण
प्रायशिच्छा है तथा लागोंके दखते हुए अहंकारमें चर होकर
एक बार दैठकर भोजन करने और अनेक बार भोजन करनेका
प्रवर्ज्याच्छेद प्रायशिच्छा और बार बार ऐसा करनेका मूल-पुन-
दीक्षा प्रायशिच्छा है । भावार्थ—रोगवश और अहंकारवश एक
बार और अनेक बार, स्थिति भोजन व्रत और एक भक्त व्रतका
भंग करने पर उक्त प्रायशिच्छा है ॥ ७० ॥

समितीन्द्रियलोचेषु भूशयेऽदंतघर्षणे ।

कायोत्सर्गः सवृद्धूयः क्षमणं मूलमन्यतः ॥

अर्थ—पांच समिति, इंद्रियनिरोध, केशबोच, भूशयन, अदंतथावन इन मूलगुणोंके एक बार भंग होनेपर कायोत्सर्ग और बार बार भंग होनेपर उपवास प्रायश्चित्त है तथा पंच महाव्रत, छह आवश्यक, अचेलकत्व, अस्नान, स्थिति भोजन और एक भक्त इन मूलगुणोंके एक बार भंग होनेपर प्रतिक्रपण सहित उपवास और बार बार भंग होनेपर पुनर्दोक्षा प्रायश्चित्त है । भावार्थ—व्रतोंका भंग जघन्य दर्जेसे लेकर उत्कृष्ट दर्जेतक अनेक प्रकारका है—जैसे जैसे अधिक दोष संभव हो वैसे वैसे बढ़ता हुआ प्रायश्चित्त है । जैसे समिति आदि प्रत्येक व्रतोंका अतिस्तोक भंग होनेपर मिथ्याकार, उससे अधिक भंग होनेपर आत्मनिन्दा, उससे भी अधिक भंग होनेपर गर्हा उससे भी अधिक भंग होने पर आलोचना, उससे भी अधिक भंग होनेपर लघुकायोत्सर्ग, उससे भी अधिक भंग होनेपर मध्यम कायोत्सर्ग उससे भी अधिक भंग होने पर बढ़ते बढ़ते एक सौ आठ उच्चवास प्रमाण महाकायोत्सर्ग पर्यंत प्रायश्चित्त है । यह एक बार भंग होनेका प्रायश्चित्त है । बार बार भंग-विशेष होनेका पुरुमंडल, निर्विकृति, एकस्थान और आचाम्ल प्रायश्चित्त वहां तक है जहां सर्वोत्कृष्ट भंग हाने पर प्रतिक्रमण सहित उपवास प्रायश्चित्त है । तथा अहिंसादि व्रतोंके एक बार भंग होनेपर प्रतिक्रपण सहित उपवास प्रायश्चित्त है और बार बार भंग होनेपर वहो प्रायश्चित्त अहंकार युक्त, अप्रयत्नचारी, अस्थिर आदि पुरुषविशेषके अपेक्षासे बढ़ता हुआ षष्ठोपवास

अष्टम (तीन उपवास) दशम (चार उपवास) द्वादश (पांच उपवास) अर्धमासोपवास, मासोपवास, षष्ठमासोपवास, संवत्सरोपवास आदि हैं उसके अनन्तर दिवसादिकं क्रमसे दीक्षाच्छेद हैं उसके अनन्तर सर्वोल्कृष्ण मूलप्रायश्चित्त हैं ॥७१॥

इस प्रकार मूलगुणोंमें संभव दोषोंका प्रायश्चित्त कहा गया अब उत्तर गुणोंमें संभव दोषोंका प्रायश्चित्त बताते हैं—

द्वमूलातोरणौ स्थास्नू आतापस्तद्वयात्मकः ।
चलयोगा भवन्त्यन्ये योगाः सर्वेऽथवा स्थिराः ॥

अर्थ—द्वमूल और अतोरण ये दो योग स्थिर योग हैं। आतापन योग चल और स्थिर दोनों तरहका है। और शेष अन्नावकाश, स्थान, मौन और वीरासन ये चार योग चल योग हैं। अथवा सभी योग स्थिर योग हैं ॥ ७२ ॥

भंजने स्थिरयोगानामपस्कारादिकारणात् (?) ।
दिनमानोपवासाः स्युरन्येषामुपवासना ॥७३॥

अर्थ—नेत्र दर्द, पेट दर्द, शिरः शूल, विशूचिका, सर्वोपसग दोंस, मच्छर आदि कारणोंसे स्थिर योगोंका भंग हो जाय तो योग पृतिके जितने दिन अवशिष्ट रह गये हों उतने उपवास प्रायश्चित्त हैं। तथा अन्य स्थान, मौन, अवग्रह आदि योगोंका भंग होनेपर आलोचनाको आदि लेकर प्रतिक्रमण सहित उपवास पर्यंत प्रायश्चित्त है ॥ ७३ ॥

तत्प्रतिष्ठा च कर्तव्याभ्रावकाशे पुनर्भवेत् ।
चतुर्विधं तपश्चापि पञ्चकल्याणमन्तिमं ॥ ७४ ॥

अर्थ—उन स्थान, मोन अवग्रह आदि योगोंकी पुनर्व्यवस्थापना भी करनी चाहिए अर्थात् प्रायश्चित्त देकर फिर भी उन्ही योगोंमें स्थापत करना चाहिए । तथा अभ्रावकाश योग के भंग होनेपर आलोचना, प्रतिक्रिया, उभय और स्थानविवेक और गणविवेक एवं दोनों तरहका विवेक प्रायश्चित्त है । और पुरुषमंडल, निर्विकृति, एकस्थान, आचाम्ल, उपवास, कल्याण, वेला, तेला, चौला, पचौलाको आदि लेकर अंतिम पञ्च कल्याण पर्यंतका तप प्रायश्चित्त भी है ॥ ७४ ॥

सङ्कुटप्रामुकासेवेऽसङ्कुन्मोहादहंकृतेः ।
क्षमणं पञ्चकं मासः सोपस्थानं च मूलकं ॥

अर्थ—अज्ञानवश ब्रह्म स्थावर आदि जीवोंसे व्यास वस्तिका आदि प्रदेशोंमें एक बार निवास करने पर उपवास और बार बार निवास करने पर कल्याण प्रायश्चित्त है । तथा अहंकार वश एक बार निवास करनेपर प्रतिक्रिया और पञ्चकल्याण प्रायश्चित्त और बार बार निवास करने पर मूलप्रायश्चित्त है ॥

ग्रामादीनामजानानो यः कुर्यादुपदेशनं ।
जानन् धर्माय कल्याणं मासिकं मूलगः सम्ये ॥

अर्थ—जो मुनि, ग्राम, पुर, घर, वसति आदिके बनवानेमें

दोषोंको न जानता हुआ उनके बनानेका उपदेश करता है वह कल्याण-प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है। दोषोंको जानता हुआ उनके आरंभका उपदेश करता है वह पंचकल्याण प्रायश्चित्तका भागी है तथा गर्व-अहंकारमें नुर होकर जो ग्राम आदिका उपदेश करता है वह मूल प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ ७६ ॥

**आलोचना तनृत्सर्गः पूजोहेशोऽप्रबोधने ।
सोपस्थाना सकृदेया क्षमा कल्याणकं मुहुः ॥**

अर्थ— पूजा संवधी आरंभके दोषोंको न जाननेवाले मुनि-को एकबार पूजाका उपदेश देने पर आरंभका परिमाण जान कर आलोचना अथवा कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त प्रतिक्रपण सहित उपवास पर्यंत दे तथा बार बार पूजोपदेश दे तो कल्याणक प्रायश्चित्त दे। भावार्थ—जो मुनि पूजाके आरंभसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंको नहीं जानता है वह यदि एकबार गृहस्थोंसे पूजाका आरंभ करावे तो उसे आरंभके अनुसार आलोचना अथवा कायोत्सर्ग प्रायश्चित्तको आदि लेकर उपवास पर्यंत प्रायश्चित्त दे और बारबार आरंभ करावे तो कल्याणक प्रायश्चित्त दे ॥

जाननस्यापि संशुद्धिः सकृच्चासकृदेव च ।

पस्थानं हि कल्याणं मासिंकं मूलमावधे ॥

अर्थ—जो मुनि पूजारम्भसे जन्य दोषोंको जानता हो वह पूजाके आरम्भका एक बार उपदेश दे तो उसके उस-अप-

राधकी शुद्धि प्रतिक्रमण सहित कल्याण है और बारबार उप-
देश दे तो उसकी मासिक-पंचकल्याण शुद्धि है तथा जिस पूजो-
षदेशके देनेसे छह निकायके जीवोंका वध होता हो तो उसका
प्रायश्चित्त पुनर्दीक्षा है ॥ ७८ ॥

सल्लेखनेतरे ग्लाने सोपस्थाना विशेषणा ।
अनाभोगेऽथ साभोगे प्रभुके मासिकं स्मृतं ॥

अर्थ—कुधा और कृषा परीषहसे पीड़ित हुआ सखे खना
करनेवाला मुनि तथा आष्टोपवास, पक्षोपवास, मासोपवास
आदि उपवासोंद्वारा पीड़ित हुआ सखे खना न करनेवाला मुनि
यदि लोगोंके नहीं देखते हुए भोजन कर ले तो उन दोनोंके
लिए उस दोषका प्रायश्चित्त प्रतिक्रमणसहित उपवास कहा
गया है और जो उक्त दोनों प्रकारके ग्लान मुनि लोगोंके
देखते हुए भोजन कर लें तो उनके लिए पंचकल्याण प्रायश्चित्त
कहा गया है ॥ ७९ ॥

स्यात्सम्यक्त्वब्रतं भ्रष्टैर्विहारे मासिकं क्षमा ।
जिनादीनामवर्णदौ सोपस्थानां गसंस्कृतिः(?) ॥

अर्थ—सम्यक्त्वसे भ्रष्ट अर्थात् पिथ्यादृष्टि पुरुषोंके साथ
और व्रतोंसे भ्रष्ट अर्थात् दुःशीलता, क्रोध, मान, माया, लोभ
अविनय, संघकी निंदा करना आदि दोषोंसे दृष्टि अवती
पुरुषोंके साथ विहार करने पर अर्थात् पिथ्यादृष्टि और अवती-

पुरुषोंकी संगति करने पर पंचकल्याणक प्रायश्चित्त दे और अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधुमें अवरणवाद लगाने पर प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग सहित उपवास प्रायश्चित्त दे ॥ ८० ॥

निमित्तादिकसेवायां सोपस्थानोपवासनं ।
सूत्रार्थविनयाद्येष्वंगोत्सर्गलोचने स्मृते ॥ ८१ ॥

अर्थ—च्यंजन, अङ्ग, स्वर, छिन्न, भौम, अंतरिक्ष, लक्षण, स्वप्न इन आठ निमित्तों द्वारा आदि शब्दसे, वैद्यकविद्या और मंत्रों द्वारा आजीविका करने पर प्रतिक्रमण और उपवास प्रायश्चित्त है । तथा सूत्र (शास्त्र) और अर्थका अविनय, निन्हव आदि करने पर कायोत्सर्ग और आलोचना ये दो प्रायश्चित्त माने गये हैं ॥ ८१ ॥

सूत्रार्थदर्शने शैक्ष्येऽसमाधानं वित्तन्वतः ।
चतुर्थं निन्हवेऽप्येवभाजार्यस्यागमस्य च ॥ ८२ ॥

अर्थ—सूत्र और अर्थका उपदेश करते समय श्रेताओंका समाधान न कर सके तो उसको उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए तथा आचार्य और आगमका निन्हव करने पर भी उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ८२ ॥

संस्तराशोधने देये कायोत्सर्गविशेषणे ।
शुद्धेऽशुद्धे क्षमा पंचाहोऽप्रमादप्रमादिनोः ॥

अर्थ—जाव-जन्तु रहित प्रदेशमें संथारेको न शोधकर सोये हुए अप्रपत्त मुनिको कायोत्सर्ग प्रायश्चित्ता और प्रमत्त मुनिको उपवास प्रायश्चित्ता देना चाहिए तथा जाव-जन्तुओंसे पुक्त प्रदेशमें संथारेको न शोधकर सोये हुए अप्रपत्त मुनिको उपवास और प्रमत्तको कल्याण प्रायश्चित्ता देना चाहिए ॥ ८३ ॥

लोहोपकरणे नष्टे स्यात् क्षमांगुलमानतः ।
केचिद्भनांगुलैरुच्युः कायोत्सर्गः परोपधौ ॥८४॥

अर्थ—मूड़ी, नहनी, छुरा आदि लोहकी चीजें नष्ट कर देने पर जितनी अंगुलकी वे चीजें हों उतने उपवास प्रायश्चित्तमें देने चाहिए । कोई कोई आचार्य घनांगुलके हिसावसे उक्त चीजोंके नाशका प्रायश्चित्त बताते हैं अर्थात् वे कहते हैं कि उस नाश किये गय लोहापकरणके जितने घनांगुल हों उतने उपवास प्रायश्चित्तमें देने चाहिए । तथा संथारा, पिञ्छी, कमंडलु आदि दूसरेकी चीजें नाश कर देने पर कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ८४ ॥

रूपाभिधातने चित्तदूपणे तनुसर्जनं ।
स्वाध्यायस्य क्रियाहानवेवमेव निरुच्यते ॥८५॥

अर्थ—मिर्च कागज आदि पर लिखित मनुष्य आदिके प्रतिविवोंका नाश करने पर, विषयाभिलाप आदि दुष्ट परिणामोंके करने पर, और स्वाध्याय क्रियाकी ज्ञानि करने पर कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त कहा गया है ॥ ८५ ॥

योऽप्रियंकरणं कुर्यादनुमोदेत चाथवा ।
दूरस्थोऽसौ जिनाज्ञायाः पष्टं सोपस्थितिं ब्रजेत् ॥

अर्थ—जो साधु अप्रियकरण—स्वाध्याय, नियम, बन्दना आदि क्रियाओंमें कमी करता है अथवा उसकी अनुमोदना करता है वह जिन भगवान्की ज्ञानसे वहिर्भूत है और प्रतिक्रमण सहित पष्ट प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ ८६ ॥

तृणकाष्ठकवाटानामुद्धाटनविघट्ने ।

चातुर्मास्याश्रतुर्थं स्यात् सोपस्थानमवस्थितं ॥

अर्थ—तृण और काष्ठके बने हुए कपाट आदि चीजोंके खोलने और बंद करनेका चार मासके अनन्तर प्रतिक्रमण सहित उपवास प्रायश्चित्त निश्चित है ॥ ८७ ॥

शश्छिशोधयेत् साधुः पक्षे पक्षे कमंडलुं ।

तदशोधयतो देयं सोपस्थानोपवासनं ॥ ८८ ॥

अर्थ—साधु पंद्रह पंद्रह दिनके बाद संसूच्छन जीवोंके निराकरणके अर्थ कमंडलुको भीतरसे धोवे—साफ करे । जो साधु उस कमंडलुको पंद्रह पंद्रह दिन बाद न धोवे तो उसको प्रतिक्रमण और उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ८८ ॥

मुखं क्षालयतो भिक्षोरुदर्विंदुर्विशेन्मुखे ।

आलोचना तनूत्सर्गः सोपस्थानोपवासनं ॥ ८९ ॥

अर्थ—मुख धोते हुए साधुके मुखमें यदि जलकी दूँद चली जाय तो उसको आलोचना, कायोत्तर्ग, और प्रतिक्रियण सहित उपवास प्रारथिता देना चाहिए ॥ ८६ ॥

आगंतुकश्च वास्तव्या भिक्षाशय्यौपधादिभिः ।
अन्योन्यागमनाद्यैश्च प्रवर्तते स्वशक्तिः ॥ ९० ॥

अर्थ—आगंतुक-परगणसे आये हुए मुनि, और वास्तव्य-अपने गणमें रहनेवाले मुनि, दोनों परस्परमें चर्या, शयन, औपथ, आपृच्छा, आलोचना, ज्याख्यान, वात्सल्य, संभाषण इत्यादि द्वारा तथा परस्पर एक दूसरेको देस्कर जाना-आना, विनय करना, खड़े होना इत्यादि द्वारा अपनी अपनी शक्तिके अनुसार प्रवृत्ति करें ॥ ८० ॥

विधिमेवमतिक्रम्य प्रमादाद्यः प्रवर्तते ।
तस्मात् क्षेत्रादसौ वर्षमपनेयः प्रदुष्टधीः ॥ ९१ ॥

अर्थ—जो मुनि प्रमादके वशीभूत हो र उक्त विधानका उद्घाटन कर अपनी प्रवृत्ति करे उस दुष्टुद्धि मुनिको उस क्षेत्रसे वर्ष भरके लिए निकाल देना चाहिए ॥ ८१ ॥

शिलोदरादिके सूत्रमधीते प्रविलिख्य यः ।

चतुर्थालीचने तस्य प्रत्येकं दंडनं मतं ॥ ९२ ॥

अर्थ—पत्थरकी शिला, उदर, आदि शब्दसे भूमि, भुजा, जंघा आदिके ऊपर शास्त्र लिखकर जो कोई मुनि अभ्यास करे तो

उसके लिए क्रमसे उपवास और आलोचना ये दो प्रायश्चित्त हैं माने गये हैं। गावार्थ—शिला पृथिवी आदि पर लिखकर शास्त्र पढ़े तो उपवास प्रायश्चित्त और उदर, जांघ, घुटना, सुजा आदि पर लिखकर आगषका अध्ययन करे तो आलोचना प्रायश्चित्त माना गया है ॥ ८२ ॥

**जातिवर्णकुलोनेषु भुंक्तेऽजानन् प्रमादतः ।
सोपस्थानं चतुर्थं स्यान्मासोऽनाभोगतो मुहुः ॥**

अर्थ—याताकी वंश परम्पराको जाति और पिताकी वंश परम्पराको कुल कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं। वेश्या आदि जाति और कुलसे रहित हैं क्योंकि उनके माता-पिताकी वंश परम्पराका कोई निश्चय नहीं है। ब्राह्मणोंमें क्षत्रियसे पैदा हुआ सूत, ब्राह्मणीमें वैद्यसे उत्पन्न हुआ वैदेहिक आदि वर्णरहित हैं। यदि कोई मुनि स्वयं न जानता हुआ इन जाति, वर्ण और कुलसे रहित पुरुषोंके घरपर औरोंके न देखते हुए एववार भोजन करे तो उसके लिए प्रतिक्रयण-पूर्वक उपवास और वारवार भोजन करे तो पंचकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ८३ ॥

**जातिवर्णकुलोनेषु भुंजानोऽपि मुहुर्मुहुः ।
साभोगेन सुनिर्नूनं मूलभूमिं समश्नुते ॥ ९४ ॥**

अर्थ—जिनकी जाति, वर्ण और कुल उक्त प्रकाशसे निर्धारित हैं

उनके घर पर औरोंके देखते हुए वारबार भोजन करनेवाला
मुनि निश्चयसे पुनर्दीक्षा प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥

चतुर्विधमथाहारं देयं यः प्रतिषेधयेत् ।

प्रमादाहृष्टभावाच्च क्षमोपस्थानमासिके ॥ ३५ ॥

अर्थ—जो मुनि, देनेयोग्य, अशन, पान, खाद्य, स्वाद्यके
भेदसे चार प्रकारके आहारका भूलसे निषेध करे तो उसके लिए
उपवास प्रायश्चित्त और द्वे पवश निषेध हो रे तो प्रतिक्रमणपूर्वक
पंचकल्याण प्रायश्चित्त है ॥ ६५ ॥

ज्ञानोपध्यौपदं वाथ देयं यः प्रतिषेधयेत् ।

प्रमादेनापि मासः स्थात् साध्वावासमथो मुहुः ॥

अर्थ—जो कोई मुनि, ज्ञानोपकरण पुस्तक अथवा औपध
जो कि देनेयोग्य हैं उनका एक बार भी निषेध करे तो उसके
लिए पंचकल्याण प्रायश्चित्त है और यदि साधुओंको देने
योग्य वसति आदिका भी निषेध करे तो यही प्रायश्चित्त है ॥

चतुर्विधं कदाहारं तैलाम्लादि न वल्भते ।

आलोचना तनूत्सर्ग उपवासोऽस्य दंडनं ॥ ९७ ॥

अर्थ—जो व्याधि आदि कारणोंके बिना भी देनेयोग्य
चार प्रकारके कुत्सित आहारको अथवा तैल कांजिक आदिको
नहीं खाता है उसके लिए आलोचना कायोत्सर्ग और उपवास
वे प्रायश्चित्त हैं ॥ ६७ ॥

वैयावृत्यानुमोदेऽपि तद्द्रव्यस्थापनादिके ।
पथ्यस्थानयने सम्यक् सप्ताहादुपसंस्थितिः ॥

अर्थ—शरीरका आहार औपथ आदिके द्वारा उपकार करनारूप वैयावृत्यकी मंद ग्लान आदि कारणोंको लेकर अनुमोदन करने पर, वैयावृत्य संबन्धी भाजनोंको रखना, धोना, बांधना आदि क्रिया करने पर तथा रोगी मुनिके लिए प्रयत्नपूर्वक योग्य आहारविशेष लाने पर सप्त दिनके अनन्तर प्रतिक्रमणपूर्वक उपवास प्रायश्चित्त है। उपवास यद्यपि श्लोकमें नहीं कहा गया है तो भी उसका ग्रहण है क्योंकि प्रतिक्रमण उपवासके विना नहीं होता ॥ ८८ ॥

स्वच्छंदशयनाहारः प्रसाद्यन् करणे व्रते ।
द्वयोरप्यविशुद्धित्वाद्वारणीयस्तिरात्रतः ॥ ९९ ॥

अर्थ—अपनी इच्छानुसार सोनेवाला और आहार करने वाला, तथा पांच नमस्कार क्रिया छह आवश्यक क्रिया, आसेधिका और निषेधिका एवं तेरह क्रिया और पांचमहाव्रतोंमें अनादर करनेवाला ये दोनों—इच्छानुकूल करनेवाले और अनादर करनेवाले दोषी हैं इसकारण तीन दिन देखकर बाद निषेध कर देनेके योग्य हैं ॥ ८९ ॥

भूदिमृजलतः शौचं यो वा साधुः समाचरेत् ।
सोपस्थापनोपवासोऽस्य वस्तिवर्ण्यादिकेष्वपि ॥

अर्थ—जो साधु प्रचुर मिट्ठी और जलसे शौच करता हो

उसके लिए प्रतिक्रपणसहित उपवास प्रायश्चित्त है और वर्षन विरेचन आदि चिकित्सा करने पर भी यही प्रायश्चित्त है ॥१००॥

चांडालसंकरे स्पृष्टे पृष्टे देहेऽपि मासिकं ।

तदेव द्विगुणं भुक्ते सोपस्थानं निगद्यते ॥१०१॥

अर्थ—चांडाल आदिसंयन्त्रे पर तथा उनसे परस्पर देह भिड़ने पर भी पञ्चकल्याण प्रायश्चित्त है । तथा विना जाने चांडाल आदिके हाथसे दिया हुआ भोजन लेने पर अथवा चांडालोंको देख लेने पर भी भोजन करने पर वही पूर्वोक्त प्रायश्चित्त प्रतिक्रपणसहित दूना कहा गया है अर्थात् प्रतिक्रपण सहित दो पञ्च कल्याणक प्रायश्चित्त हैं ॥ १०१ ॥

असंतं वाथ संतं वा छायाघातमवाप्नुयात् ।

यत्र देशे स मोक्तव्यः प्रायश्चित्तं भवेदपि ॥

अर्थ—जिस देशमें अवास्तविक अथवा वास्तविक अपमान-को प्राप्त हो वह देश छोड़ देना चाहिए, यही प्रायश्चित्त है । भावार्थ—जिस देशमें अपमान हो वह अपमान चाहे तो गैर-ठीक हो या ठीक हो अतः उस देशको छोड़ देना ही उसका प्रायश्चित्त है ॥ १०२ ॥

दोषानालोचितान् पापो यः साधुः संप्रकाशयेत् ।
मासिकं तस्य दातव्यं निश्रयोहंडदंडनं ॥१०३॥

अर्थ—जो पापात्मा साधु गुरुसे निवेदन किये दोषोंको

अन्यके प्रति प्रकट करता है उसे मासिक-पंचकल्याण प्राय-
श्चित्त देना चाहिए ॥ १०३ ॥

स्वकं गच्छं विनिर्मुच्य परं गच्छमुपाददत् ।

अर्धेनासौ समाञ्छेद्यः प्रब्रज्याया विशंसयं ॥ १०४ ॥

अर्थ—जो साधु जिस गच्छमें कि उसने दीक्षा ली है वह
वही अपने उस गच्छको छोड़ कर दूसरे गच्छमें चक्षा जाय तो
उसकी निःसंदेह आधी दीक्षा छेद देनी चाहिए ॥ १०४ ॥

यः परेषां समादत्ते शिष्यं सम्यकप्रतिष्ठितं ।

मासिकं तस्य दातव्यं मार्गमूढस्य दंडनं ॥ १०५ ॥

अर्थ—जो आचार्य, अच्छो तरहसे रत्नत्रयमें व्यवस्थित
किये गये अन्य आचार्यके शिष्यको स्वीकार करता है उस मार्ग-
मूढ़ (व्यवस्था न जानने वाले) परशिष्यग्राहीको मासिक-
पंचकल्याण प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १०५ ॥

ब्राह्मणः क्षत्रियाः वैश्या योग्याः सर्वज्ञदीक्षणे ।

कुलहीने न दीक्षाऽस्ति जिनेन्द्रोहिष्टशासने ॥

अर्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन ही सर्वज्ञ दीक्षा
अर्थात् निर्गन्ध लिंगको धारण करनेके योग्य हैं । इन तीनोंसे
भिन्न शुद्र आदि कुलहीन हैं अतः उनके लिए जिनकासनमें
निर्गन्ध (नम) लिंग नहीं है—वे निर्गन्ध लिंगको धारण
करनेके योग्य नहीं हैं । तदुक्तं—

त्रिषु वर्णेष्वेकतमः कल्याणांगः तपःसहो वयसा ।
सुसुखः कुत्सारहितः दीक्षाग्रहणे पुमान् योग्यः ॥

अर्थात् ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य इन तीनोंमेंसे कोईसा भी एक पोतका अधिकारी है, वही वयके अनुसार तपश्चरण करने वाला सुन्दर और ज्ञानिरहित दीक्षा ग्रहणके योग्य है ॥ १०६ ॥

न्यकुलानामचेलैकदीक्षादायी दिग्म्बरः ।

जिनाज्ञाकोपनोऽनन्तसंसारः समुदाहृतः ॥१०७॥

अर्थ—ब्राह्मण, त्रिय, और वैश्य इन तीनों बलोंसे वहिर्भूत नीच कुली—शूद्र आदिको सम्पूर्ण जगतमें प्रधानभूत निग्रन्थ-दीक्षा देनेवाला दिग्म्बर साधु सर्वज्ञके वचनोंके प्रति-कूल है और अनन्तसंसारी है ॥ १०७ ॥

दीक्षां नीचकुलं जानन् गौरवाच्छिष्यमोहृतः ।
यो ददात्यथ गृह्णाति धर्मोद्घाहो द्योरपि ॥

अर्थ—जो आचार्य, नीचकुल वाला जानकर भी उस नीच कुलीको ऋद्धिके गर्वसे अथवा-शिष्य बनानेकी अभिलाषासे दीक्षा देता है और जो नीचकुली निग्रथ दीक्षा लेता है उन दोनोंहीका धर्म दूषित है ॥ १०८ ॥

अजानाने न दोषोऽस्ति ज्ञाते सति विवर्जयेत् ।
आचार्योऽपि स मोक्तव्यः साधुवर्गेरतोऽन्यथा ॥

अर्थ—जो कोई आचार्य नीच कुलीको नीच कुली न जान-

कर दीदा देदे तो दोष नहीं परंतु जान लेने पर उसे छोड़ देना चाहिए यदि वह आचार्य उस नीच कुलीको न छोड़े तो अन्य साधुओंको चाहिए कि वे उस नीच कुलीको दीदा देनेवाले आचार्यको भी छोड़ दें ॥ १०६ ॥

**शिष्ये तस्मिन् परित्यक्ते देयो मासोऽस्य दंडनं ।
चांदालाभोज्यकारूणां दीक्षणे द्विगुणं च तत् ॥**

अर्थ—उस अकुलीन शिष्यके छोड़ देने पर इस आचार्यको पंचकल्याण प्रायश्चित्त देना चाहिए तथा भंगी चमार आदिको और अभोज्य कारूणों—धोवी, बड़ना, कलाल आदि को दीदा देने पर वह पूर्वोक्त पंचकल्याण प्रायश्चित्त दूना देना चाहिए ॥ ११० ॥

अनाभोगेन चेत्सुरिदोषमाप्नोति कुत्रचित् ।

अनाभोगेन तच्छेदो वैपरीत्याद्विपर्ययः ॥ १११ ॥

अर्थ—यदि आचार्य कहीं भी अपकाश रूपसे दोषको प्राप्त हो तो उसको अपकाशरूपसे ही प्रायश्चित्त देना चाहिए और यदि प्रकाशरूपसे दोषको प्राप्त हो तो उसको प्रकाशरूपसे ही प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १११ ॥

शुल्कानां च शेषाणां लिंगप्रबंशने संति ।

तत्सकाशे पुनर्दीक्षा मूलात्पाष्ठिचेलिनाम् ॥

अर्थ—चुञ्चक-सर्वोक्तुष्ट आवकोंको भी किसी कारणवश उनकी दीदा का भंग हो जाने पर जिसके पास पहले दीदा ली

हो उसीके पास फिर भी दीक्षा लेना चाहिए, अन्य आचार्यके पास नहीं। निर्ग्रन्थ लिंगसे रहित अन्यलिंगी, पिथ्याद्वाणि गृहस्थ और श्रावक इनको मूल (प्रारंभ) से ही दीक्षा है अतः ये चाहे जहाँ दीक्षा ले सकते हैं ॥ ११३ ॥

**कुलीनक्षुल्केष्वेव सदा देयं महाव्रतं ।
सल्लेखनोपरूपेषु गणेच्छुना ॥ ११३ ॥**

अर्थ—सज्जाति विवाहिता ब्राह्मणीमें ब्राह्मणसे, क्षत्रिया-र्णीमें क्षत्रियसे आर वैश्य त्रीमें वैश्यसे उत्पन्न हुए पुरुषके ही मातृपत्न और पितृपत्न ये दोनोंकुल विशुद्ध हैं अतः इन विशुद्ध उभय कुलोंमें उत्पन्न हुआ क्षुल्क जिसने कि व्यंग आदि कारणोंके बश क्षुल्क व्रत धारण कर रखा हो वह सपाधिपरण करनेमें तत्पर हो तब उसे निर्ग्रन्थ दोक्षा देना चाहिए। परंतु जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके विशुद्ध उभय-कुलमें उत्पन्न नहीं हुआ है उस क्षुल्कको कभी भी निर्ग्रन्थ दीक्षा नहीं देना चाहिए ॥ ११३ ॥

इस तरह ऋषि प्रायश्चित्त पूर्ण हुआ अब आर्यिकाओंका प्रायश्चित्त बताते हैं—

**साधूनां यद्यदुहिष्टमेवमार्यगणस्य च ।
दिनस्थानत्रिकालोनं प्रायश्चित्तं समुच्यते ॥**

अर्थ—जैसा प्रायश्चित्त साधुओंके लिए कहा गया है वैसा ही आर्यिकाओंके लिए कहा गया है, त्रिशेष इतना है कि दिन-

प्रतिमा, त्रिकालयोग चकारसे अथवा ग्रन्थान्तरोंके अनुसार पर्यायच्छेद, मूलस्थान, तथा परिहार ये प्रायश्चित्त भी आर्यिकाओंके लिए नहीं हैं ॥ ११४ ॥

समाचारसमुद्दिष्टविशेषभ्रंशने पुनः ।

स्थैर्यास्थैर्यप्रमादेषु दर्पतः स्कृन्मुहुः ॥ ११५ ॥

अर्थ—विना प्रयोजन पर घर जाना, अपने स्थानमें या पर स्थानमें रोना, बालकोंको स्नान कराना, उन्हें भोजन-पान कराना, भोजन बनाना, छह प्रकारका आरंभ करना आदि जो विशेष कथन समाचार क्रियामें आर्यिकाओंके लिए किया गया है उसका स्थिर, अस्थिर, प्रमाद और अहंकारवश एक बार और वह बार भंग करने पर नीचे लिखा प्रायश्चित्त है। भावार्थ—स्थिर और अस्थिर आर्यिकाओंके प्रमादवश और अहंकारवश एक बार और बार बार समाचार क्रियामें दोष लगने पर क्रमसे नीचे लिखा प्रायश्चित्त है ॥ ११५ ॥

**कायोत्सर्गः क्षमा क्षांतिः पंचकं पंचकं क्रमात् ।
षष्ठं पष्ठं ततो मूलं देयं दक्षगणेशिना ॥ ११६ ॥**

अर्थ—प्रायश्चित्त देनेमें चतुर आचार्य, स्थिर आर्यिकाको प्रमादवश एक बार समाचार क्रियामें दोष लगाने पर कायोत्सर्ग और बार बार दोष लगाने पर उपवास प्रायश्चित्त दे, दर्पवश एक बार दोष लगाने पर उपवास और बार बार दोष लगाने पर कल्याण प्रायश्चित्त दे, और अस्थिर आर्यिकाको

प्रपादवश समाचार क्रियामें एक बार दोष लगाने पर पष्टु और बार बार दोष लगाने पर कल्याण दे, तथा दर्पवश एक बार दोष लगाने पर पष्टु और बार बार दोष लगाने पर पंच-कल्याण प्रायश्चित्त दे ॥ ११६ ॥

मृज्जलादिप्रमां ज्ञात्वा कुञ्ज्यादीनां प्रलेपने ।
कायोत्सर्गादिमूलान्तमार्याणां प्रवितीर्यते ॥

अर्थ—आर्यिकाओंको दीवाल लीपना, भूमि लीपना, औषधिपात्रोंको धोना, अग्निजलाना आदि कार्योंके करने पर मिट्ठी, जल, आदि शब्दसे अग्नि, वायु, वनस्पति आदिका प्रपाण जानकर उसके अनुसार कायोत्सर्गको आदि लेकर पंचकल्याण पयत प्रायश्चित्त देना चाहिए। भावार्थ—मिट्ठी जल, आदिके परिपाणके अनुसार जघन्य प्रायश्चित्त कायोत्सर्ग है, उत्कृष्ट पंच कल्याण है और मध्यम प्रायश्चित्तके अनेक विकल्प हैं। सो इस परिपाणके अनुसार समझना चाहिए कि बिल्लीके पर जितनी मिट्ठी खोदनेका, अंजलि प्रपाण जल खर्च करनेका दीपककी लौ प्रपाण अग्निके बुझानेका हाथसे एक बार, दो बार अथवा तीन बार हवा करनेका एक एक कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है। इस प्रपाणसे ज्यों बढ़ता बढ़ता मिट्ठी जल आदि-का प्रपाण हो त्यों त्यों बढ़ता बढ़ता प्रायश्चित्त समझना चाहिए ॥ ११७ ॥

वस्त्रस्य क्षालने धाते विशोषस्तनुसर्जनं ।
प्रासुकतोयेन पात्रस्य धावने प्रणिगद्यते ॥११८॥

अर्थ—वस्त्रके धोनेमें जलकायके जीवोंकी विराघना होने पर एक उपवास और प्रासुक जलसे भिन्नाके पात्रोंको धोनेका एक कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है ॥ ११८ ॥

वस्त्रयुग्मं सुवीभत्सलिंगप्रच्छादनाय च ।
आर्यणां संकल्पेन तृतीये मूलमिष्यते ॥११९॥

अर्थ—आर्यिंकाओंको गुप्त अंगको ढकनेके लिए दो वस्त्र रखना चाहिए । इन दो वस्त्रोंके अलावा तीसरा वस्त्र धारण करने पर उसके लिए पंचकल्याण प्रायश्चित्त कहा गया है ॥
याचितायाचितं वस्त्रं भैक्ष्यं च न निषिद्धयते ।
दोषाकीर्णतयार्यणामप्रासुकविवर्जितं ॥१२०॥

अर्थ—आर्यिंकाएं द्वयेशह अनेक दोषोंसे लिप्त रहती ही हैं इस कारण मांगनेसे प्राप्त हुआ किंवा विना ही मांगे स्वयमेव प्राप्त हुए निर्दोष वस्त्रोंको और भिन्ना-पात्रोंको पास रखनेका अथवा स्थान पर भिन्ना लानेका उनके लिए निषेव नहीं है ॥
तरुणी तरुणेनामा शयनं गमनं स्थितिं ।
विदधाति ध्रुवं तस्याः क्षमाणां त्रिंशदुदाहृता ॥

अर्थ—जो तरुण आर्यिंका तरुण मुनिके साथ शयन करती हो, गमन करती और साथही रहती हो या कायोत्सर्ग करती हो लिए तीस उपवास प्रायश्चित्त कहे गये हैं ॥ १२१ ॥

तारुण्यं च पुनः स्त्रीणां पष्टिवर्षाण्यनूदितं ।
तावंतमपि ताः कालं रक्षणीयाः प्रयत्नतः ॥

अर्थ—स्त्रियोंकी यांवनावस्था साठ वर्ष तक की कही गई है इसलिए साठ वर्षे तक प्रयत्नपूर्वक आर्यिकाओंकी रक्षा करना चाहिए ॥ १२२ ॥

दर्पेण संयुताथार्या विधत्ते दंतधावनं ।
रसानां स्यात् परित्यागश्चतुर्मासानसंशयं ॥

अर्थ—यदि जो कोई भी आर्यिका अहंकारके बशीभूत होकर दंतधावन करे तो उसके लिए चार महीने तक रसोंका परित्याग प्रायश्चित्त है ॥ १२३ ॥

अब्रहसंयुता क्षिप्रमपनेयापि देशतः ।
सा विशुद्धिर्वहिर्भूता कुलधर्मविनाशिका ॥

अर्थ—पंथुनाचरण कर संयुक्त आर्यिकाओं की शीघ्रता देशके बाहर निकाल देना चाहिए । ऐसी आर्यिका प्रायश्चित्तसे रहित हैं अर्थात् उसके लिए कोई भी शुद्धिका उपाय नहीं है और वह गुरुकुल तथा जिनशासनका विनाश करनेवाली है ॥ १२४ ॥

तद्वोषभेदवादोऽपि पंडितानां न कल्पते ।
अन्योक्तं लक्षणीयं न तत्प्रहेयं प्रयत्नतः ॥ १२५ ॥

अर्थ—सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंको चाहिए कि वे पूर्वोक्त संयम-संवंधी दोषोंको किसीके सामने न कहें और दूसरे लोग कह रहे

हों तो उसपर लक्ष्य न दें । तथा ऐसे दोपोंके कहनेका प्रयत्न-
पूर्वक साग करें ॥ १२५ ॥

यतिरूपेण वाच्यासा चेदार्यानामधारिका ।
हा ! हा ! कष्टं महापापं न श्रोतुमपि युज्यते ॥

अर्थ—आर्या नामधारनेवाली स्त्री यदि यति नाम धरनेवाले
पुरुषके साथ बद्नापको प्राप्त हो जाय तो उन दोनोंको धिक्कार
है, उनका यह कर्तव्य अत्यंत निकृष्ट है और महापाप है इसलिए
इस पापको औरोंसे कहना और पूछना तो दूर रहों कानोंसे
सुनना भी नहीं चाहिए ॥ १२६ ॥

उभयोरपि नो नाम आह्यं धिमीचकर्मणोः ।

अन्यरचेत्कोऽपि तद् ब्रूयात् पिधातव्ये ततः श्रुती ॥

अर्थ—निकृष्ट नीचकर्म करनेवाले उन दोनों लिंगधारियों-
का नाम भी नहीं लेना चाहिए । यदि कोई दूसरा उन दोनोंके
उक्त दूषणको कह रहा हो तो अपने कान मूँद लेना चाहिए ॥

स नीचोऽप्यशनुते शुद्धिं शुद्धञ्जुद्धिः प्रयत्नतः ।

देशकालान्तरात्तत्र लोकभावमवेत्य च ॥ १२८ ॥

अर्थ—वह नीचकर्म करनेवाला साधु भी विरक्त परिणाम
धारण कर लेने पर देशान्तरमें और कालान्तरमें सम्यज्वधान-
पूर्वक शुद्धिको प्राप्त हो सकता है । शुद्धिका विधान यह है कि
प्रायश्चित्त प्रदान करनेवाला गणभर, प्रथम, जिस देशमें उसे
प्रायश्चित्त दे वहाँके लोगोंके परिणामोंको कि इस देशमें कोई

भी इसके दोष नहीं ग्रहण करता है इस प्रकार अच्छी तरह जान ले ॥ २२८ ॥

**शपथं कारयित्वाथ क्रियामपि विशेषतः ।
बहूनि क्षमणान्यस्य देयानि गणधारिणा ॥१२९॥**

अर्थ—धनन्तर उससे शपथ कराकर और विशेष विशेष प्रतिक्रपण कराकर उसको बहुतसे उपवास प्रायश्चित्त दे ॥

**द्रव्यं चेद्वस्तगं किंचिद्दंधुभ्यो विनिवेदयेत् ।
तदास्याः पष्टमुहिष्टं सोपस्थानं विशोधनं ॥**

अर्थ—यदि आर्यिंकाके पास सोना, चांदी आदि कुछ भी द्रव्य हो और वह उस द्रव्यको अपने वंधुओंको देवे तो उस बत्त उसके लिए प्रतिक्रपण सहित पष्टोपवास प्रायश्चित्त है ॥

येन केनापि तल्लूर्धं पुनर्द्रव्यं च किंचन ।

वैयावृत्यं प्रकर्तव्यं भवेत्तेन प्रयत्नतः ॥ १३१ ॥

अर्थ—जिस किसी भी उपायसे कुछ भी द्रव्य आर्यिंकाको मिले तो उस द्रव्यसे धर्मप्राणियोंका प्रयत्नपूर्वक उपकार करना चाहिए । यहाँ उसके लिए प्रायश्चित्त है ॥ १३१ ॥

आतरं पितरं मुक्त्वा चान्येनापि सधर्मणा ।

स्थानगत्यादिकं कुर्यात् सधर्मा छेदभागपि ॥

अर्थ—पिता और भाईको छोड़कर, यदि आर्यिंका अन्य पुरुषको जाने दीजिये साधर्मी गुरुभाईके साथ भी कायोत्सर्ग,

पार्गगमनागमन, सहवास आदि करे तो वह साधर्मी भी प्रायश्चित्तका भागी होता है। वह आर्यिका प्रायश्चित्तभागिनी हो इसका तो कहना ही क्या है। भावार्थ—पिता और माईके साथ यदि आर्यिका कायोत्सर्गादि क्रिया करे तो उनमेंसे कोई भी प्रायश्चित्तके भागी नहीं है। इसके अलावा किसीके साथ भी आर्यिका कायोत्सर्गादि क्रिया करे तो जिसके साथ करे वह भी और जो करे वह भी सभी प्रायश्चित्तके भागी होते हैं ॥ १३२ ॥

**बहून् पक्षांश्च मासांश्च तस्या देया क्षमा भवेत् ।
बलं भावं वयो ज्ञात्वा तथा सापि समाचरेत् ॥**

अर्थ—उस आर्यिकाकी शक्ति, उसका भाव और अवस्था जानकर उसे बहुत से पक्षोपवास और मासोपवास प्रायश्चित्त देने चाहिए। उसी तरह वह आर्या भी उस दिये हुए प्रायश्चित्त को आदर बुद्धिके साथ करे ॥ १३३ ॥

**क्षांत्या पुष्पं प्रवश्यंत्या तदिनात् स्याच्चतुर्दिनं ।
आचाम्लं नीरसाहारः कर्तव्या चाथवा क्षमा ॥**

अर्थ—आर्यिका जब रजःस्वला हो जाय तब उस दिनसे लेकर चार दिन तक या तो कांजिक भोजन करे या नीरस भोजन करे या उपवास करे ॥ १३४ ॥

**तदा तस्याः समुद्दिष्टा मौनेनावश्यकक्रिया ।
ब्रतारोपः प्रकर्तव्यः पश्चाच गुरुसन्निधौ ॥१३५॥**

अर्थ—रजस्वलाके सप्त आर्यिका सप्तता, स्तव, बन्दना, प्रतिकमण, प्रसारव्यान और कायोत्सग इन छह श्रावक्यक क्रियाओंको मौनपूर्वक करे और शुद्ध हो जानेके पश्चात् गुरुके सपीप जाकर व्रत ग्रहण करे ॥ १३५ ॥

**स्नानं हि त्रिविधं प्रोक्तं तोयतो व्रतमंत्रतः ।
तोयेन स्याद् गृहस्थानां साधूनां व्रतमंत्रतः ॥**

अर्थ—स्नान तीन प्रकारका कहा गया है—जलस्नान, व्रत-स्नान और पञ्चस्नान । जलस्नान गृहस्थ करते हैं तथा व्रतस्नान और पञ्चस्नान साधु करते हैं । व्रतस्नान और पञ्चस्नान यह साधुओंकी परमार्थ शुद्धि है । परन्तु चांडाल आदिका स्पर्श हो जाने पर व्रतपालते हुए उनको जलसे भी च्यवहार शुद्धि करना चाहिए ॥ १३६ ॥

इस प्रकार आर्याओंका प्रायश्चित्त कहकर श्रावकोंका प्राय-श्चित्त कहते हैं—

**श्रमणच्छेदनं यज्ञं श्रावकाणां तदेव हि ।
द्वयोरपि त्रयाणां च षण्णामधार्धिहानितः ॥ १३७ ॥**

अर्थ—जो प्रायश्चित्त साधुओंके लिए कह आये हैं वही क्रपसे दो, तीन और छह श्रावकोंके लिए आधा आधा है । भावार्थ—श्रावक ग्यारह तरहके होते हैं । उनमेंसे उद्दिष्ट सागी और अनुपत्तिसागी इन दो उल्कृष्ट श्रावकोंके लिये मुनिप्राय-श्चित्तसे आधा प्रायश्चित्त है । परिग्रहसागी, आरंभसागी और ब्रह्मचारी इन तीन मध्यम श्रावकोंके लिए उल्कृष्ट श्रावकके

प्रायश्चित्तसे आधा प्रायश्चित्त है और दिवामैयुनत्यागी, सचित्त खागी, प्रोषधोपवास करनेवाला, सापायिक करनेवाला, व्रतिक और दार्शनिक इन छह जघन्य श्रावकोंके लिए उन मध्यम तीन श्रावकोंके प्रायश्चित्तसे आधा प्रायश्चित्त है ॥ १३७ ॥

**केचिदाहुर्विशेषेण त्रिष्वप्येतेषु शोधनं ।
द्विभागोऽपि त्रिभागश्च चतुर्भागो यथाक्रमं ॥**

अर्थ—कोई आचार्य इन तीनों तरहके श्रावकोंका प्रायश्चित्त दूसरीही तरहसे कहते हैं । वे कहते हैं कि साधु प्रायश्चित्तसे आधा प्रायश्चित्त तो उल्कृष्ट श्रावकोंके लिए है । साधुके प्रायश्चित्तका ही तीसरा हिस्सा प्रायश्चित्त पध्यम श्रावकोंके लिए है और साधुके प्रायश्चित्तका ही चौथा हिस्सा प्रायश्चित्त जघन्य श्रावकोंके लिए है ॥ १३८ ॥

**षणां स्याच्छ्रवकाणां तु पंचपातकसंनिधौ ।
महामहो जिनेन्द्राणां विशेषेण विशोधनम् ॥**

अर्थ—यद्यपि सभी श्रावकोंका प्रायश्चित्त ऊपर कह चुके हैं तो भी छह जघन्य श्रावकोंका प्रायश्चित्त और भी विशेष है सोही कहते हैं । गोवंध, स्त्रीदत्या, बालधात, श्रावकविनाश और ऋषि-विद्यात ऐसे पांच पापोंके बन जाने पर जघन्य श्रावकोंके लिए जिन भगवान्‌का महामह करना यह विशेष प्रायश्चित्त है ॥ १३९ ॥

**आदावते च षष्ठं स्यात् क्षमणान्येकविंशतिः ।
प्रमादाद्वोवधे शुद्धिः कर्तव्या शत्यवर्जितैः ॥**

अर्थ—पाया, मिथ्या और निदान इन तीनों शल्योंसे रहित उक्त छह श्रावकोंको किसी भी तरह गौका वध होजाने पर आदिमें और अंतमें एक एक षष्ठोपवास और मध्यमें इक्कीस उपवास करना चाहिए ॥ १४० ॥

**सौवीरं पानमाम्नातं पाणिपात्रे च पारणे ।
प्रत्याख्यानं समादाय कर्तव्यो नियमः पुनः ॥**

अर्थ—और पारणेके दिन पाणिपात्रमें कांजिक-पान करना चाहिए तथा चार प्रकारके आहारका सागकर फिर श्रावक प्रतिक्रमण करना चाहिए ॥ १४१ ॥

**त्रिसंध्यं नियमस्यांते कुर्यात् प्राणशत्रयं ।
रात्रौ च प्रतिमां तिष्ठन्निर्जितेन्द्रियसंहतिः ॥ १४२**

अर्थ—पूर्वारह, मध्यान्ह और अपराह इन तीनों संध्या सप्तयोंमें नियम (प्रतिक्रमण) करे । नियमके अंतमें तीन सौ उच्छ्वास प्रपाण कायोत्सर्ग करे और इन्द्रियसमूहको वशमें करता हुआ रात्रिमें भी कायोत्सर्ग करे ॥ १४२ ॥

**द्विगुणं द्विगुणं तस्मात् स्त्रीबालपुरुषे हतौ ।
सद्बृद्धिश्रावकर्णिणां द्विगुणं द्विगुणं ततः ॥ १४३**

अर्थ—स्त्री, बालक और मनुष्यके पारने पर गोवध प्रायश्चित्तसे दूना दूना प्रायश्चित्त है और सम्यग्दृष्टि, श्रावक और ऋषिधातका प्रायश्चित्त उससे भी दूना दूना है । भावार्थ—जो प्रायश्चित्त गोवधका कह आये हैं उससे दूना प्रायश्चित्त स्त्रीबाल

का है। स्त्रीवधसे दूना वालकके वधका है। वालकके वधसे दूना सामान्य मनुष्यके वधका है। एवं उससे दूना पाखंडोके वधका, उससे दूना लौकिक ब्राह्मणके वधका, उससे दूना संयतासंयतके वधका और उससे दूना निर्गन्य साधुके वधका है ॥ १४३ ॥

**कृत्वा पूजां जिनेन्द्राणां स्नपनं तेन च स्वयं ।
स्नात्वोपध्यं वराद्यं च दानं देयं चतुर्विंश्यं ॥१४४॥**

अर्थ—उक्त प्रायश्चित्त कर लेनेके अनन्तर अहंतोंकी पूजा और अभिषेक करे और उस अभिषेक जलसे स्वयं-आप स्नान करे तथा पुस्तक, कमङ्डलु, पिच्छो, वस्त्र, पात्र आदिका यथायोग्य दान दे और अभयदान, आहारदान, शास्त्रदान औषधदान यह चार प्रकारका दान भी दे ॥ १४४ ॥

**सुवर्णाद्यपि दातव्यं तदिच्छूनां यथोचितं ।
शिरः क्षोरं च कर्तव्यं लोकचित्तजिवृक्षया ॥**

अर्थ—तथा सोना, चांदी, वस्त्र आदि चाहनेवालोंको यथोचित सोना, चांदी, वस्त्र आदि दे और सम्पूर्ण मनुष्योंका मन उसकी ओर अनुरक्त हो इस इच्छासे शिरके बाल भी मुँडावे। इतना प्रायश्चित्त कर अनन्तर घरमें प्रवेश करे ॥ १४५ ॥

क्षुद्रजंतुवधे क्षांतिः पष्टमन्यप्रतच्युतौ ।

गुणशिक्षाक्षतौ क्षान्तिर्दग्धाने जिनपूजनं ॥१४६॥

अर्थ—दो इंद्रिय, तेइंद्रिय, और चौईंद्रिय इन क्षुद्रजंतुओं-

का विधात करने पर उपवास, सत्य अचोर्य, सदारसंतोष और परिग्रह परिमाणव्रतका भंग होने पर पछ प्रायश्चित्त, गुणव्रत और शित्ताव्रतमें ज्ञाति पड़न्चने पर उपवास प्रायश्चित्त तथा सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें दोष लगने पर जिनपूजन प्रायश्चित्त होता है । भावार्थ—सब व्रतोंके सब दाप पैसठ हैं सो ही कहते हैं । अतिक्रम, व्यतिक्रम अतीचार, अनाचार और अभोग ये पांच मूलदोष हैं इनका अर्थ जरद्रवन्यायसे कहते हैं । जरद्रव नाम बूढ़े बौलका है । जैसे कोई एक बूढ़ा बौल अच्छा हराभरा धान्यका खेत देख कर उस खेतकी दृति (वाड़) के पास खड़ा हुआ उस धान्यके खानेकी इच्छा करता है सो अतिक्रम है । फिर वाड़के क्षेत्रमें मुख डालकर एक ग्रास लूँ यह जो उसकी इच्छा है सो व्यक्तिक्रम है फिर खेतकी वाड़को उद्धंघ जाना अतीचार है फिर खेतमें जाकर एक ग्रास लेकर पुनः वापिस निकल आना अनाचार है तथा फिर भी खेतमें घुस कर निशंक वयेष्ट भक्षण करना, खेतके मालिक द्वारा दंडसे पिटना आदि अभोग है । इसी प्रकार व्रतादिकोंमें समझना चाहिए । प्रत्येक व्रतमें ये पांच पांच दोष पाये जा सकते हैं । ऊपर वारहव्रत और नीचे अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतीचार, अनाचार और अभोग इन पांच दोषोंको रखना चाहिए । इनकी संदृष्टि यह है—

१ १ १ १ १ १ १ १ १ १

५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५

स्थूल कृत प्राणातिपातके अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतीचार, अनाचार और अभोग इस तरह प्रथम गुणव्रतकी पांच उच्चारणा

हैं। इसी तरह बाकीके ग्यारह व्रतोंकी पांच पांच उच्चारणा होती हैं। सब व्रतों संबन्धी सम्पूर्ण उच्चारणा मिलकर साठ होती हैं। पांच मूल उच्चारणाओंको मिला देने पर सब उच्चारणा पैंसठ हो जाती हैं सो ये पैंसठ इन वारह व्रतोंके दोष हैं। इन दोषोंके लगाने पर उक्त प्रायश्चित्त यथायोग्य समझना चाहिए ॥१४६॥
रेतोमूत्रपुरीषाणि मद्यमांसमधूनि च ।
अभक्ष्यं भक्षयेत् पष्टुं दर्पतश्चेद् द्विषदक्षमा ॥१४७

अर्थ—चीर्य, मूत्र, पुरीष (टड़ी) मद्य, मांस, पष्टु और अभक्ष्य—सूधिर, चर्म, हड्डी आदि यदि जघन्य श्रावक प्रमाद वश खाय तो पष्टुप्रायश्चित्त है। यदि अहंकारमें तन्मण्ण होकर उक्त चीजोंको खाय तो बारह उपवास प्रायश्चित्त है ॥१४७॥
पंचोदुंबरसेवायां प्रमादेन विशोषणं ।

चांडालकारुकाणां षडन्नपाननिषेवणे ॥१४८॥

अर्थ—अहंकार वश पांच उदुम्बर फलोंके खानेका प्रायश्चित्त बारह उपवास है और प्रमादवश खाय तो उपवास प्रायश्चित्त है तथा चांडाल आदिके यहां और धोवी आदि कारु शदोंके यहां अप्रापान सेवन करे तो छह उपवास प्रायश्चित्त है। सद्योलंघि (वि)तगोवात बन्दीगृहसमाहतान् ।
कृमिदष्टुं च संस्पृश्य क्षमणानि षडश्चनुते ॥१४९॥

अर्थ—रसी आदिसे बंधकर घरे हुए, गायके सींगोंके काराग्रह (जेलखाने) में बन्द कर देनेसे

परे हुएको तथा जिसमें कृपि-जंतु पड़ गये हों, पीप वह रही हों
ऐसे शरीरके बाबको अदि छूवे तो वह जघन्य श्रावक छह उप-
बासोंको प्राप्त होता है । भावार्थ—उक्त प्रकारसे परे हुएको
और कृपित्वको छूनेका छह उपवास प्रायश्चित्त है ॥ १४६ ॥
सुतामातृभगिन्यादिचांडालीरभिगम्य च ।
अश्नुवीतोपवासानां द्वात्रिंशतमसंशयं ॥ १८० ॥

अर्थ—अपनी पुत्री, माता, वहन, आदि शब्दसे मासी,
सास, पुत्रभार्या आदिको और चांडाल भङ्गी आदिकी स्त्रियों-
को सेवन करनेवाला संदेहरहित वक्तीस उपवासोंको प्राप्त होता
है । भावार्थ—पुत्री आदिके साथ व्यभिचार सेवनका वक्तीस उप-
वास प्रायश्चित्त है ॥

कारुणां भाजने भुक्ते पीतेऽथ मलशोधनं ।
विशोषा पंच निर्दिष्टा छेददक्षेर्गणाधिपैः ॥

अर्थ—प्रायश्चित्त शास्त्रोंके वेत्ता आचार्योंने अभोज्य-
कारुणोंके वर्तनोंमें खाने और पीनेका प्रायश्चित्त पांच उपवास
कहा है । भावार्थ—अभोज कारुणोंका अर्थ आगे १५४ वें
श्लोकमें कहा जायगा । उनके वर्तनोंमें खाने-पीनेका पांच उप-
वास प्रायश्चित्त ह ॥ १५२ ॥

जलानलप्रवेशेन भृगुपाताञ्छशावपि ।
बालसंन्यासतः प्रेतै सद्यः शौचं गृहित्रते ॥

अर्थ—जलमें छवकर, अग्निमें जलकर कहीसे भी गिरकर-

मरने पर, बालकके मरने पर, और मिथ्यादृष्टि संन्याससे मरने पर गृहस्थ व्रतमें तत्काल शुद्धि है। भावार्थ—उक्त प्रकारसे यदि कोई स्वजन मर जाय तो गृहस्थोंको उसका सूतक नहीं है ॥ १५२ ॥

**ब्राह्मण क्षत्रविद्युद्ध्रादिनैः शुद्ध्यन्ति पंचभिः ।
दशद्वादशभिः पक्षाद्यथासंख्यप्रयोगतः ॥१५३॥**

अर्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये अपने किसी स्वजनके मर जाने पर क्रमसे पांच दिन, दश दिन, बारह दिन और पंद्रह दिन वीत जानेसे शुद्ध होते हैं। भावार्थ—ब्राह्मण पांचदिनसे, क्षत्रिय दश दिनसे, वैद्य बारह दिनसे और शूद्र पंद्रह दिनसे शुद्ध सूतकरहित होते हैं। यहां आचार्य संप्रदायका भेद पालूप पड़ता है—अन्य शास्त्रोंमें ब्राह्मणके लिए दशदिन और क्षत्रियोंके लिए पांच दिनका सूतक बताया गया है। अथवा उक्त पाठके स्थानमें “क्षत्रव्राह्मणविद्युद्ध्राः” ऐसा पाठ हो तो ठीक समानता बैठ जाती है। अस्तु, कई विषयोंमें आचार्योंका भत्तभेद पाया जाता है संभव है यहां भी वह हो ॥

**कारिणो द्विविधा सिद्धा भोज्याभोज्यप्रभेदतः ।
भोज्येष्वेव प्रदातव्यं सर्वदा क्षुलुकन्तः ॥१५४॥**

अर्थ—शूद्र भोज्य और अभोज्यके भेदसे दो तरहके ह। जिनके यहांका आहार-पनी ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हैं वे भोज्य कारु होते हैं इनसे चिररीत अर्थात् जिनका आहारपनी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं खाते पीते ही

अभोज्य कारु हैं । इनमेंसे भोज्य कारुओं (भोज्य शुद्धों) को ही तुष्टक दीक्षा देनी चाहिए, अभोज्य शुद्धोंको नहीं ॥१५४॥

क्षुल्लकेष्वेककं वस्त्रं नान्यन्न स्थितिभोजनं ।

आतापनादियोगोऽपि तेषां शश्वन्निषिध्यते ॥

अर्थ—तुष्टकोंके एक ही वस्त्र होता है, दूसरा नहीं । खड़े रहकर भोजन लेना भी उनके नहीं है । तथा आतापन, वृक्षमूल आर अन्नावकाश इन योगोंका भी तुष्टकोंके लिए निषेध है ॥

क्षौरं कुर्याच्च लोचं वा पाणौ भुञ्जेऽथ भाजने ।

कौपीनमात्रतंत्रोऽसौ क्षुल्लकः परिकीर्तिः ॥

अर्थ—तुष्टक छुरेसे मुँडन करे अथवा हाथोंसे बाल उपाड़, वह हाथमें भोजन करे, अथवा पात्रमें, ऐसा कौपीनपात्रके अधीन तुष्टक कहा गया है । भावार्थ—तुष्टकके दो भेद हैं । उनमें पहला तुष्टक छुरेसे या कंचीसे शिरका मुँडन करता है । नैठकर पत्रमें भोजन करता है, कपरमें कौपीन पहनता है ।

दूसरा तुष्टक हाथांसे सिरके बाल उपाड़ता है, हाथमें ही बैठ कर भोजन करता है, शास्त्रान्तरोंके अनुसार वह खड़ा रहकर भी भोजन कर सकता है और कपरमें सिफ़ कौपीन पहनता है । इसका दूसरा नाम आयं है जिसको बोलचालमें ऐलक कहते हैं । दोनों ही तरहकी तुष्टक दीक्षा भाज्य शुद्धोंको दो जाती है ॥ १५६ ॥

सदृष्टिपुरुषाः शस्त्रद्वगोद्वाहाद्विभ्यति ।

लोभमोहादिभिर्धर्मदूषणं चिंतयंति न ॥१५७॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि पुरुष हयेशह धर्मके उद्धाह—विनाशसे डरते रहते हैं इसलिए वे लोभ, मोह, द्वेष आदिके बश होकर कभी भी धर्मणे कलंक लगनेकी वांछा नहीं करते हैं ॥ १५७ ॥
प्रायश्चित्तं न यत्रोक्तं भावकालक्रियादिकं ।
गुरुहृष्टं विजानीयात् तत्प्रनालिकपानया ॥

अर्थ—भावं-परिणाम, काल—शीतकाल, उषणकाल और साधारणकाल, क्रिया—सचित्त, अचित्त और मिश्रद्रव्यका प्रतिसेवन इत्यादि प्रायश्चित्त जो यहां नहीं कहा गया है उसको गुरु उपदेशके अनुसार इसी पद्धतिसे समझ लेना चाहिए ॥ १५८ ॥
उपयोगादूब्रतारोपात् पश्चात्तापात् प्रकाशनात् ।
पादांशाधतया सर्वं पापं नश्येद्विरागतः ॥ १५९ ॥

अर्थ—किसी अपराधके बन जानेपर उपयोग (सावधानी) रखनेसे, कोई न कोई व्रत लेलेनेसे, पश्चात्ताप करनेसे तथा अपना दोष दूसरेको कहनेसे वह अपराध चौथे हिस्से प्रमाण और आधा नष्ट हो जाता है । और विरक्त परिणामोंसे भी सबका सब नष्ट हो जाता है । भावार्थ—किया हुआ अपराध उक्त कारणोंसे चतुर्थ हिस्से प्रमाण, आधा अर्थवा सबका सब नष्ट हो जाता है ॥ १५९ ॥

अवद्ययोगविरातिपरिणामो विनिश्चयात् ।
प्रायश्चित्तं समुहृष्टमेतत्तु व्यवहारतः ॥ १६० ॥

अर्थ—निश्चयनयकी अपेक्षासे संपूर्ण सावद्ययोग—पाप-

कर्मों के संबंध से विरक्त परिणाम ही प्रायश्चित्त है और यह जो प्रायश्चित्त कहा गया है वह सब व्यवहारनयकी अपेक्षासे है । भावार्थ—निश्चयनय और व्यवहारनय ये दोनों नय अनादि-संबद्ध हैं और दोनों हीं एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं तभी सुनय कहलाते हैं अन्यथा वे कुनय हैं । इसी तरह निश्चय प्राय-श्चित्त और व्यवहार प्रायश्चित्त ये दोनों भी अनादि-संबद्ध हैं और एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं तभी प्राणियोंके अपराधोंको शुद्ध कर सकते हैं अन्यथा नहीं । अतः व्यवहारप्रायश्चित्तके समय निश्चयप्रायश्चित्त और निश्चयप्रायश्चित्तके समय व्यव-हारप्रायश्चित्त अवश्य होना चाहिए । पापकर्मोंसे विरक्त परि-णापोंका होना निश्चयप्रायश्चित्त है और निवृत्ति आचाम्ल आदि व्यवहारप्रायश्चित्त हैं एवं प्रायश्चित्त दो प्रकारका हैं ॥ १६०
प्रायश्चित्तं प्रमादेऽदः प्रदातव्यं मुनीश्वरैः ।
अपि मूलं प्रकर्तव्यं बहुशो बहुशो भवेत् ॥ १६१ ॥

अर्थ—प्रायश्चित्त देनेवाले आचाय, कर्थाचत्—एकवार दोप लगने पर आगमोक्त प्रायश्चित्त देवे और वारवार दोपोंका आचरण करनेवाले साधुके लिए मूल-पुनर्दीक्षा प्रायश्चित्त-का विधान भी करें ॥ १६१ ॥

गृहीतव्यं त्रयाणां न हितं स्वस्मै समीप्सुभिः ।
नरेन्द्रस्यापि वैद्यस्य गुरोर्हितं विधायिनः ॥

अर्थ—अपना हित चाहनेवाले : पुरुषोंको हितकारी राजा, वैद्य और गुरु इन तीनोंको कभी नहीं छिपाना चाहिए ॥ १६२ ॥

**यावंतः स्युः परीणामास्तावंति छेदनान्यपि ।
प्रायश्चितं समर्थः को दातुं कर्तुमहो मते ॥१६३॥**

अर्थ—जितने परिणाम हैं उतने ही प्रायश्चित्त हैं। इसप्रकार उतना प्रायश्चित्त न तो कोई देनेको समर्थ है और न काई करने का समर्थ है ॥ १६३ ॥

**प्रायश्चित्तमिदं सम्यग्युजानाः पुरुषाः परं ।
लभेते निर्मलां कीर्तिं सौख्यं स्वर्गापवर्गजं ॥**

अर्थ—इस प्रायश्चित्तको अच्छी तरह करनेवाले पुरुष अग्रगण्य होते हैं, निर्मल कीर्तिको प्राप्त करते हैं और स्वर्ग और पोत्संबन्धी सुख भोगते ह ॥ १६४ ॥

**चूलिकासहितो लेशात् प्रायश्चित्तसमुच्चयः ।
नानाचायर्मतानकैयाद्वोऽुकामेन वर्णितः ॥**

अर्थ—यह चूलिका सहित प्रायश्चित्त-समुच्चय नामका ग्रंथ अनेक आचार्योंके अनेक मर्तोंको एक रूपसे जाननेकी इच्छासे मैंने संदेशसे कहा है ॥ १६५ ॥

**अज्ञानाद्यन्मया बद्धमागमस्य विरोधिकृत् ।
तत्सर्वमागमाभिज्ञाः शोधयन्तु विमत्सराः ॥१६६॥**

अर्थ—अज्ञानवश जो मैंने परमागम, शब्दागम और गमसे विरुद्ध कहा हो उस सबको आगमके बेत्ता आचार्य मद्व मत्सरभावोंसे रहित होते हुए शुद्ध करें ।

इस तरह गुरुदास आचार्यकृत प्रायश्चित्त-समुच्चय और उसकी चूलिकाका नवीन हिन्दी-अनुवांद पूर्ण हुआ ।

